सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2015

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - वर्ष 2015

विषय सूची

	संदर्भ	
विवरण	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं.**
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-I सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ)		
बजट परिचय	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनो का उपयोग	1.1.2	1
निरन्तर बचत	1.1.3	2
राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ	1.1.4	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.1.5	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.7	3
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ	1.1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही की कमी	1.1.9	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.1.10	5
स्वायत निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा में रखने की स्थिति	1.1.11	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित प्रस्तरों की समीक्षा का वर्ष-वार विवरण	1.1.12	6
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन	1.2	7
अनुपालन लेखापरीक्षा		
मुख्यमंत्री कार्यालय		
अनियमित व्यय	1.3	27
डेयरी विकास विभाग		
उद्देश्यों की पूर्ति न होना	1.4	27
वन विभाग		
व्यय की वसूली न किया जाना	1.5	29
उच्च शिक्षा विभाग		
उद्देश्यों की पूर्ति न होना	1.6	30
गृह विभाग		
कैदियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधायें	1.7	31

विवरण	संदर्भ प्रस्तर	पृष्ठ सं.
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
अनियमित और परिहार्य व्यय	1.8	34
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
निरर्थक व्यय	1.9	34
सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ	1.10	35
पेयजल विभाग		
उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जल प्रभारों का संग्रहण	1.11	37
लोक निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	1.12	39
रेशम उत्पादन विभाग		
रेशम उद्यान के उद्देश्यों की पूर्ति न होना	1.13	41
समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग		
बालिकाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाएं	1.14	42
शहरी विकास विभाग		
नगर निगम हरिद्वार का वित्तीय प्रबंधन	1.15	46
उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण		
सौर ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियान्वयन	1.16	51
अध्याय-II राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति	2.1.1	55
राजस्व बकायों का विश्लेषण	2.1.4	57
निर्धारणों का बकाया	2.1.5	58
विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन	2.1.6	59
कर वापसी के मामले	2.1.7	59
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	2.1.8	59
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण	2.1.9	62
विभाग/शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही	2.1.10	62
लेखापरीक्षा आयोजना	2.1.11	63
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.12	63
राजस्व अध्याय के विषय	2.1.13	63
अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
मिथ्या घोषणा प्रपत्रों पर अनियमित कर छूट	2.2	64

	संदर्भ	
विवरण	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं.**
मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण	2.3	64
घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग	2.4	65
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग		
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का न्यूनारोपण	2.5	66
निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिवहन विभाग		
मोटर वाहन पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.6	67
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग		
उप-खनिजों से प्राप्तियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.7	77
अध्याय-III **सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)**		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति	3.1.1	91
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.1.2	91
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश	3.1.3	92
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण	3.1.4	93
सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान	3.1.5	94
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) का कार्य निष्पादन	3.1.6	95
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	3.1.7	95
अकार्यरत सा क्षे उ का परिसमापन	3.1.8	96
वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ	3.1.9	97
आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.1.10	98
निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	3.1.11	98
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप की गयी वसूलियाँ	3.1.12	99
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों की अनुक्रिया	3.1.13	99
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	3.1.14	99
सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	3.1.15	101
इस अध्याय की विषयवस्तु	3.1.16	101
अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज का विपणन	3.2	102

	संदर्भ	
विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
ऊर्जा विभाग		
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों का प्रबन्धन	3.3	105
12 *प्रतिशत* रॉयल्टी का दावा न किया जाना	3.4	111
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड		
उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.5	112
उत्तराखण्ड परिवहन निगम		
परिहार्य हानि	3.6	113
बकाये की वसूली न होना	3.7	114

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1.1	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (कृ का टि) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति	117
1.2.1	प्राथमिक सर्वेक्षण का विवरण, बेसलाइन सर्वेक्षण एवं परियोजना कार्यान्वयन योजना	119
1.2.2	बिना मिलान के आंकड़ों का विवरण	120
1.14.1	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत क्षमता से अधिक छात्रावासों का विवरण	121
1.14.2	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की इमारतों के निर्माण में हुई देरी का विवरण	122
3.1.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे, के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	123
3.1.2	31 मार्च 2014 को अद्यतन, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी	130
3.1.3	मार्च 2014 के अन्त में वर्ष के दौरान ईक्विटी बजट से प्राप्त ऋण, प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्धता को दर्शाती विवरणी	135
3.1.4	राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत नहीं हुए थे, में किये गये निवेश को दर्शाती विवरणी	136
3.1.5	विभागानुसार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों का विवरण	138
3.2.1	डीलर को दिए गए अतिरिक्त कमीशन की गणना	139
3.2.2	डीलर को उच्च दर पर दिए गए कमीशन की गणना	140
3.4.1	अनुबन्ध की धारा 4.1.1, 4.2.1 एवं 4.2.2	142

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत संपादित सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर पी एस यूज) की व्यय लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत निकायों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** सरकार के राजस्व क्षेत्र विभागों की राजस्व प्राप्ति की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संपादित की जाती है। यह अध्याय 31 मार्च 2014 को सामाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री/मूल्य वर्द्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों पर कर तथा अन्य कर और करेत्तर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-III*** सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत और सांविधिक नियमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानून के अंतर्गत सी ए जी के द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(A) के अंतर्गत राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित है, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2013-14 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा क्षे उ); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है। इसमें ₹ 282.49 करोड़ के निर्मल भारत अभियान, लघु खनिकर्मों की प्राप्तियों और मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 24 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 12,334 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,206 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 10,657 करोड़ से 2013-14 में 52 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 16,216 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 61 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ ₹ 8,358 करोड़ से ₹ 13,449 करोड़ और पूँजीगत व्यय 125 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ ₹ 1,647 करोड़ से ₹ 3,712 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर को निर्विष्ट (इनपुट) देने वाले खण्ड ससांधन केन्द्रों (बी आर सी) के स्थापित न होने के कारण वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करने में ऊर्ध्वमुखी उपागम (बाटम अप एप्रोच) को नहीं अपनाया गया।

  [प्रस्तर 1.2.6.2]

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) द्वारा जिलों को एक मुश्त आधार पर किसी घटकवार-ब्यौरे साथ ही साथ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अंश दिये बिना निधियाँ अवमुक्त की जा रही थीं। परिणामस्वरूप, इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त निधियों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वास्तविक अंश का जिलों ने किसी भी प्रकार के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया।

  [प्रस्तर 1.2.7.1]

- नमूना जांच जिलों में ग्रा प को अवमुक्त ₹ 20.92 करोड़ की निधियों की पावती नहीं ली गयी थी।

  [प्रस्तर 1.2.7.6]

- चयनित जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धियों में कुल मिलाकर 40 से 52 *प्रतिशत* तक की कमी थी।

  [प्रस्तर 1.2.8.1]

- खुले में शौच, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना, जाम नाले, विद्यालयों के समीप खुले में मूत्र विसर्जन इत्यादि के आधार पर वर्ष 2009-11 के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा ग्राम पचांयतों के 81 *प्रतिशत* आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जो कि यह प्रदर्शित करता है की दिशा निर्देशों के अनुसार, निर्मलग्राम पुरस्कार के लिए संबंधित आवेदनों का प्रसंस्करण करने के पूर्व उचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया।

  [प्रस्तर 1.2.9.1]

- नमूना जाँच जिलों में, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई इ सी) गतिविधियों के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में 33 से 81 *प्रतिशत* की कमी थी और कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी।

[प्रस्तर 1.2.10]

अनुपालन लेखापरीक्षा

कैदियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधायें

राज्य के 13 जिलों में से छः जिलों में कोई भी जेल क्रियाशील नहीं है। इन छः जिलों में स्थित न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों के आवागमन पर विगत तीन वर्षों के दौरान धनराशि ₹ 88.05 लाख व्यय किये गये। नमूना परीक्षित दस जेलों में रखे गये 3,583 कैदियों में से 2,810 कैदी (78.43 *प्रतिशत*) सिर्फ तीन जेलों में रखे गए थे। 1,061 पदों की स्वीकृत छमता में से केवल 294 पदों को भरा गया। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में, जेल प्रशासन को पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा उपचार तथा कैदियों के आवागमन पर ₹ 38.88 लाख व्यय करने पड़े।

[प्रस्तर 1.7]

उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जल प्रभारों का संग्रहण

31 मार्च 2014 को ₹ 77.23 करोड़ की धनराशि के बकाया अदेय था। इसमें से ₹ 1.07 करोड़ 1,768 संयोजनों के सापेक्ष थी जो कि अब परित्यक्त घरों में उपलब्ध थे, ₹ 3.33 करोड़ विभिन्न सरकारी विभागों के 1,730 संयोजनों के सापेक्ष तथा ₹ 1.24 करोड़ विभिन्न सरकारी परिसरों के 1,180 संयोजनों के सापेक्ष थे। संस्थान ने 1,557 उपभोक्ताओं के सापेक्ष जल प्रभारों की मांग न करने के कारण ₹ 1.36 करोड़ की हानि वहन की। संस्थान ने दोषी उपभोक्ताओं की जलापूर्ति संयोजन विच्छेदन न करने के कारण ₹ 16 लाख की हानि भी वहन की।

[प्रस्तर 1.11]

बालिकाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाएं

नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में धनराशि ₹ 46.80 लाख का अधिक व्यय किया जाना प्रतिवेदित किया और इसे अभ्यर्पण के स्थान पर पी एल ए खाते में रखा गया और 365 कन्या शिशु जिनका जन्म घर पर हुआ था, को ₹ 18.25 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के अंत में धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी 1,266 स्वीकृत मामले भुगतान हेतु लम्बित थे। राज्य सरकार को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण करने में समय और लागत में वृद्धि के कारण धनराशि ₹ 2.57 करोड का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

[प्रस्तर 1.14]

नगर निगम हरिद्वार का वित्तीय प्रबंधन

व्यय का अवास्तविक उच्चतर बजट आगणन बनाने के कारण नगर निगम वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ₹ 17 करोड़ की सीमा तक की निधियों का उपभोग नहीं कर सका। वर्ष 2001 से ₹ 82 लाख की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका, जिसका उपयोग ऐसे कार्यों पर होना था, जिससे आय का सृजन

हो सके। नयी विज्ञापन नीति के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 2001 से विज्ञापन कर की दरों को संशोधित नहीं किया गया। फूल विक्रेता से 'फूल फरोशी प्रभार' एवं फेरी वालों से 'तहबाजारी' वसूलने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.16 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया गया।

[प्रस्तर 1.15]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

अभिकरण ने सौर फोटो वॉल्टाइक कार्यक्रम के लाभार्थियों से सेवा प्रभार के रूप में ₹ 66.71 लाख का अनियमित संग्रहण किया था। सौर स्ट्रीट लाइटों पर ₹ 10.61 लाख का व्यय निरर्थक हो गया था क्योंकि लाइटें वारंटी अवधि के अन्दर अक्रियाशील पायी गई थीं और उन्हे दुरूस्त नहीं किया गया था। वर्ष 2009 से ₹ 10.63 लाख के सौर उपकरण अवितरित पड़े थे। ₹ 13.15 लाख की सौर बैटरियाँ, उनकी अधिप्राप्ति के वर्ष (जनवरी 2011) से ही निष्क्रिय पड़ी थीं।

[प्रस्तर 1.16]

सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ

सेवा मानकों में कमी के लिए सेवा प्रदाताओं के भुगतान में से कटौती का कोई प्रावधान न होने के कारण सेवा प्रदाताओं को ₹ 4.54 करोड़ का अनुचित लाभ।

[प्रस्तर 1.10]

परिहार्य व्यय

हाल ही में निष्पादित सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट कार्य पर 25 मिमी मोटाई के एक समानक कारक को ध्यान में न रखते बिटुमिनस मैकडम का कार्य निष्पादित कराये जाने के परिणामतः ₹ 55.50 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

[प्रस्तर 1.12]

राजस्व क्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा

मूल्यवर्धित कर का गलत दर लागू करने के कारण न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर को गलत दर लागू करने के फलस्वरूप ₹ 16.32 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.3]

घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग

मान्यता प्रमाणपत्र के प्रभावी तिथि के पूर्व के संव्यवहार हेतु प्रपत्र-XI घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख राजस्व की हानि तथा ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.4]

निष्पादन लेखापरीक्षा

मोटर वाहन पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2013-14 में मोटर वाहन स्वामियों से ग्रीन उपकर के रुप में ₹ 4.09 करोड़ की वसूली के बाद भी राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.1 (ii)]

- वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के दौरान 136 व्यापारियों द्वारा 1,14,225 वाहनों की बिक्री के प्रकरण में ₹ 43.88 लाख का व्यापार कर एवं ₹ 16.27 लाख का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.2(i)]

- 379 प्रकरणों में परमिट के नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरुप ₹ 13.96 लाख का नवीनीकरण शुल्क वसूल न होना।

[प्रस्तर 2.6.7.3(ii)]

- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण करारकर्ता से ₹ 1.13 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.8.2]

उप-खनिजों से प्राप्तियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

- प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था।

[प्रस्तर 2.7.8.1]

- रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाने एवं दरों के त्रुटिपूर्ण विनियोग के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 6.38 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई।

[प्रस्तर 2.7.9.1 एवं 2.7.9.2]

- विभाग द्वारा ऐसे ईंट भट्ठों जिन्होंने अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया था, के अभियान में विफलता के परिणामतः 782 प्रकरणों में ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.7.9.3]

- पट्टा विलेखों के पंजीकरण में विलम्ब/नहीं कराने के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।

[प्रस्तर 2.7.10.1]

आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज का विपणन

19.95 लाख कुन्तल उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादकों से गेहूँ बीजों का वास्तविक अंतः ग्रहण केवल 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वितरक कमीशन को विक्रय एवं वितरण व्यय के स्थान पर क्रय मूल्य का भाग बनाने के कारण कम्पनी ने ₹ 0.73 करोड़ का अतिरिक्त डीलर कमीशन का भुगतान किया एवं कमीशन का भुगतान अधिक दर से करने के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 0.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया। दोषी वितरकों की अग्रिम जमा धनराशि जब्त न करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

[प्रस्तर 3.2]

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आन्तरिक लक्ष्य की तुलना में विभिन्न क्षमताओं के 13,319 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 121.99 करोड़ था, अधिक क्षतिग्रस्त हुए तथा 151 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 1.03 करोड़ था, लाइटनिंग अरेस्टर न लगाये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यू पी सी एल ने अपनी वर्कशॉप के अल्प उपयोग के कारण ₹ 63.23 लाख का अतिरिक्त व्यय किया तथा 509.31 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल, जिसकी कीमत ₹ 76.40 लाख थी, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से कम पाया गया।

[प्रस्तर 3.3]

12 *प्रतिशत* रॉयल्टी का दावा न किया जाना

यू पी सी एल की ओर से निः शुल्क विद्युत के रूप में रॉयल्टी लगाने के प्रयासों की कमी के कारण राज्य ₹ 3.91 करोड़ की 12 *प्रतिशत* निः शुल्क ऊर्जा (17.32 मिलियन यूनिट) से वंचित रहा।

[प्रस्तर 3.4]

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिभार का आरोपण न करके यू पी सी एल ने उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

[प्रस्तर 3.5]

अध्याय-I

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

अध्याय-I

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 63 सरकारी विभाग एवं 39 स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट आकलन और वास्तविक की स्थिति **तालिका 1.1.1** में दी गयी है।

तालिका 1.1.1
वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक	बजट आकलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	4,118.72	3,694.34	4,109.96	4,180.15	4,993.94	4,475.11	5,443.94	5,372.23	6,804.28	6,182.04
सामाजिक सेवाएं	4,900.94	4,980.28	5,358.43	5,169.49	6,447.89	6,019.65	6,856.51	6,095.84	7,766.53	7,298.01
आर्थिक सेवाएं	1,745.16	1,658.12	1,973.30	1,863.75	2,351.14	2,101.63	2,568.74	1,995.29	2,755.73	2,067.95
सहायता अनुदान एवं अशंदान	396.29	324.73	555.00	407.68	532.72	378.80	847.92	496.86	727.66	668.41
योग (1)	**11,161.11**	**10,657.47**	**11,996.69**	**11,621.07**	**14,325.69**	**12,975.19**	**15,717.11**	**13,960.22**	**18,054.20**	**16,216.41**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	1,956.92	1,646.74	2,005.09	1,854.84	3,094.58	2,316.94	3,653.48	3,542.09	4,874.19	3,712.03
कुल एवं वितरित अग्रिम	307.77	30.06	150.54	59.68	307.91	246.83	264.05	272.57	248.66	277.99
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,311.58	472.87	1,299.63	519.36	1,638.73	1,015.78	2,297.13	1,472.21	2,152.79	1,316.81
आकस्मिक निधि	34.00	71.42	10.00	536.71	35.00	69.07	40.00	32.07	40.00	194.48
लोक लेखा वितरण	10,963.47	12,321.83	11,665.36	17,608.20	12,662.52	19,832.00	12,872.30	20,961.24	14,212.33	25,190.33
अन्तिम रोकड़ शेष	-	538.91	-	1,229.41	-	1,085.18	-	1,945.54	-	2,433.41
योग (2)	**14,573.74**	**15,081.83**	**15,130.62**	**21,808.20**	**17,738.74**	**24,565.80**	**19,126.96**	**28,225.72**	**21,527.97**	**33,125.05**
महायोग (1+2)	**25,734.85**	**25,739.30**	**27,127.31**	**33,429.27**	**32,064.43**	**37,540.99**	**34,844.07**	**42,185.94**	**39,582.17**	**49,341.46**

स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखा

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनो का उपयोग

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 12,334 करोड़ से ₹ 20,206 करोड़ तक बढ़ गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2009-10 में ₹ 10,657 करोड़ से वर्ष 2013-14 में 52 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 16,216 करोड़ हो गया।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय में 80 से 86 *प्रतिशत* राजस्व व्यय सम्मिलित था और 13 से 18 *प्रतिशत* पूंजीगत व्यय था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 14 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्ति 15 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

1.1.3 निरन्तर बचत

अन्तिम पाँच वर्षों के दौरान 18 प्रकरणों में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई जैसा कि विवरण **तालिका 1.1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.1.2

वर्ष 2009-14 के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्याय प्रशासन	28.57	29.91	28.05	50.90	36.52
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	56.74	29.52	43.94	64.40	14,66.73
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,18.97	1,06.35	5,80.10	5,49.18	1,16.17
4.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	91.88	1,24.39	1,53.99	1,33.41	1,16.11
5.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	47.75	3,72.80	2,35.77	1,53.22	3,08.25
6.	15-कल्याण	80.43	83.72	1,97.45	1,91.96	1,78.11
7.	16-श्रम एवं रोजगार	5.61	12.08	12.39	36.45	28.70
8.	18-सहकारिता	1.83	4.87	10.30	6.03	8.53
9.	19-ग्राम्य विकास	70.21	75.22	92.71	1,33.00	1,79.22
10.	22-लोक निर्माण	28.64	34.94	35.43	56.85	95.65
11.	23-उद्योग	1.34	5.15	14.47	11.32	20.89
12.	24-परिवहन	5.62	2.52	1.37	5.90	3.22
13.	26-पर्यटन	2.85	2.92	30.66	30.05	13.43
14.	28-पशुपालन	8.49	15.53	4.48	9.04	24.93
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	51.24	8.78	72.43	20.60	40.81
2.	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	7.80	60.20	1,66.31	1,22.03	1,84.55
3.	15-कल्याण	5.09	13.74	22.03	3.54	6.75
4.	23-उद्योग	9.55	11.54	13.35	23.69	28.21

स्रोत: विनियोग लेखे

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2014)। तथापि, यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1.1.4 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य बजट के माध्यम के बिना भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 1,903 करोड़ अन्तरित किये। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित धनराशि की निगरानी के लिए राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं है और कोई आँकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं है जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में, प्रमुख फ्लैगशीप योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है।

1.1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.1.3
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	1,183	1,435	762	869	981
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,334	2,253	2,840	3,040	3,558
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	11	21	10	8	13
केन्द्रीय सहायतित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	217	356	462	540	523
योग	**3,745**	**4,065**	**4,074**	**4,457**	**5,075**
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	11	9	0.22	9	14
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता	39	35	30	28	29

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2009-10 में ₹ 3,745 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,075 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान *प्रतिशत* में 0.22 *प्रतिशत* और 14 *प्रतिशत* के बीच में वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्ति का *प्रतिशत* 28 *प्रतिशत* और 39 *प्रतिशत* के मध्य रहा।

1.1.6 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि की क्रियाकलापों के निर्णायक मोड/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आन्तरिक नियन्त्रण और हितसाधकों और पिछली लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा मिडिया रिपोर्टो के जोखिम निर्धारण से आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता व सीमा निर्णीत होती है और वार्षिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षित इकाइयों के अध्यक्षों को एक माह के भीतर उत्तर प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो समायोजन कर लिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु आगामी कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित करने हेतु प्रक्रियान्वित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 161 आहरण और संवितरण अधिकारियों और 46 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी संचालित हुई।

1.1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही चयनित विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों की जानकारी दी है जिससे

कि कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका केन्द्र, विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई करने और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करना था।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि 6 महीनों के अन्दर प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तरों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान को रखते हुए किया गया है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधान सभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि उनकी टिप्पणियों को इसमें शामिल किया जाये। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ गोष्ठी करने के लिए भी सूचित किया गया था। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तरों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर देने के लिए भी भेजा गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, एक प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा[2] और 17 प्रारूप प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। लेकिन सिर्फ तीन मामलों में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है (नवम्बर 2014)।

1.1.8 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से संबन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों (आ वि अधि) की पुष्टि के लिए एवं लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।

दो मामलों में इंगित ₹ 29.81 लाख की वसूली के सापेक्ष, वर्ष 2013-14 के दौरान इन मामलों में सम्बन्धित आ वि अधि ने ₹ 29.31 लाख की प्रभावित वसूली की।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही की कमी

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, विहित नियमों व क्रियाविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण की जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ आदि का निदान तुरन्त नहीं हो पाता है तो इन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत किया जाता है, जिनकी एक प्रति उनके उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं उनके उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति से एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन को राज्य के अपर मुख्य सचिव (वित्त) को भेजकर गंभीर अनियमितताओं को कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] निर्मल भारत अभियान।

31 मार्च 2014 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 2,045 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 5,898 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थी, जिसका विवरण **तालिका 1.1.4** में है।

तालिका 1.1.4

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन[3]	प्रस्तर	संबन्धित राशि (₹ लाख में)
1.	सामाजिक क्षेत्र	1,092	3,618	6,111.40
2.	सामान्य क्षेत्र	347	649	605.48
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)	606	1,631	3,889.28
योग		**2,045**	**5,898**	**10,606.16**

वर्ष 2013-14 के दौरान, अनोपचारिक समिति की 10 बैठकें आयोजित हुई जिसमें 67 प्रस्तर समायोजित हुए। विभागीय अधिकारी विहित समय सीमा के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जबाबदेही की कमी रही।

यह अनुशंसा की जाती है की सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया सुनिशिचित करने के लिए मामले पर गौर करे।

1.1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.1.10.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों का अप्रस्तुतिकरण

लोक लेखासमिति की आंतरिक कार्यचालन प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों प्रदर्शित समस्त प्रस्तरों, जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है, पर स्वप्रेरित कृत कार्यवाही की सूचना दी जानी थी चाहे इनकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गयी हो या नहीं। उन्हे राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा यथोचित जाँच के उपरान्त विस्तृत टिप्पणियां प्रदान करनी थीं जो कि उनके द्वारा की गई सुधारात्मक या प्रस्तावित कृत कार्यवाही को दर्शाती हों।

तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2000-01 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 31 मार्च 2014 तक 35 विभागों के 80 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थीं (जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1.1*** में वर्णित है।)

1.1.10.2 लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लोक लेखा समिति की लेखापरीक्षा प्रस्तरों, जिनमें उनके द्वारा चर्चा की गई, पर टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की हुई कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ इन समितियों को टिप्पणियों/अनुशंसाओं की तिथि से छः माह के अंदर प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 31 मार्च 2014 तक केवल 184 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा हुई है। लोक लेखा समिति के द्वारा 102 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध

[3] 2006-07 से लिए गये बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर।

में अनुशंसाए दी गई हैं, तथापि चार प्रस्तरों से संबंधित समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार की ओर से कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लंबित है।

1.1.11 स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा लेन-देनों, परिचालन गतिविधियाँ और लेखे, विनियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण और तंत्रों एवं कार्यप्रणालियों की समीक्षा आदि के लिए इन निकायों में से अनेकों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2011-12 में जारी की गई उत्तराखण्ड जल संस्थान का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस ए आर) को अभी तक राज्य विधान सभा में रखा जाना शेष है।

1.1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित प्रस्तरों की समीक्षा का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हुयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी धनराशि सहित वर्ष-वार विवरण **तालिका 1.1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.1.5

वर्ष 2011-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हुयी समीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2011-12	02	81.89	10	146.32	02	00
2012-13	03	283.16	09	166.42	03	00

वर्ष 2013-14 के दौरान एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 17 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को राज्य सरकार को जारी किया गया था। तथापि, सरकार/विभाग से एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

₹ 94.37 करोड़ की धनराशि के एक निष्पादन लेखापरीक्षा[4] और 14 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। प्रतियुत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

---

[4] निर्मल भारत अभियान।

निष्पादन लेखापरीक्षा

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1.2 निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, कार्यक्रम जिसका पुनः नामकरण कर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया जो कि व्यक्तिगत साफ सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ जल, कूड़ा निस्तारण एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केन्द्रित, भारत सरकार का एक फ़्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 1999 में प्रारम्भ किया गया था। राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

मुख्यांश

- ***ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर को निर्दिष्ट (इनपुट) देने वाले खण्ड ससांधन केन्द्रों (बी आर सी) के स्थापित न होने के कारण वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करने में ऊर्ध्वमुखी उपागम (बाटम अप एप्रोच) को नहीं अपनाया गया।***

  [प्रस्तर 1.2.6.2]

- ***राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) द्वारा जिलों को एक मुश्त आधार पर किसी घटकवार-ब्यौरे साथ ही साथ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अंश दिये बिना निधियाँ अवमुक्त की जा रही थीं। परिणामस्वरूप, इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त निधियों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वास्तविक अंश का जिलों ने किसी भी प्रकार के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया।***

  [प्रस्तर 1.2.7.1]

- ***नमूना जांच जिलों में ग्रा प को अवमुक्त ₹ 20.92 करोड़ की निधियों की पावती नहीं ली गयी थी।***

  [प्रस्तर 1.2.7.6]

- ***चयनित जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धियों में कुल मिलाकर 40 से 52 प्रतिशत तक की कमी थी।***

  [प्रस्तर 1.2.8.1]

- ***खुले में शौच, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना, जाम नाले, विद्यालयों के समीप खुले में मूत्र विसर्जन इत्यादि के आधार पर वर्ष 2009-11 के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा ग्राम पचांयतों के 81 प्रतिशत आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जो कि यह प्रदर्शित करता है की दिशा निर्देशों के अनुसार, निर्मलग्राम पुरस्कार के लिए संबंधित आवेदनों का प्रसंस्करण करने के पूर्व उचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया।***

  [प्रस्तर 1.2.9.1]

- ***नमूना जाँच जिलों में, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई इ सी) गतिविधियों के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में 33 से 81 प्रतिशत की कमी थी और कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी।***

  [प्रस्तर 1.2.10]

1.2.1 परिचय

भारत सरकार (भा स) ने ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में सतत् सुधार के दृष्टिकोण से वर्ष 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (स स्व का) प्रारम्भ किया। अभियान व्यक्तिगत साफ-सफाई, घर की स्वच्छता, स्वच्छ पानी, कूड़ा निपटान एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर केन्द्रीकृत था। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण स्वच्छता व्याप्ति

को सुनिश्चित करने में ग्रामीण समुदायों द्वारा किये गये प्रयासों एवं उपलब्धियों को भी उन समुदायों को 2003 में शुरू किए गए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित करते हुए सराहा गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रेरित होकर ग्रामीण क्षेत्रों में नई रणनितियों व परिपूर्णता के माध्यम से स्वच्छता व्याप्ति में तेजी लाने के लिए स स्व का का पुनर्नामकरण (अप्रैल 2012) "निर्मल भारत अभियान" किया गया।

1.2.2 संगठनात्मक ढांचा

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार परियोजना प्रबन्धन इकाई (प प्र इ) जोकि राज्य में योजना के निष्पादन हेतु केद्रंक अभिकरण है, के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। कार्यकारी समिति को निदेशक, प प्र इ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जोकि प प्र इ की आमसभा एवं कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों, वार्षिक कार्यक्रमों एवं बजट को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (जि प प्र इ) के परियोजना प्रबन्धक के लिए वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन एवं उनको तैयार करने तथा योजना के अनुश्रवण एवं निष्पादन का यह उत्तरदायित्व निहित था।

1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या :

- विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये योजना पर्याप्त व प्रभावी थी;
- योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा निधियाँ आवंटित, लेखाबद्ध एवं उपभोग की गयी थी;
- विभिन्न घटकों के अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी और योजना परिमापों के अनुरूप था।
- योजना के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू शि सं) क्रियाकलाप स्वच्छता सेवाओं की मांग के स्तरोन्नयन में प्रभावी थे।
- अन्य विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया था;
- अनुश्रवण व मूल्यांकन का तन्त्र पर्याप्त व प्रभावी था।

1.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

वर्ष 2009-10 से निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2014 से नवम्बर 2014 के मध्य निष्पादित की गयी। जो वर्ष 2013-14 की अवधि को आच्छादित करते हुए राज्य के कुल 13 जि प प्र इ में से, चार जि प प्र इ[5] को जिलों/ जि प प्र इ में निष्पादन क्रियाकलापों की परियोजना लागत के आधार पर जि प प्र प्रोबेविलिटी प्रोपोशनल टू साइज विद रिप्लेसमेंट विधि के द्वारा चुना गया था। इसके अतिरिक्त, कुल नौं[6] विकास खण्डों को (एक जि प प्र इ में 20 *प्रतिशत* विकासखण्ड, प्रत्येक जि प प्र इ से कम से कम दो) सिस्टमैटिक रेंडम संपलिंग विधि (एस आर एस) के द्वारा चुना गया। इसी प्रकार, 90 ग्राम पचांयतें (ग्रा प) इन्ही विकासखण्डों में से (एक विकासखण्ड से 25 *प्रतिशत* ग्राम पंचायतें, प्रत्येक में से अधिकतम दस) विस्तृत जांच के लिए चुनी गयी। एन जी पी पुरस्कृत ग्रा प द्वारा किये गये स्वच्छता प्रयासों की स्थिरता की जांच के लिए पांच या सभी ग्राम पचांयतों, जो कम हो, को चयनित विकास खण्डों में अतिरिक्त रूप से चुना गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक

[5] अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी और उधमसिंह नगर।

[6] देहरादून के डोईवाला और सहसपुर; पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा, खिर्शू और पौड़ी; अल्मोड़ा के भैंसियाछाना और हवलबाग, उधमसिंह नगर के काशीपुर और बाजपुर।

चयनित ग्राम पचांयत में अधिकतम दस लाभार्थियों को लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चुना गया। चुने हुए लाभार्थियों के व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और चयनित ग्राम पचांयतों में बनायी गयी सामूहिक स्वच्छता सुविधाओं जैसे स्कूल शौचालयों, आंगनबाड़ी शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, कम्पोस्ट पिटों, कूड़ा पिटों, जल जमाव पिटों आदि का लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया।

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व, 29 मई 2014 को प्रमुख सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड सरकार से हुयी प्रवेश गोष्ठी बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा क्रिया विधि पर चर्चा की गयी। ड्राफ्ट प्रतिवेदन (20 नवम्बर, 2014) उत्तराखण्ड सरकार को उनके प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया के लिए प्रेषित की गयी और 25.11.2014 को सम्पन्न होने वाली निकास गोष्ठी' में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। सरकार के जवाबों को उचित स्थान पर युक्तिबद्ध किया गया।

1.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

नि भा अ के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदंड को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- स स्व अ दिशा-निर्देश 2007, 2010 एवं 2011 और नि भा अ दिशा-निर्देश 2012; पेयजल एवं स्वच्छता मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र एवं अधिसूचनाएं;
- नि भा अ के कार्यान्वयन से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश;
- *निर्मल ग्राम पुरस्कार* हेतु दिशा-निर्देश; और
- वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधान।

1.2.6 योजना

1.2.6.1 प्रारम्भिक सर्वेक्षण, आधारभूत सर्वेक्षण एवं परियोजना कार्यान्वयन योजना

नि भा अ 2007 के दिशानिर्देश के अनुसार, नि भा अ को प्रारम्भिक क्रियाकलापों के साथ चरणों में लागू होना था। प्रारम्भिक क्रियाकलापों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों का दृष्टिकोण एवं मांगों के अनुरूप स्वच्छता सुधार के मापदण्डों का निर्धारण करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण निष्पादित करना इत्यादि सम्मिलित है। इन क्रियाकलापों में, आधारभूत सर्वेक्षण (आ स) और परियोजना कार्यान्वयन योजना (प का यो) को क्रियान्वित करना भी शामिल है।

चयनित जिलों में लेखापरीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत की गयी प्रथम प का यो के अनुसार यह पाया गया कि 2002-03 में आ स निष्पादित किया गया किन्तु ऑनलाइन सर्वे रिपोर्ट को छोड़कर आ स से सम्बन्धित काई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जा सके। अतः, प का यो में लिए गए लक्ष्य कि प्रमाणिकता, वास्तविक आँकड़ों के साथ सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, पूछे जाने पर कि क्या आ स के पूर्व कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था, जि प प्र इ ने अवगत कराया कि कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण नहीं किया गया । अतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण तैयार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। परिणामतः, योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के सहायतार्थ जिला नि भा अ परियोजना प्रस्ताव विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच जिलों में सम्पन्न हुए आ स (2013) में प्राप्त आँकड़ों को जि प प्र इ ***(परिशिष्ट 1.2.1)*** स्तर पर समेकित करते समय परिवर्तित किया गया और लक्ष्य उसी के अनुसार निर्धारित किये गये। इससे आ स की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिलों[7] में ₹ 31.10 लाख व्यय करने के बाद भी अर्थहीन हो गई।

शासन ने अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि 2002 में 11 लाख परिवारों का घर-घर आ स सम्पन्न किया गया, जिसमें से ₹ 8.84 लाख परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था।

विभागीय उत्तर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि 2013 में निष्पादित आ स परिवर्तित किये गये एवं लक्ष्य उसी के अनुरूप निर्धारित किये गये जिसने आ स के उद्देश्यों के साथ-साथ योजना को भी विफल कर दिया।

1.2.6.2 वार्षिक कार्यान्वयन योजना

नि भा स के दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्यान्वयन योजनायें (वा का यों) को तैयार किये जाने हेतु नीचे से ऊपर की अवधारणा अर्थात ग्राम पंचायत स्तर की वार्षिक योजनाओं का समेकन विकासखण्ड की योजनाओं में, एवं विकासखण्डों की उन्हीं योजनाओं का समेकन जनपद की वार्षिक योजनाओं में एवं जिलों की उन्हीं योजनाओं का समेकन राज्य की वार्षिक योजनाओं में अपनाया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों कें ग्राम पंचायतवार लक्ष्यों को लेते हुये चिन्हित किया जाना था।

यह पाया गया कि न तो लाभार्थियों को ग्राम पंचायतवार चिन्हित किया जा रहा था और न ही नीचे से ऊपर की अवधारणा का अनुसरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के दिशानिर्देशों की उल्लंघन करते हुए जिलों द्वारा योजनाएं स्वंय तैयार कर राज्य सरकार के पास अनुमोदन व समेकन हेतु भेजी जा रही थीं। शासन द्वारा (नवम्बर 2014) बताया गया कि कथित उदाहरण में आँकड़े ग्राम पंचायतों से लिये गये हैं जिन्हें एनजीओ द्वारा सकंलित किया गया था, अतः यही नीचे से ऊपर अवधारणा का अनुपालन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजनाएं न तो ग्राम पंचायत स्तर पर और न ही खण्ड स्तर पर तैयार की गयीं। जिला स्तर योजना को एन जी ओ द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था और इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी उपागम का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया।

1.2.6.3 संस्थागत तंत्र

लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थागत संरचनाएं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहीं थीं। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं-

- राज्य स्तर पर लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए स्थापित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) में राज्य के विभागों जैसे कि ग्रामीण पेयजल एवं जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवम् बाल विकास, जल संसाधन, कृषि इत्यादि के साथ प्रभारी सचिव शिक्षा, महिला एवम् बाल विकास, और कृषि विभाग को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। आगे इसी तरह, आच्छादित अवधि के दौरान निर्धारित कुल 10 सभाओं में से केवल चार ही सम्पादित की गयीं। परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण व सहयोग की भावना में कमी आयी जैसा कि ***प्रस्तर 1.2.11*** में इंगित किया गया है।

---

[7] पौड़ी ₹ 7.18 लाख, अल्मोडा ₹ 9.03 लाख, उधमसिंहनगर ₹ 14.89 लाख।

- सरकार को राज्य स्तर पर मानव संसाधन विकास एवम् सू शि सं क्रियाकलापों के साथ-साथ नि भा अ परियोजना के अनुश्रवण के लिये संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सं क्ष वि इ) की स्थापना करने की आवश्यकता थी। दिशा-निर्देशों में यह भी इंगित किया गया था कि संचार, मानव संसाधन विकास, एवं अनुश्रवण तथा विद्यालयी स्वच्छता के क्षेत्र के विशेषज्ञ सलाहकारों को सं क्ष वि इ के अन्तर्गत रखा जा सकता था। यह पाया गया कि केवल एक विशेषज्ञ सलाहकार संचार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र से रखा गया था जबकि शेष दो पद[8] रिक्त थे, जिसके परिणामस्वरूप सू शि सं क्रियाकलापों में कमजोर योजना एवं अनुश्रवण में कमी पाई गई।
- विगत पांच वर्षो में, प्रत्येक जिलों में जिला जल स्वच्छता मिशन (जि ज स्व मि) की 14 सभाओं की आवश्यकता के सापेक्ष देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं उधम सिंह नगर में काफी कम सभाएं क्रमशः सात, छः, आठ एवं एक ही वास्तविक रूप से आयोजित की जिसने सू शि सं और योजनाओं की क्रियाकलापों जैसे अपर्याप्त सू शि सं क्रियाकलाप, निम्नस्तरीय आ स, ग्राम पंचायतों को विलम्ब से धनराशि प्रेषण, आवंटित प्रोत्साहन राशियों की प्राप्ति रसीद प्राप्त न करना एवं अन्य योजना/विभागों के साथ अपर्याप्त अभिसरण में विपरीत प्रभाव डाला।
- यह पाया गया कि राज्य के किसी भी जिलों में खण्ड संसाधन केन्द्र (ख सं के) की स्थापना नहीं की गयी थी। बल्कि, बीआरसी के सभी कार्य सम्बन्धित जिले के जि प प्र इ द्वारा सम्पादित किये जा रहे थे जो सम्बन्धित जिलों के नोडल कार्यालय थे। ख सं के की स्थापना न किये जाने के परिणामस्वरूप, दिशानिर्देशों में इंगित ऊर्ध्वमुखी उपागम के बजाए अधोमुखी उपागम के रूप में परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालय के पास अपने सीमित संसाधनों के साथ जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों की उन्नति की समीक्षा कर पाना दुष्कर था। यदि बीआरसी स्थापित किये गये होते तो समीक्षा प्रभावी और विकेन्द्रीकृत होती जिसके परिणामस्वरूप योजना का समूचा कार्यान्वयन बेहतर होता। यह तथ्यों द्वारा साक्ष्यांकित है कि चयनित जिलों में कुल 291 ग्राम पंचायत समीक्षावधि में निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित[9] की गयी थीं जिसमें से केवल 37 ग्राम पंचायतें[10] ही मापदण्डों पर खरी पायी गयी एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजी गयीं। शासन द्वारा नवम्बर 2014 में सम्पादित निकास गोष्ठी में बताया गया कि ख सं के एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम का ही एक घटक है तथापि इसे स्थापित किया जाना था।

1.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

नि भा अ कार्यक्रम के लिए निधियों का उपयोग अनुमोदित वा का यो के अनुसार होना था। तथापि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि कार्यान्वयन प्राधिकारियों के अक्षम निधि प्रबन्धन के कारण ग्राम पंचायतों को राशियां देरी से अवमुक्त की गयीं, सू शि सं क्रियाकलापों में अपर्याप्तता, लक्ष्यों की कम प्राप्ति, न ग पु की धारणीय अवधारणा का रखरखाव न किया जाना परिलक्षित हुआ जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

[8] सामुदायिक विकास विशेषज्ञ, मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ।

[9] देहरादून 117, पौडी 75, अल्मोड़ा 71, उधमसिंह नगर 28।

[10] देहरादून 04, पौडी 05, अल्मोड़ा 24, उधमसिंह नगर 04।

1.2.7.1 वित्त पोषण पद्धति

नि भा अ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। जहाँ तक व्यक्तिगत शौचालयों का संबंध है, लाभार्थियों को भी एक निश्चित धनराशि का सहयोग देना चाहिए था। नि भा अ के मुख्य घटकों के साथ-साथ कुल आवंटित धनराशि में उनकी प्रतिशत अंश एवं प्रत्येक उपघटकों के लिये निधि पद्धति **तालिका 1.2.1 में** दी गई है-

तालिका 1.2.1

घटक	कुल परियोजना परिव्यय का प्रतिशत आबंटन		निधिगत ढाँचा		
			भारत सरकार *(प्रतिशत)*	राज्य सरकार *(प्रतिशत)*	लाभार्थी योगदान *(प्रतिशत)*
सूचना शिक्षा एवं संचार (सू शि सं), प्रारम्भिक क्रियाकलाप एवं क्षमता निर्माण	15 *प्रतिशत* तक		80	20	0
चक्रीय निधि	5 *प्रतिशत* तक		80	20	0
व्यक्तिगत आवासीय शौचालय (व्य आ शौ)	सम्पूर्ण आच्छादन के लिए वांछित वास्तविक धनराशि	2009-10	माडल 1- ₹ 1,500 तक, माडल 2- ₹ 1,500-2,000, माडल 3- ₹ 2,000 से उपर		
		2010-11	₹ 2,000	₹ 700	₹ 300
		2011-12	₹ 2,700	₹ 1,000	₹ 300
		2012-13 तथा आगे	₹ 3,700	₹ 1,400	₹ 900
सामुदायिक शौचालय (सा शौ)	सम्पूर्ण आच्छादन के लिए वांछित वास्तविक धनराशि	2009-10	60	20	20
		2010-11 तथा आगे	60	30	10
विद्यालय एवं आँगनबाड़ी को सम्मिलित करते हुए संस्थागत शौचालय	सम्पूर्ण अवधि के लिए वांछित धनराशि		70	30	0
प्रशासनिक प्रभार	4 *प्रतिशत* तक		80	20	0
ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबन्धन (ठो त अ प्र)	अनुमति सीमा के अन्दर रा ज स्व मि परियोजना लागत के अनुसार वास्तविक लागत	2011-12 तक	60	20	20
		2012-13 तथा आगे	70	30	0

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि रा ज स्व मि द्वारा दो सरकारो के अंश को संघटकवार किये बगैर जिलों को निधियाँ एकमुश्त आधार पर अवमुक्त की जा रही थीं। परिणामतः योजना के अन्तर्गत दो सरकारों के मध्य कुल अवमुक्त निधि की वास्तविक सहभागिता से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जिलों द्वारा तैयार नहीं किये गये। शासन द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि विभाग ने लेखापरीक्षा निरीक्षण को संज्ञान में ले लिया है एवं इसी के अनुसार भविष्य में कार्य करेगी।

1.2.7.2 प्राप्ति एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कार्यक्रम की प्राप्ति एवं व्यय सम्बन्धित वर्षवार विवरण **तालिका 1.2.2** के अनुसार है।

तालिका 1.2.2 *(₹ लाख में)*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		प्राप्ति		कुल उपलब्ध निधि	व्यय		कुल व्यय (*प्रतिशत*)	अन्तिम अवशेष	
	भा स	रा स	भा स	रा स		भा स	रा स		भा स	रा स
2009-10	1,039.17	41.60	919.23	494.78	2,494.78	1,063.09	328.81	1,391.90 (56%)	895.31	207.57
2010-11	895.31	207.57	2,050.83	997.17	4,150.88	1,503.47	489.81	1,993.28 (48%)	1,442.67	714.93
2011-12	1,442.67	714.93	845.96	164.67	3,168.23	1,193.68	1,007.61	2,201.29 (69%)	1,094.95	(-)128.01
2012-13	1,094.95	(-)128.01	2,586.14	1,085.97	4,639.05	1,238.78	482.71	1,721.49 (37%)	2,442.31	475.25
2913-14	2,442.31	475.25	594.08	221.64	3,733.28	1,769.92	667.54	2,437.46, (65%)	1,266.47	29.35

स्रोतः आकड़ें परियोजना प्रबन्धक इकाई, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये

तालिका से स्पष्ट है कि 2009-14 की अवधि के दौरान अवमुक्त राशि के विपरीत कार्यक्रम में व्यय की गयीं राशि का *प्रतिशत* 37 से 69 के मध्य था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, नमूना जांच जिलों के अभिलेखों में पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान विभिन्न जि प प्र इ में अव्ययित अवशेष का *प्रतिशत* 32 से 69 *प्रतिशत* रहा। इसके अतिरिक्त, रा ज स्व मि निरन्तर क्रियान्वित अभिकरणों को राशियां प्रेषित करता रहा।

सम्बन्धित जि प प्र इ को इंगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि अपर्याप्त जनशक्ति, ग्राम पंचायत स्तर पर अजागरूकता एवं लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशियों को अपर्याप्त महसूस होने के कारण लिये जाने में अनिच्छा इत्यादि के कारण निधियों का वांछित स्तर तक उपयोग नहीं किया जा सका। शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि लक्ष्यों के भौतिक सत्यापन की गति प्रादेशिक भौगोलिक बनावट एवं पहाड़ों में पहुंच की समस्याओं के कारण घटी है एवं प्रोत्साहन राशियों की अवमुक्ति सत्यापन के पश्चात ही की जाती है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा ज स्व मि और जि प प्र इ ने लेखापरीक्षा आपत्ति को कई तरीकों सें न्यायसंगत ठहराया है।

1.2.7.3 निधियों की अवमुक्ति में विलम्ब

नि भा अ के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र के हिस्से के अवमुक्ति के 15 दिनों के अन्दर ही राज्य का हिस्सा अवमुक्त किया जाना चाहिए। प प्र इ को केन्द्रीय अनुदानों की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित जिलों को राशियां अवमुक्त करना चाहिये एवं जिलों को उन प्राप्तियों के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायतों को निधियाँ प्रेषित करनी चाहिये ताकि लाभार्थी को प्रोत्साहन का लाभ समय से प्राप्त हो सके।

यह पाया गया कि प प्र इ द्वारा जिलों को राशियां एक से आठ माह के औसत देरी से अवमुक्त की गयी तथा जि प प्र इ स्तर पर एक से 12 माह के विलम्ब से निधियाँ अवमुक्त की गयीं।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2014) कि राशियां अवमुक्त किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को समय से प्रस्तुत न किये जाने के कारण ऐसा हुआ।

1.2.7.4 आंकड़ों में भिन्नता

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि नि भा अ राशियों के लेनदेन सम्बन्धित आँकड़ों में प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र सू प्र) में रखे गये आँकड़ों से मैनुअल अभिलेख (तुलन पत्र) के आँकड़े भिन्न थे। आच्छादित अवधि के दौरान प्रतिदर्श जिलों में धन की उपलब्धता मैनुअल अभिलेखों एवं प्र सू प्र में दर्ज आँकड़ों में 2 से 62 *प्रतिशत* की भारी विसंगति परिलक्षित हुईं। इन जिलों में इसी अवधि के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष भिन्नता का *प्रतिशत* 0.02 से 71 *प्रतिशत* के मध्य ***(परिशिष्ट 1.2.2)*** था। शासन द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि भविष्य में कमियों से बचने हेतु आवश्यक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा नि भा अ निधियों के लेनदेन से सम्बन्धित प्र सू प्र में रखे गये आँकड़ों का मैनुअल अभिलेख से मिलान का कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक (नवम्बर 2014) प्रारम्भ नहीं किया गया था।

1.2.7.5 दिशानिर्देशों का अनुसरण किये बिना प्रोत्साहन राशि की अवमुक्ति

दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीयों को व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि केवल उनकी उपलब्धियों के सत्यापन/पहचान अर्थात शौचालय के निर्माण एवं उपयोग के पश्चात दिया जा सकता है।

चार नमूना जांच जिलों के अभिलेखों में पाया गया कि बिना शौचालय के निर्माण के सत्यापन/पहचान के रू 34.84 लाख[11] के चेक ग्राम पंचायतों को निर्गत किये गये परिणामस्वरूप, चेक कालातीत हो गये एवं 2009-14 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा जि प प्र इ को वापस कर दिया गया। सम्बन्धित जि प प्र इ द्वारा यह चेक पुनर्वैध नहीं किया गया। इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा गलत सूचना मुहैया कराये जाने के कारण निर्गत हो गये थे, अतः चैक पुनर्वैध नही किया गया। यह इंगित करता है कि जि प प्र इ द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्रियाकलापों का बिना निर्धारित भौतिक सत्यापन के चेक निर्गत किये गये।

1.2.7.6 ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित निधियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को अवमुक्त निधि ₹ 20.92 करोड़ की राशि की प्राप्ति रसीद चयनित जि प प्र इ द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी। यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों को प्रोत्साह्न राशियां चैक/नगद के रूप में दी जा रही थीं।

वित्तीय नियमों के प्रतिकूल, यह पाया गया कि प्रोत्साहन राशियां, जिन्हें ग्राम पंचायतों को वितरित की गई थीं, सम्बन्धित ग्राम पंचायतो से बिना रसीद प्राप्तियों के व्यय के रूप में दिखाई गयी थीं। सम्पूर्ण प्रोत्साहन राशियों को सम्बन्धित जि प प्र इ के खाताबाही में एवं अन्य वित्तीय खातों में अग्रिम व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया था। नमूना जांच ग्राम पंचायतों में पाया गया कि सम्बन्धित जि प प्र इ द्वारा अवमुक्त निधि ₹ 8.87 लाख[12] की राशि ग्राम निधि खाते में अवितरित पड़ी रही। शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि लाभार्थियों को राशि सीधे प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

1.2.7.7 असमायोजित अग्रिम

नि भा अ योजना के अन्तर्गत जि प प्र इ द्वारा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं[13] (स सं) को शौचालय निर्माण के लिए निधियाँ स्थानान्तरित की गयी थीं। जिसके सापेक्ष इन सहयोगी संस्थाओं को शौचालय निर्माण के पश्चात इन निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सम्बन्धित सहयोगी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण राज्य में ₹ 219.06 लाख की राशि असमायोजित पड़ी रही (मई 2014)। इस राशि में से, ₹ 130.06 लाख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं ₹ 71.98 लाख अ जि शि अ/ जि शि अ के पास पड़ी रही।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जा चुका है और लम्बित प्रकरणों को समाप्त करने के लिये निरन्तर समीक्षा बैठकें की जा रही थीं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जि प प्र इ, अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 2011-12 में 80 स्कूल शौचालयों के लिये (जि शि अ), अल्मोड़ा को ₹ 38,500 प्रति शौचालय के हिसाब से (अनुमोदित सूची के अनुसार) दो किस्तों में ₹ 30.80 लाख प्रदान किये गये थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, द्वितीय एवं अन्तिम किशत शौचालय बनने, पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति करनें, सम्बन्धित विद्यालय द्वारा फोटोग्राफ प्रस्तुत करने एवं जि शि अ तथा

---

[11] देहरादूनः ₹ 2.07 लाख, पौड़ीः ₹ 22.69 लाख, अल्मोड़ाः ₹ 9.38 लाख एवं उधमसिंह नगरः ₹ 0.70 लाख।

[12] देहरादूनः ₹ 3.01 लाख, पौड़ीः ₹ 4.33 लाख, अल्मोड़ाः ₹ 0.33 लाख एवं उधमसिंह नगरः ₹ 1.20 लाख।

[13] जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और गैर स्वय सेवी संस्थाएं।

जि प प्र इ कर्मियों द्वारा शौचालयों का भौतिक सत्यापन किये जाने के बाद प्रदान किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि जि शि अ द्वारा ₹ 30.80 लाख का अन्तिम समायोजनार्थ हेतु 80 नये विद्यालय/शौचालयों का कार्यपूर्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया था। जि प प्र इ द्वारा शौचालयों की अनुमोदित सूची के अनुसार पूर्ण निर्माण का पता लगाए और भौतिक सत्यापन किए बिना ही राशियों का समायोजन कर दिया गया।

शासन द्वारा स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि यदि नि भा अ के स्वीकृती के समय, किसी अन्य निधिगत अभिकरण द्वारा पहले ही कार्य शुरू कर दिया गया था तथा वे अपरिपूर्ण विद्यालयों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये थे, तार्किक रूप से सूची अलग होगी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जि प प्र इ को अनुमोदित सूची को ध्यान में रखने तथा सम्बन्धित जि शि अ को अन्तिम किश्त देने के समय निर्माण का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये था।

1.2.7.8 एक से अधिक बैंक खातों का संचालन

नि भा अ दिशानिर्देशों के अनुसार, नि भा अ के अन्तर्गत प्राप्ति निधि (भारत सरकार और राज्य सरकार अंश) को प्रत्येक स्तर पर (राज्य और जिला) पृथक बचत बैंक खातों में रखे जाने थे। इस खाते से प्राप्त व्याज को नि भा अ के अन्तर्गत प्राप्ति निधि के रूप में प्रयोग में लाना था।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि नि भा अ निधि को लेखापरीक्षा तिथि (जून/अक्टूबर 2014) तक जि प प्र इ, देहरादून द्वारा तीन बैंक खातों में एवं जि प प्र इ, उधमसिंह नगर द्वारा दो बैंक खातों में रखा गया था। शासन द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि जि प प्र इ स्तर पर एक से अधिक खोले गये खातों को बन्द करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

1.2.8 योजना का कार्यान्वयन

1.2.8.1 लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायतों को निर्मल बनाने के लिए, योजना में व्य आ शौ (बी पी एल) घटक के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों को तैयार किया जाना था। निर्धारित समय में निर्मल राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जाना था।

वर्षवार राज्य एवं जिलास्तर पर व्य आ शौ (बी पी एल) के लक्ष्यों और की गयी उपलब्धियों का विवरण नीचे **तालिका** 1.2.3 में दिया गया है।

तालिका 1.2.3

व्य आ शौ स्तर पर	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
राज्य	92,354	55,874	98,748	52,324	78,315	51,998	64,219	37,554	44,922	25,899	3,78,558	2,23,649 (41)
देहरादून	13,983	5,850	10,312	7,110	6,047	3,325	5,246	4,108	3,600	3,251	39,188	23,644 (40)
पौड़ी	11,357	5,566	11,847	5,045	11,847	6,722	11,847	4,910	7,559	4,157	54,457	26,400 (52)
अल्मोड़ा	6,119	4,855	8,000	4,574	12,432	6,749	10,786	6,523	10,786	4,820	48,123	27,521 (43)
उधमसिंह नगर	10,315	4,453	7,906	6,214	9,599	5,616	3,897	2,160	4,141	1,612	35,858	20,055 (44)

स्रोतः सम्बन्धित जि प प्र इ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, ल-लक्ष्य, उ- उपलब्धि

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में कमी को दर्शाते हैं

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में व्य आ शौ (बी पी एल) के लक्ष्यों के सापेक्ष सम्पूर्ण उपलब्धियों में 41 *प्रतिशत* की कमी थी। आच्छादित अवधि 2009-14 के दौरान चार चयनित जिलों में कमी 40 से 52 *प्रतिशत* के मध्य थी। यह भी पाया गया कि व्य आ शौ लक्ष्यों को निर्धारित करने में लाभार्थीवार केन्द्रित

दृष्टिकोण नहीं था। इसके स्थान पर शौचालय विहीन घरों की संख्या को उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एकमुश्त लक्ष्य के रूप में ले लिया गया।

शासन ने अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि 4,41,631 के लक्ष्य थे जिसके सापेक्ष 4,11,629 (93 *प्रतिशत*) शौचालय बनाये गये। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग के द्वारा प्रथम प का यो से सचंयी उपलब्धियां दर्शायी जा रही है। हांलाकि, लेखपरीक्षा ने आच्छान अवधि (2009-14) के दौरान बी पी एल उपलब्धियों पर ही अपनी टिप्पणी दी थी जिसमें चार नमूना जांच जिलों में 40 से 52 *प्रतिशत* के मध्य कमी थी।

1.2.8.2 व्य आ शौ हेतु लाभार्थियों का चयन

नि भ अ कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बी पी एल परिवारों तथा ए पी एल परिवारों अनु.जा./अनु.ज.जा., लघु एवं उपांतिक कृषकों, छोटे-छोटे घरों में रहने वाले मजदूरों, भूमिहीन, शारीरिक विकंलागों एवं महिला मुखिया घरों तक सीमित ए पी एल परिवारों को आच्छादित किया जाना था। परिवारों को नकद भुगतान शौचालय के पूर्ण एवं उपयोग होने तथा उसके उद्देश्य पूर्ण होने के बाद दिया जाना था।

चयनित जिलों की नमूना अभिलेखीय जांच में पाया गया कि व्य आ शौ (बिना कोई क्षेत्र विशेषित लक्ष्यों के) निर्मित किये गये थे, उनका भौतिक सत्यापन किया गया था एवं प्रोत्साहन राशियां शौचालय निर्माण एवं प्रयोग में लाये जाने के बाद ही प्रदान की गयी थीं। तथापि, 90 ग्राम पंचायतों के 871 परिवारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन निम्नलिखित प्रदर्शित करता था :

- 48 व्य आ शौ लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ था किन्तु उनको वितरित किये जाने हेतु प्रोत्साहन राशियां ग्रामनिधि में प्रेषित की गयी थी।
- दस व्य आ शौ का निर्माण कराया गया और परिवारों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया। तथापि, अधिकांश शौचालय अनुपयोगी एवं घास-फूस एवं अन्य कच्चे पदार्थों से ढके हुए पाये गये।

शासन ने आश्वासन दिया (नवम्बर 2014) कि प्रकरण की जांच की जाएगी।

1.2.8.3 परिपूर्णिता के लिए ग्राम पचांयतों का चयन

नि भा अ के दिशा निर्देशों के अनुसार, वा का यो को ग्राम पचांयतों, जो वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में निर्मल की जा सकें, की पहचान के आधार पर परिपूर्णिता तक पहुंच का अनुरसण करते हुए, व्यापक स्वच्छता एवं जलाच्छादन पर प्रकाश डालते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

प प्र इ के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रदर्शित हुआ कि कुल 7,555 ग्राम पंचायतों में से, केवल 306 (चार *प्रतिशत*) ही मार्च 2014 तक राज्य में परिपूर्णिता का स्तर प्राप्त कर पायीं। जिले की कुल ग्राम पंचातयों की संख्या (ल), परिपूर्णिता के लिए प्रस्तावित ग्राम पचांयते (प्र) एवं परिपूर्णिता प्राप्त (उ) ग्राम पचांयतें जैसा कि चयनित जि प प्र इ द्वारा सूचित किया गया था, का विवरण **तालिका 1.2.4** के अनुसार है।

तालिका 1.2.4

वर्ष	देहरादून			पौड़ी			अल्मोड़ा			उधमसिंह नगर		
	ल	प्र	उ	ल	प्र	उ	ल	प्र	उ	ल	प्र	उ
2009-10	403	64	64	1,208	20	46	1,146	00	00	309	00	00
2010-11		36	36		20	19		00	00		00	00
2011-12		17	17		20	10		00	00		00	00
2012-13		05	05		20	10		00	00		00	00
2013-14		08	08		20	10		00	00		00	00
कुल	**403**	**130**	**130**	**1,208**	**100**	**95**	**1,146**	**00**	**00**	**309**	**00**	**00**

स्रोत: आकड़े सम्बन्धित जि प प्र इ द्वारा उपलब्ध करवाये गये

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर जिलों से कोई भी ग्राम पचांयत परिपूर्णिता के लिए प्रस्तावित नहीं थी बावजूद इसके कि वहाँ कुल 1,455 ग्राम पचांयतें थीं। देहरादून एंव पौड़ी जिलों में लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था, यद्यपि संख्या निम्न थी।

1.2.8.4 अस्वच्छ शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन

नि भा अ दिशानिर्देशों में स्पष्टतया निर्धारित है कि जिलों में बने सभी बकेट/अस्वास्थ्यकर शौचालयों[14] को स्वास्थ्यकर शौचालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

प प्र इ के अभिलेखों के अनुसार, राज्य में कुल 1,242 बकेट/अस्वास्थ्यकर शौचालय थे। जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि (नवम्बर 2014) तक मात्र 736 (59 *प्रतिशत*) को स्वास्थ्यकर शौचालयों[15] में परिवर्तित किया गया। नमूना जांच जिलों की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि देहरादून में केवल 39 *प्रतिशत* (61 अस्वास्थ्यकर/शौचालयों में से 24) ही परिवर्तित की गयी तथा पौड़ी एवं अल्मोड़ा जिलों के प्रकरणों में, आच्दादित समयावधि तक किसी भी परिवर्तन की सूचना नहीं थी।

उत्तर में प प्र इ देहरादून द्वारा कोई कारण न बताते हुए अवगत कराया गया कि अवशेष लक्ष्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्यकर शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा।

1.2.8.5 सामुदायिक शौचालय

सा शौ नि भा अ का एक एकीकृत घटक है। सा शौ सीटों की उपयुक्त संख्या को शामिल करते हुए बनाये जाने चाहिए तथा गांव में ऐसी जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां सबको स्वीकार हो एवं सबकी पहुंच हो और जहां जगह के अभाव में व्य आ शौ नहीं बनाये जा सकते।

योजना के अन्तर्गत वा का यो में प्रस्तावित सा शौ के सापेक्ष वास्तविक बनाये गये सा शौ का विवरण **तालिका 1.2.5** के अनुसार है।

तालिका 1.2.5

राज्य/जनपद	कुल संख्या			
	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	वा का यो में प्रस्तावित सा शौ	मार्च 2014 तक निर्मित सा शौ
राज्य	95	7,555	470	109
देहरादून	06	403	0	0
पौड़ी	15	1,208	50	10
अल्मोड़ा	11	1,146	40	30
ऊधमसिंह नगर	07	309	50	0

स्रोतः चयनित जिलों से प्राप्त सूचना

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, राज्य स्तर पर मार्च 2014 तक वा का यो में प्रस्तावित सा शौ के सापेक्ष केवल 23 *प्रतिशत* सा शौ ही निर्मित किये गये जबकि नमूना जांच जिलों में उपलब्धि केवल 29 *प्रतिशत* थी। अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों के चयनित विकासखण्डों में आने वाले छः सा शौ[16] में से तीन का निर्माण मंदिर परिसर के समीप, दो संबंधित गांवों में एवं एक का निर्माण बाजार में किया गया। इस प्रकार

---

[14] अस्वास्थ्यकर शौचालय का मतलब है कि शौचालय जिसमें मानव मल को हाथ से साफ किया जाता है।

[15] स्वास्थ्यकर शौचालय का मतलब है कि शौचालय जो स्वच्छता प्रणाली के अनतर्गत इस्तेमाल किये जाते हैं।

[16] ग्राम पंचायतें : सैंज, सरकार की आली, रैलाकोट, नौला (अल्मोड़ा का हवलबाग प्रखंड), लिंगुड़ता (अल्मोड़ा का बसियाचन्ना प्रखण्ड) और उफल्दा (पौड़ी का फैड़ी प्रखण्ड)।

सा शौ का निर्माण बिना आकलन के किया गया जिसकी पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणामों से होती है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- रैलाकोट (अल्मोड़ा) सा शौ पर ग्राम पंचायत के 15 परिवारों (व्य आ शौ से वंचित) द्वारा बताया गया कि सा शौ को इस्तेमाल किया जा सकता था यदि इनका निर्माण बस्ती के समीप किया जाता।
- सरकार की आली (अल्मोड़ा) सा शौ में दो शौचालय शीट के स्थान पर केवल एक शीट बनायी गयी तथा मूत्रालय पॉट टूटा हुआ पाया गया। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी एवं शौचालय मैला (गंदगी के कारण इस्तेमाल लायक नहीं) था। सैंज (अल्मोड़ा) में निर्मित सा शौ का इस्तेमाल कभी-कभी किया जाता था लेकिन वह भी गंदा था।
- नौला एवं लिंगुड़ता (अल्मोड़ा) में निर्मित सा शौ अच्छी स्थिति में पाए गए जबकि उफल्डा, पौड़ी जिले में निर्मित एक शौचालय अत्यन्त खराब स्थिति में पाया गया और यह अन्दर व बाहर दोनों तरफ गन्दा था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया (नवम्बर 2014) कि भूमि अधिग्रहण एवं परिचालन तथा मरम्मत सामुदायिक शौचालयों के बड़े मुद्दे हैं और यह बताया गया कि वर्तमान वर्ष (2014-15), में 72 इकाई निर्मित होना प्रस्तावित है जिसमें से 26 निर्माणाधीन हैं।

1.2.8.6 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

नि भा अ के दिशानिर्देशों के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (रा ज स्व मि) नि भा अ के उद्देश्यों, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार को पूरा करने का एक मुख्य घटक था। रा ज स्व मि को प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजना रूप में लिया जाना था। इस घटक में सामूहिक कम्पोस्ट पिटों, कम लागत की नालियां, सोख्ता पिटों, खराब जल का पुर्नप्रयोग, संग्रहण प्रणाली, आवासीय कूड़े का संग्रहण, प्रथक्करण एवं निस्तारण इत्यादि जैसी गतिविधियों को लिया जाना था।

नमूना जांच जिलों के अभिलेखों की जाँच अवधि 2009-14 के दौरान रा ज स्व मि की विभिन्न गतिविधियों में किये गये निम्नलिखित व्यय को दर्शाती है जिसका विवरण **तालिका 1.2.6** में है।

तालिका 1.2.6 *(₹ लाख में)*

जिला	गतिविधि	संख्या	कुल व्यय
देहरादून	0	0	0
पौड़ी	कूड़ा पिट	76	3.46
अल्मोड़ा	कम्पोस्ट पिट	442	10.79
	जलजमाव पिट	12	
	कूड़ा पिट	17	
ऊधमसिंह नगर	कम्पोस्ट पिट	9	0.19

स्रोतः प्रतिदर्श जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ो के अनुसार

तालिका से यह देखा जा सकता है कि देहरादून में कोई भी रा ज स्व मि गतिविधि नहीं की गयी। जि प प्र इ, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सभी निर्माण कार्य (अल्मोड़ा जिले के सरसू ग्राम पंचायत में ₹ 34,500 की लागत से निर्मित केवल एक कूड़ा पिट को छोड़कर) केवल व्य आ शौ हेतु कराये गये जो प्रावधानों के दिशानिर्देशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि रा ज स्व मि गतिविधियों को परियोजना रूप में राज्य की किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं लिया गया था जैसा कि नि भा अ दिशानिर्देशों में प्रावधानित है।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और कहा गया (नवम्बर 2014) कि यह गतिविधि वर्ष 2014-15 के लिए परियोजना रूप में ली गयी है।

1.2.8.7 आँगनबाड़ी शौचालय

नि भा अ के दिशानिर्देश में उल्लेखित है कि सरकारी भवन में स्थित प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक बाल सुलभ शौचालय बनाया जाना चाहिए। उन आंगनबाड़ियों में, जो निजी भवनों में हैं, डिजाइन के अनुसार शौचालय बनाये जाने को मकान मालिक से कहा जाना चाहिए या नि भा अ के रेवोलविंग फ़ंड घटक से बनाया जा सकता है।

नमूना जांच जिलों में लेखापरीक्षा अनुरोध के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना, जैसे सरकारी व निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ियों की संख्या, शौचालय युक्त एवं शौचालय विहीन आंगनबाड़ियों से संबंधित सूचना एवं बाल सुलभ शौचालय युक्त आंगनबाड़ियों की संख्या से संबंधित सूचना देने में असमर्थ थे। उक्त आकड़ों एवं अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में इन जिलों में बाल सुलभ शौचालयों के निर्माण पर कोई टिप्पणी नहीं कि जा सकी।

निम्नांकित सूचना लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जि का अ) एवं जि प प्र इ से संग्रहीत की गयी। चयनित जिलों में शौचालय विहीन संचालित आंगनबाड़ियों का विवरण **तालिका 1.2.7** के अनुसार था:

तालिका 1.2.7

जिला	जि का अ (आइसीडीएस) के अनुसार शौचालय विहीन आँगनबाड़ियों की संख्या	जि प प्र इ के अनुसार शौचालय विहीन आंगनबाड़ियों की संख्या (2013-14 की वा का यो)
देहरादून	1,135	48
पौड़ी	1,345	23
अल्मोड़ा	170	07
ऊधमसिंह नगर	00	75

स्रोतः सम्बन्धित जि प प्र इ एवं जि का अ की सूचना पर आधारित

उपरोक्त तालिका से साक्ष्यांकित है कि सम्बन्धित जि का अ एवं जि प प्र इ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के दो सैटों में भिन्नता थी।

प्रतिदर्श जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच पाया गया कि देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में कोई भी आँगनबाड़ी शौचालय निर्मित नहीं किये गये। तथापि, आच्दादित अवधि के दौरान पौड़ी एवं अल्मोड़ा में क्रमशः 23 व तीन शौचालयों का निर्माण किया गया था। शासन द्वारा बताया गया (नम्वबर 2014) कि सम्बन्धित जि का अ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी को सम्मिलित करते हुए थे जबकि जि प प्र इ के आंकड़े केवल सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी के थे और यह कहा गया कि एक आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण हेतु ₹ 10,000 की प्रोत्साहन राशि अपर्याप्त होने के कारण आंगनबाड़ियों द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों आंकड़े बिना शौचालय वाले आंगनबाड़ियों की संख्या को प्रदर्शित करते थे जोकि लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण को सही ठहराते हैं। इसके अतिरिक्त, निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ियों में रिवोल्विंग फ़ंड का प्रयोग करते हुए शौचालय निर्मित कराये जा सकते थे।

1.2.8.8 अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना

लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एवं उसके वितरण की जांच करने के लिए प्रत्येक खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया था। जिला देहरादून के सहसपुर विकासखण्ड की लेखापरीक्षा के

दौरान, 10 चयनित ग्राम पंचायतों में से केवल 4[17] ने ही नि भा अ कार्यक्रम के अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया। इसी तरह जिला पौड़ी के दुगड्डा विकासखण्ड की दो ग्राम पंचायतों[18] और ऊधमसिंह नगर के बाजपुर विकासखण्ड की एक ग्राम पंचायत[19] ने अपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ रही कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया या नहीं।

1.2.9 निर्मल ग्राम पुरस्कार

1.2.9.1 निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया

वर्ष 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु पंचायत राज संस्थान जिले के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिला प्रभारी अधिकारी तथ्यों को सत्यापित करेगा और आवेदन के योग्य पाये जाने पर पंचायत राज संस्थान की राज्य सरकार से सिफारिश करेगा।

प प्र इ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु 573 ग्राम पंचायतों[20] की एक सूची भारत सरकार को अग्रेषित की गयी। 2009-11 की अवधि के दौरान इनमें से भारत सरकार द्वारा केवल 107 ग्राम पंचायतों[21] का ही चयन किया गया एवं 466 (81 *प्रतिशत*) ग्राम पंचायतों को अस्वीकार किया गया। खुले में शौच, गलियों में कूड़ा-करकट, बंद नालियों, विद्यालयों के नजदीक खुले में मूत्र विसर्जन, निरीक्षित परिवारों के शौचालय की सुविधा न होना और कूड़ा संग्रहण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित न होने जैसे कारणों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार द्वारा इन आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2011-12 की 101 ग्राम पंचायतों का निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु परिणाम भारत सरकार की ओर से लंबित है। वर्ष 2012-14 में निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु कोई भी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी। जिला एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय स्वयं दर्शाता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखे बिना एवं आवेदन पत्रों को सही परीक्षण किये बिना अग्रसारित किया गया।

विगत दो वर्षों में निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु संसाधित चयनित जिलों के ग्राम पंचायतों के विवरण को **तालिका 1.2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि जिन ग्राम पंचायतों को पूर्व में चयनित नहीं किया गया था, राज्य कर्मियों द्वारा वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना, उन्हीं ग्राम पंचायतों को विगत दो वर्षों में लगातार संसाधित एवं नामांकित किया गया। यह लेखापरीक्षा के कथन की पुष्टि करता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पत्रों का सही सत्यापन नहीं किया गया था।

तालिका 1.2.8

जिले का नाम	वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित एवं अस्वीकृत ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010-11 में पुनः प्रस्तावित एवं अस्वीकृत उन्हीं ग्राम पंचायतों की संख्या
अल्मोड़ा	06	05
पौड़ी	10	10
उधमसिंह नगर	04	02
देहरादून	29	20

स्रोतः विवरण, चयनित जि प प्र इ के अभिलेखानुसार

[17] धूलकोट, रामपुर भाऊवाला, क्यारकुली भट्टा और आरकेडिया ग्रान्ट।

[18] ग्रास्टन गंज और पदमपुर मोटाढाक।

[19] बेरिया दौलत

[20] 282 ग्राम पंचायतें वर्ष 2009-10 में एवं 291 ग्राम पंचायतें वर्ष 2010-11 में।

[21] 44 ग्राम पंचायतें वर्ष 2009-10 में एवं 63 ग्राम पंचायतें वर्ष 2010-11 में।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2014) कि दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगर विभाग द्वारा पूर्व में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु अस्वीकृत ग्राम पंचायतों की स्थिति 81 *प्रतिशत* तक न होती।

1.2.9.2 प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया

दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कोई ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत सम्मान के लिए चयनित होती है तो उसे पुरस्कार राशि दो समान किश्तों में दी जायेगी। ग्राम पंचायतों को पुरस्कार हेतु चयनित किये जाने के पश्चात प्रथम किश्त तुरन्त निर्गत की जायेगी। द्वितीय किश्त इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राम पंचायते खुले में शौच का अभाव और निर्मल ग्राम की स्थिति बरकरार रख रही है। इस उद्देश्य हेतु सभी पुरस्कृत ग्राम पंचायतों का छः माह के पश्चात राज्य की जिला पेयजल स्वच्छता समिति (डी डब्लू एस एम) द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण किया जायेगा। यदि खुले में शौच का अभाव एवं निर्मल ग्राम की स्थिति बरकरार रहती है तो राज्य की जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा द्वितीय किश्त भी निर्गत की जायेगी।

चार नमूना चयनित जिलों की चयनित 37 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 34 निर्मल ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दिशानिर्देशों के विपरीत 28 निर्मल ग्राम पंचायतों[22] को दो किश्तों के बजाय एक किश्त में ही प्रोत्साहन राशि निर्गत की गयी, छः निर्मल ग्राम पंचायतों[23] को दो किश्तों में राशि निर्गत की गयी किन्तु द्वितीय किश्त निर्गत करने से पूर्व कोई भी सत्यापन नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान 14 निर्मल ग्राम पंचायतों[24] को 36 से 89 दिनों के विलम्ब से प्रोत्साहन राशि निर्गत की गयी जबकि उक्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चयनित किये जाने के पश्चात राशि तुरन्त निर्गत की जानी चाहिए थी।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2014) कि दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन हो रहा था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए 28 निर्मल ग्राम पंचायतों को दो के स्थान पर एक किश्त में राशि निर्गत की गयी जबकि छः निर्मल ग्राम पंचायतों को बिना सत्यापन के द्वितीय किश्त निर्गत की गयी।

1.2.9.3 निर्मल ग्राम की स्थिति को बनाये न रख पाना

राज्य एवं जिला को सही अनुश्रवण के माध्यम से निर्मल ग्राम की स्थिति की निरन्तरता को सुनिश्चित करना चाहिए। जिला जल एवं स्वच्छता समिति को यादृच्छिक निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें अपनी निर्मल ग्राम की स्थिति को बरकरार रख रही हैं।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि, 2009-14 की अवधि के दौरान नमूना जांच जिलों में विकासखण्ड एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कोई भी अनुश्रवण/यादृच्दिक निरीक्षण नहीं किया गया जैसा दिशा-निर्देशों में बताया गया है। इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2009-10 से 2010-11 में निर्मल ग्राम घोषित की गयी ग्राम पंचायतें अपनी स्थिति बरकरार नहीं रख पायी। नमूना जांच शौचालय विहीन निर्मल ग्राम पंचायतों के परिवारों को **तालिका 1.2.9** में दर्शाया गया है।

---

[22] 23 ग्राम पंचायतें अल्मोड़ा में, 02 निर्मल ग्राम पंचायत पौड़ी में तथा 03 ऊधमसिंह नगर।

[23] 01 ग्राम पंचायत अल्मोड़ा में, 02 ग्राम पंचायतें देहरादून तथा 03 ग्राम पंचायतें ऊधमसिंह नगर में।

[24] 13 अल्मोड़ा में तथा 01 ऊधमसिंह नगर में।

तालिका 1.2.9

जिला	निर्मल ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	जांच किये गये निर्मल ग्राम पंचायतों की संख्या	परिवारों की कुल संख्या	वर्ष 2013 के आधारभूत सर्वे के अनुसार शौचालय विहीन परिवारों की संख्या		
				बी पी एल	ए पी एल	योग
अल्मोड़ा	24	22	2,133	512	690	1,202
पौड़ी	05	03	280	38	66	104
उधमसिंह नगर	04	03	1,412	03	03	06
योग	33	28	3,825	553	759	1,312

स्रोतः सम्बन्धित डी पी एम यू द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों के अनुसार

तालिका से स्पष्ट है कि 34 *प्रतिशत* परिवार शौचालय विहीन थे। इस प्रकार, निर्मल ग्राम की स्थिति के बावजूद उक्त ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त नहीं थीं जोकि स्वयं निर्मल ग्राम की स्थिति को नकारता है। यह भी देखा गया कि निर्मल ग्राम पंचायतें अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की तरह कार्य नहीं कर रही थीं क्योंकि निर्मल ग्राम पंचायत हेतु इच्छुक किसी भी ग्राम पंचायत को कोई प्रशिक्षण नही दिया गया। इसे इंगित किये जाने पर जि प प्र इ ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में सुधारात्मक उपाय किये जायेगें।

कुल 37 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 10 निर्मल ग्राम पंचायतों का संयुक्त निरीक्षण का परिणाम निम्नवत पाया गयाः-

- 10 में से 5 निर्मल ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि 28 परिवारों के पास निर्मल ग्राम पुरस्कार (2009-11) से पूर्व शौचालय नहीं थे।
- जैसा कि दिशा-निर्देशिका में निर्दिष्ट है, 10 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम घोषित किये जाने के पश्चात इनमें से किसी भी निर्मल ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण नहीं किया गया।
- 10 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 8 निर्मल ग्राम पंचायतों में जल जमाव एवं जाम नालियां जमा पायी गयीं।
- दो स्कूल/इंटर कालेज में 10 शौचालयों के होने के बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मानव मल तथा खुले में मूत्र विसर्जन देखा गया।
- 10 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 7 में कूड़ा करकट एवं जानवरों का मल घरों के आगे पाया गया।

1.2.9.4 प्रोत्साहन राशि का उपयोग

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले पंचायत राज संस्थानों को उसका उपयोग अपने क्षेत्र में स्वच्छता की सुविधाओं को सुधारने एवं अनुरक्षण में करना चाहिए। प्रोत्साहन राशि का उपयोग सा शौ की सुविधाओं का अनुरक्षण एवं खुले में शौच रहित स्थिति को बरकरार रखना, अतिरिक्त स्वच्छता सुविधा का सृजन, ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबन्धन की आवश्यकता, वानस्पतिक खाद को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों हेतु शौचालय को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा के नीचे अनु.जा./अनु.ज.जाति परिवारों हेतु शौचालय मुहैया कराना एवं अन्य कोई नवीन मामले जैसे गतिविधियों में किया जाना चाहिए।

37 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 11 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इन निर्मल ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 10.50 लाख की प्रोत्साहन राशि के कुल खर्च में से कोई कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। इसके विपरीत, निर्मल ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार की राशि को तम्बू एवं बर्तन खरीदने, जल पाईप लाईन बिछाना, प्राथमिक विद्यालय की छत के निर्माण, ग्राम पंचायत का प्रवेश द्वार बनवाना, पाईप खरीदने, गलियों के निर्माण इत्यादि जैसे गतिविधियों पर व्यय किया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2014) कि दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा था। जबकि विभाग के अभिलेख शासन के इस दावे का खंडन करते हैं।

1.2.10 सूचना, शिक्षा एवं संचार

सू शि सं गतिविधियां इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग को गति प्रदान करना था। राज्यों को लोक मीडिया, जनसंपर्क मीडिया एवं आउटडोर मीडिया के सहयोग से अपनी निजी क्षेत्र विशेष रणनीति बनानी चाहिए थी। प्रत्येक परियोजना जिले को समुदाय के सभी वर्गों तक संपर्क की परिभाषित रणनीतियों वाली वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) के साथ विस्तृत सू शि सं योजना तैयार करनी चाहिए।

प्रतिदर्श जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, परिभाषित रणनीतियों वाली वा का यो के साथ विस्तृत सू शि सं योजनायें कहीं नहीं पायी गईं। वा का यो में केवल गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण और प्रस्तावित व्यय को शामिल किया गया था। इस प्रकार, सू शि सं गतिविधियों को दिशानिर्देशों के प्राविधानों के अनुसार नहीं लिया गया था।

प्रतिदर्श जिलों के अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि 2011-14 की अवधि के दौरान विभिन्न सू शि सं गतिविधियों जैसे गीत एवं नाटक, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, मेला, विज्ञापन बोर्ड, समूह बैठक, सहभागिता पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन, प्रदर्शनी, स्कूल रैली, कार्यशाला एवं पारस्परिक संचार के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में 33 *प्रतिशत* से 81 *प्रतिशत* की कमी[25] थी। परिणामतः आच्छादन अवधि के दौरान गतिविधियों पर किये गये कुल व्यय ₹ 40.86 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 1.90 करोड़ (5 *प्रतिशत*) ही उपयोग किया गया। यह व्यय नमूना जांच जिलों के कुल व्यय के 15 *प्रतिशत* तक की निर्धारित प्रतिशतता से कम था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने सू शि सं गतिविधियों में कमी को स्वीकार किया और बेहतर सू शि सं गतिविधियों की आवश्यकता पर बल दिया।

1.2.11 अभिसरण

नि भा अ दिशा निर्देशों के अनुसार, जिला स्तर पर एक जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया जायेगा। अन्य जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी[26] इसके प्रतिनिधि और जाने-माने गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य होने चाहिए। इसे दूसरे प्रकार के विभागों के साथ अभिसरण तंत्र युक्त जिला नि भा अ परियोजना का नियोजन एवं कार्यान्वयन करना चाहिये।

- चयनित जिलों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि अन्य जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिधियों के रूप में जि ज स्व मि में शामिल नहीं किया गया था। अतः दूसरे प्रकार के विभाग के साथ अभिसरण के उद्देश्य पूरे नहीं हुये।

---

[25] गीत एवं नाटक : 71 *प्रतिशत*, दीवार लेखन : 76 *प्रतिशत*, नुक्कड़ नाटक : 56 *प्रतिशत*, मेला : 77 *प्रतिशत*, विज्ञापन बोर्ड : 61 *प्रतिशत*, समूह बैठक : 77 *प्रतिशत*, सहभागिता पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन : 47 *प्रतिशत*, प्रदर्शनी : 66 *प्रतिशत*, स्कूल रैली : 69 *प्रतिशत*, वर्कशाप : 33 *प्रतिशत* और पारस्परिक संचार : 81 *प्रतिशत* ।

[26] कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, समाज कल्याण, आई सी डी एस, पी एच ई डी, जल संसाधन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों के अधिकारी।

इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) के साथ अभिसरण

- चार प्रतिदर्श जिलों के नौ चयनित विकासखण्डों में 3,946[27] आई ए वाई लाभार्थियों (2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिनको नि भा अ निधि से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी चाहिये) में से केवल 1,215[28] (31 *प्रतिशत*) को आच्छादन अवधि 2009-14 के दौरान प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी।

मनरेगा के साथ अभिसरण

- नि भा अ दिशा निर्देशो के अनुसार, मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्य आ शौ का निर्माण, आँगनबाड़ी/स्कूल शौचालय और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन जैसी गतिविधियों को लिया जाना था।
- चार चयनित जिलों की नमूना जांच में देखा गया कि आच्छादन अवधि 2009-14 के दौरान किसी भी जिले में व्य आ शौ लाभार्थियों, जिन्होंने मनरेगा निधि से व्यक्तिगत शौचालय बनाये थे, को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी थी; केवल ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2013-14 के दौरान 222 लाभार्थियों को ₹ 10.21 लाख की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था।

शासन ने अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि जिला स्तरीय जि ज स्व मि का गठन उत्तराखण्ड सरकार के आदेश (मई 2005) के अनुसार किया गया है, और वे इस शासनादेश के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य कर रहे थे। आई ए वाई के साथ अभिसरण के सम्बन्ध में, शासन ने स्वीकार किया कि सुधार के लिये और अधिक सम्भावनाए थी। उत्तर स्वीकार नही है क्योंकि अन्य विभागों और एन जी ओ के निर्धारित प्रतिनिधित्व को दिशा निर्देशो के प्राविधानो के अनुसार जि ज स्व मि में शामिल नही किया गया था।

1.2.12 अनुश्रवण तंत्र

1.2.12.1 निरीक्षण

नि भा अ दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तर और जनपद स्तरीय अधिकारियों के नियमित क्षेत्र निरीक्षण द्वारा अनुश्रवण किया जाना आवश्यक था।

प प्र इ के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि नि भा अ निधि से की जा रही गतिविधियों हेतु एक क्षेत्र निरीक्षण समूह गठित किया गया था(अक्टूबर 2006)। तथापि, यह देखा गया कि अच्छादित अवधि 2009-14 के दौरान आवश्यक 360 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 67 निरीक्षण (19 *प्रतिशत*) किये गये थे।

चार प्रतिदर्श जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रदर्शित हुआ कि प प्र इ के निर्देशानुसार (नवम्बर 2008), अप्रैल 2012 तक केवल जि प प्र इ, ऊधमसिंह नगर द्वारा निरीक्षण किया गया था। तथापि, किसी अन्य चयनित जिलों में ऐसा कोई निरीक्षण नही किया गया था। यह भी देखा गया अप्रैल 2012 में प प्र इ के निर्देशों के बाद, ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा जिलों में क्षेत्र निरीक्षण शुरू किया गया। तथापि, ऐसी कोई जानकारी और अभिलेख अन्य दो जिलों, देहरादून और पौड़ी में नहीं उपलब्ध थे।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान, शासन ने स्वीकार किया की निरीक्षण किये जाने के लिए और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

1.2.12.2 राज्य समीक्षा मिशन का गठन न करना

नि भा अ के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन गठित किया जाना था, जिसे योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु उत्तरदायी होना था। यह भी अपेक्षित था कि विभिन्न नि भा अ

---

27 देहरादून 1553, पौड़ी 1008, अल्मोड़ा 498 एवं उधमसिंह नगर 887।

28 देहरादून 762, पौड़ी 198, अल्मोड़ा 234 एवं उधमसिंह नगर 21।

कार्यान्वयन वाले जिलों में समय समय पर समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया जाय।

प प्र इ के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा तिथि (जून 2014) तक समीक्षा मिशन गठित नही किया गया था। इसी प्रकार विभिन्न नि भा अ कार्यान्वयन वाले कार्यान्वयन वाले जिलों की समय समय पर समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर विशेषज्ञो का पैनल गठित नही किया गया था। शासन ने अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 से राज्य समीक्षा मिशन का गठन किया गया है।

1.2.12.3 स्वच्छता दिवस

नि भा अ दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह के एक विशेष दिन को **'स्वच्छता दिवस'** के नाम से मनाया जायेगा जिसका उद्देश्य पिछले माह में निर्मित शौचालयों की संख्या दर्ज करने के लिये, सू शि सं, मानव संसाधन विकास, रा ज स्व मि के अन्तर्गत किये गये क्रिया कलाप, सफाई कार्यों के लिये व्यक्तिगत मांग को चिन्हित करना, किये गये व्यय को सत्यापित करना, इत्यादि होगा।

चार चयनित जिलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि किसी भी ग्राम पंचायत में स्वच्छता दिवस नही मनाया गया था, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2014) कि 'स्वच्छता दिवस' मनाये जाने के लिये और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.2.12.4 विभागीय पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन

नि भा अ दिशा निर्देशों के अनुसार, नि भा अ परियोजना का अनुश्रवण सभी स्तरों पर किया जाना था। विकासखण्ड स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं अधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यक रूप से प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिये। जिला पंचायत के मुख्य अधिशासी अधिकारी/जिला जल एवं स्वच्छता समिति (जि ज स्व स) के सचिव द्वारा विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ माहवार योजना की प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर की जानी चाहिये। इसी तरह, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव द्वारा जिलों के अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाय।

चार चयनित जिलों के नौ चयनित विकासखण्डों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नि भा अ परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी स्तर पर अनुश्रवण नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि राज्य स्तर पर निर्धारित 20 समीक्षाओं के सापेक्ष केवल एक वीडियो कांफ्रेंस एवं एक बैठक (10 *प्रतिशत*) आयोजित की गई। आच्छादन अवधि के दौरान नि भा अ के क्रियान्वयन पर कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किये गये थे। इसके अलावा, मूल्याकंन अध्ययनों के किये जाने के संबंध में योजना में कोई वित्तीय प्रावधान या भारत सरकार के निर्देश नही थे।

शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये कहा (नवम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 में मूल्याकंन अध्ययन आयोजित किये जायेगे और अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासन ने अवगत कराया कि निदेशक स्तर पर नियमित मासिक/त्रैमासिक बैठकों में प्राप्त इनपुट के आधार पर संबंधित सचिव को संक्षिप्त विवरण हमेशा दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि लेखा परीक्षा को सचिव स्तर की केवल दो बैंठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध कराये गये।

निष्कर्ष

नि भा अ के कार्यान्वयन हेतु वा का यो को बनाते समय नीचे से ऊर्ध्वमुखी उपागम को नहीं अपनाया गया। दिशानिर्देशों के अपेक्षा अनुसार संस्थागत तंत्र कार्य नही कर रहा था जिसका परिणाम यह रहा कि अनुश्रवण में

कमी थी एवं सू शि सं के क्रियाकलाप के नियोजन कमजोर रहे। रा ज स्व मि द्वारा जिलों को निधियां दोनों सरकारों के सहभाजन एवं कोई घटकवार ब्यौरा दिये बिना एकमुश्त आधार पर एक से आठ माह की देरी के साथ निर्गत की जा रहीं थीं। विभिन्न जि ज स्व मि के पास 32 से 69 *प्रतिशत* तक राशि शेष बची हुई थी। नि भा अ की राशि का लेन देन मैनुअल अभिलेखों एवं एम आई एस अभिलेखों से मेल नहीं खा रहे थे। सड़कों पर कूड़ा करकट एवं खुले में शौच इत्यादि के आधार पर निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्बन्धित आवेदन पत्रों का निरस्त होने का प्रतिशत काफी ज्यादा था जिससे यह पता चलता है की निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों को अग्रेषित करने से पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सत्यापन नहीं किया गया था। जि ज स्व स के अन्दर दूसरे विभाग के जुड़े न होने के कारण अभिसरण प्रक्रिया का उद्देश्य असफल हुआ।

अनुशंसाएं

शासन/विभाग निम्नलिखित सुधारों पर विचार कर सकता हैः

(i) कार्यक्रम को लागू करने हेतु उत्तरदायी संस्थागत संरचना को दिशानिर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार मजबूत किया जाए;

(ii) निर्धारित समय में भौतिक सत्यापन किए जाएं एवं प्रत्येक स्तर पर राशि निर्गत करने मे होने वाली देरी को कम करने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं; और

(iii) स्वच्छता सुविधाओं की मांग को बढावा देने हेतु दिशानिर्देशिका के अनुसार सूचना शिक्षा एवं संचार के क्रियाकलाप की समुचित व्यवस्था की जाए।

उपरोक्त बिन्दु शासन को संदर्भित किये गये (नवम्बर 2014), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

मुख्यमंत्री कार्यालय

1.3 अनियमित व्यय

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अपात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को ₹ 2.53 करोड़ का भुगतान ।

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 के नियम 2 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री अपने विवेकानुसार व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निश्चित धनराशि[29] अनुदान के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, निर्धारित अनुदान की धनराशि ऐसे प्रकरणों में अधिक स्वीकृत कर सकते हैं जहाँ उनका विचार हो कि नियमों में वर्णित अनुदान की दर से अधिक स्वीकृत करना उचित होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (जनवरी, 2014) में प्रदर्शित हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान ₹ 2.53 करोड़ की धनराशि के 11 अनुदान, अपात्र[30] व्यक्तियों/संस्थाओं को स्वीकृत किये गये। ये व्यक्ति/संस्थाएं उन श्रेणियों में नहीं आते थे जो उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के पात्र थे। अतः ₹ 2.53 करोड़ का अनुदान इन लाभार्थियों को स्वीकृत करना विवेकाधीन कोष नियमावली का उल्लंघन था और इस प्रकार, अनियमित था।

यह इंगित किये जाने पर, मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने प्रत्युत्तर में कहा (जनवरी, 2014) कि सभी स्वीकृतियाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके विवेकानुसार दी गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को धनराशि/अनुदान की दर स्वीकृत (या अस्वीकृत) करने में कर सकते हैं परन्तु विवेकाधीन कोष नियमावली, 2000 में दिये गये पात्रता के मानदंड बदल नहीं सकते।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई, 2014)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर, 2014)।

डेयरी विकास विभाग

1.4 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

दुग्ध और सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्यों के पुराने दायित्वों क्रमशः ₹ 6.48 लाख और ₹ 8.22 लाख के समायोजन में केन्द्रीय सहायता का व्ययावर्तन करने के कारण, ₹ 35.33 लाख की सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता समाप्त किये जाने के बाद भी चीज़ निर्माण इकाई के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन (उ स डे फे) लिमिटेड, हल्द्वानी ने उत्तराखण्ड में चीज़ की बाजार क्षमता में पकड़ बनाने, सुदूर स्थानों से दुग्ध के परिवहन लागत को कम करने और प्रति किलोग्राम दुग्ध पर कृषकों के

---

29 असहायविकलांग/व्यक्तियों, निराश्रित विधवाओं/बच्चों को: ₹ 5,000 से अनधिक; सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे संगठनों (धर्म या जातिगत आधार पर बने संगठनों को छोड़कर) को: ₹ 5,000 से अनधिक; गरीब एवं बीमार व्यक्ति को: ₹ 5,000 से अनधिक; अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ: ₹ 1,00,000 से अनधिक; जघन्य अपराधों में मारे गये लोगों के परिवारों को: ₹ 20,000 से अनधिक; दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों को: ₹ 35,000 से अनधिक; निर्धन ,प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा एवं शोध हेतु: ₹ 15,000 से अनधिक; निर्धन प्रतिभावान छात्रों को विदेश शिक्षा हेतु: ₹ 40,000 से अनधिक; निर्धन परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु: ₹ 20,000 से अनधिक।

30 बार काउंसिलों को 06 स्वीकृतियां: ₹ 1.05 करोड़; मुख्यमंत्री कार्यालय एवं उत्तराखण्ड निवास के 1854 कार्मिकों को बोनस हेतु 04 स्वीकृतियां: ₹ 1.38 करोड़; कर्मचारी कल्याण कोष को 01 स्वीकृति :₹ 0.1 करोड़।

प्रतिफल को अधिकतम करने हेतु सिमली, चमोली में एक चीज़ निमार्ण इकाई को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2007)। 'उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड के सुदृढ़ीकरण'[31] परियोजना के अन्तर्गत इकाई की स्थापना की जानी थी, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में वित पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा कृ वि यो) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी थी।

निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड ने उ स डे फे लिमिटेड, हल्द्वानी को 'उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड के सुदृढ़ीकरण' परियोजना के लागू करने हेतु ₹ 8.90 करोड़[32] उपलब्ध कराये। उक्त राशि में से, उ स डे फे ने दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ (दु उ स स) सिमली, चमोली के द्वारा चीज़ निर्माण इकाई की स्थापना हेतु ₹ 35.33 लाख (पूंजीगत व्यय: ₹ 15.33 लाख ओर परिचालन व्यय: ₹ 20 लाख) निर्धारित किया (जुलाई 2009)।

दु उ स स सिमली, चमोली के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2013) में यह पाया गया कि उ स डे फे ने दु उ स स को ₹ 13.49 लाख[33] के प्लान्ट/मशीनरी की आपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, उ स डे फे द्वारा स्वयं किये जाने वाले परिचालन व्यय हेतु ₹ 6 लाख और दु उ स स सिमली की पुरानी देयताओं को खत्म करने के लिए ₹ 6.48 लाख की वसूली की कटौती करने के पश्चात निर्धारित परिचालन व्यय के रूप में मात्र केवल ₹ 7.52 लाख निर्गत किये। इस प्रकार, दु उ स स ने चिन्हित ₹ 35.33 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 13.49 लाख की प्लान्ट/मशीनरी और नकद ₹ 8.22 लाख[34] प्राप्त किया।

उ स डे फे द्वारा ₹ 13.49 लाख के लागत से आपूर्तित चीज़ निर्माण उपकरण उनके अधिप्राप्ति के तीन वर्ष व्यतीत हाने के उपरान्त भी भण्डार में व्यर्थ पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, इकाई की स्थापना हेतु प्राप्त ₹ 8.22 लाख भी दूध के भुगतान और सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को, इकाई से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। महाप्रबंधक (म प्र), दु उ स स ने कहा (सितम्बर 2013) कि दूध की कमी और तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों के अभाव में चीज़ निर्माण इकाई की स्थापना नहीं की जा सकी। म प्र, दु उ स स का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन सीमाओं का योजना चरण पर ही स्व्यं ध्यान देना चाहिए था और न कि केन्द्रीय सहायता के विनियोग और व्यय के पश्चात। इसी बीच, केन्द्रीय सहायता से ₹ 6.48 लाख के पुराने दायित्वों के समायोजन के साथ-साथ उ स डे फे द्वारा परिचालन व्यय के रूप ₹ 6 लाख की कटौती की गयी थी, जिसका इकाई की स्थापना से कोई संबंध नहीं था, परिणामस्वरूप राशि का व्ययावर्तन हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया(अप्रैल 2014)। लेखापरीक्षा निष्कर्षो की प्राप्ति पर, शासन द्वारा जाँच बैठायी गई। जाँच आख्या प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

---

[31] उत्तराखण्ड में ₹ 9.89 करोड़ की लागत से विभिन्न उप-परियोजनाओं के अधिग्रहण के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को अधिकतम मूल्य वसूली देने हेतु स्थापित एक परियोजना।

[32] परियोजना की सकल लागत ₹ 9.89 करोड़ का नब्बे *प्रतिशत* ₹ 8.00 करोड़ जुलाई 2008 में और ₹ 0.90 करोड़ अप्रैल 2009 में निर्गत किये गये।

[33] चिन्हित सकल पूंजीगत व्यय ₹ 15.33 लाख में से अपनी कन्सल्टैन्सी शुल्क के रूप में ₹ 1.14 लाख की कटौती और दु उ स स को ₹ 0.70 लाख के नकद भुगतान के पश्चात।

[34] परिचालन व्यय की राशि में से ₹ 7.52 लाख और पूंजीगत व्यय की राशि में से ₹ 0.70 लाख।

वन विभाग

1.5 व्यय की वसूली न किया जाना

कैट योजना के कार्यान्वयन के लिए वन विभाग द्वारा किए गए ₹ 2.24 करोड़ व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (टी एच डी सी इण्डिया लिमिटेड) द्वारा किया जाना अभी तक लम्बित है।

टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी एच डी सी) द्वारा भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण होने (1998-99) के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा ₹ 67.18 करोड़ (स्थापना लागत ₹ 11.07 करोड़ तथा निर्माण लागत ₹ 56.11 करोड़) की लागत से तैयार की गई भागीरथी नदी बेसिन की जलागम क्षेत्र निवारण योजना (कैट योजना) को टी एच डी सी द्वारा 1998-99 में अनुमोदित किया गया था। कैट योजना का कार्यान्वयन टिहरी बांध प्रभाग-प्रथम, नई टिहरी के वन विभाग द्वारा किया जाना था तथा कैट योजना की लागत टी एच डी सी द्वारा वहन की जानी थी।

प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी बांध प्रभाग-प्रथम, नई टिहरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (मई 2013) के दौरान द्वारा पाया गया कि प्रभाग ने परियोजना का कार्य ₹ 62.96 करोड[35] व्यय करके मार्च 2008 में पूरा किया जबकि टी एच डी सी द्वारा वर्ष 1998-99 से 2007-08 के दौरान केवल ₹ 60.72 करोड़[36] ही जमा कराए गए। टी एच डी सी द्वारा कम जमा किये गये ₹ 2.24 करोड की राशि वन विभाग द्वारा विभागीय आंवटन से पूरी की गयी जबकि छह वर्ष बीत जाने के बाद भी इस राशि का टी एच डी से वसूल किया जाना लंबित था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर (मई 2013) प्रभाग ने बताया कि राशि की प्रतिपूर्ति के लिए समय-समय[37] पर टी एच डी सी से अनुरोध किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त टी एच डी सी से एकत्र जानकारी (जून 2014) से पता चला कि वन विभाग के साथ आयोजित अगस्त 2010 की बैठक में टी एच डी सी ने ₹ 2.24 करोड़ बकाए की शेष राशि के सामंजस्य के लिए अनुरोध किया। तथापि, विभाग ने अभी तक बकाए की राशि का न ही सामंजस्य किया है और न ही इस राशि की वसूली का प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है।

इस प्रकार, वन विभाग के शीर्ष स्तर पर अनुसरण की कमी के कारण राजकोष से किया गया ₹ 2.24 करोड़ का व्यय टी एच डी सी से प्रतिपूर्ति हेतु लंबित था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (मई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

---

[35] 1998-99: ₹ 5.70 करोड़, 1999-2000: ₹ 4.99 करोड़, 2000-01: ₹ 5.30 करोड़, 2001-02: ₹ 6.63 करोड़, 2002-03: ₹ 10.52 करोड़, 2003-04: ₹ 9.92 करोड़, 2004-05: ₹ 9.83 करोड़, 2005-06: ₹ 4.17 करोड़, 2006-07: ₹ 3.33 करोड़, 2007-08: ₹ 2.57 करोड़।

[36] 1998-99: ₹ 5.70 करोड़, 1999-2000: ₹ 4.99 करोड़, 2000-01: ₹ 2.28 करोड़, 2001-02: ₹ 12.58 करोड़, 2002-03: ₹ 8.00 करोड़, 2003-04: ₹ 6.00 करोड़, 2004-05: ₹ 7.31 करोड़, 2005-06: ₹ 6.61 करोड़, 2006-07: ₹ 3.00 करोड़, 2007-08: ₹ 4.25 करोड़।

[37] पत्रांक संख्या-515/2-36 दिनांक 07.10.2009, 552/2-36 दिनांक 20.10.2010, 861/2-36 दिनांक 15.01.2011 एवं 2039/2-36 22.02.2011।

उच्च शिक्षा विभाग

1.6 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

राजकीय महाविद्यालय,ऋषिकेश में महिला छात्रावास भवन का निर्माण संपूर्ण स्वीकृत लागत ₹ 25 लाख खर्च के बाद भी अधूरा रहा एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर में कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 1.08 करोड़ के व्यय के फलस्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि अ आ), नई दिल्ली ने राजकीय महाविद्यालय (शा म), ऋषिकेश, देहरादून में एक मंजिला महिला छात्रावास के निर्माण के लिए ₹ 25 लाख की स्वीकृति (मार्च 2004) प्रदान की। यह स्वीकृति ग्यारहवीं योजना के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए विशेष योजना के तहत प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, सहारनपुर को सौंपा गया एवं नवम्बर 2004 से फरवरी 2009 के दौरान इसके लिए ₹ 22.50 लाख[38] की राशि प्रदान की गई थी।

प्राचार्य, शा म, ऋषिकेश, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2013) में पाया गया कि प्राचार्य ने इस योजना के तहत संशोधित वित्तीय सहायता, जो ₹ 25 लाख से बढ़कर ₹ एक करोड़ हो गई थी, प्राप्त करने के लिए उक्त छात्रावास को एक मंजिला से तीन मंजिला इमारत में संशोधित किया (अगस्त 2007)। इस प्रयोजनार्थ ₹ 1.19 करोड़ धनराशि का एक संशोधित प्राक्कलन वि अ आ को प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2007)।

इस बीच, निर्माण एजेंसी को वि अ आ से संशोधित कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति लिए बिना ही तीन मंजिला भवन[39] का निर्माण कार्य (फरवरी 2006) शुरू करने के लिए अनुमति दे दी गई। पुनः, वि अ आ ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन को यह कहते हुए अस्वीकार (जून 2008) कर दिया कि यह अपूर्ण प्रस्तुत किया गया एवं योजना के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया है (16 अगस्त 2007)। वि अ आ ने महाविद्यालय को निर्देश दिया कि शीघ्र ही आयोजित होने वाली सम्बन्धित समिति की अगली बैठक से पहले एक नया संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करें। 15 सितम्बर 2008 की नई निर्धारित अंतिम तिथि के बीत जाने के पश्चात अगस्त 2009 में संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के कारण महाविद्यालय द्वारा इस अवसर को भी गंवा दिया गया। इस कारण आगे तीन मंजिला भवन बनाने में धन की कमी हो गई।

धन की कमी के कारण ₹ 25 लाख व्यय (जारी धनराशि ₹ 22.50 लाख और ₹ 2.50 लाख बकाया) के बाद निर्माण एजेंसी ने निचली मंजिल को बनाए बिना ही अपनी असमर्थता व्यक्त (अक्टूबर 2009 और मार्च 2012) करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया (जुलाई 2009)। तब से छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। अधूरी संरचना किस प्रकार बिगड़ती जा रही है यह दी गई तस्वीर से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य रूक जाने (जुलाई 2009) के बाद से महाविद्यालय के द्वारा छात्रावास को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से आगे की धनराशि प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे।

---

[38] ₹ 2.00 लाख (नवम्बर 2004), ₹ 10.50 लाख (मई 2006), एवं ₹ 10.00 लाख (फरवरी 2009)।

[39] ऊचांई में वृद्धि के लिए मूलरूप से संस्वीकृत 'नार्मल ब्रिक वर्क स्ट्रक्चर' के स्थान पर 'फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाईन' पर आधारित।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर प्राचार्य, शा म, ऋषिकेश ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2014) और बताया कि बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए निदेशक, उच्च शिक्षा से नये प्राक्कलनों के साथ अनुमति मांगी है (अप्रैल 2014) लेकिन अभी तक अप्राप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संशोधित प्राकल्लन जिसे वि अ आ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था के अनुमोदन हो जाने के प्रत्याशा में तीन मंजिला भवन के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने हेतु निर्माण एजेंसी को अनुमति देने में महाविद्यालय की लापरवाही थी। निर्माण कार्य संशोधित प्राक्कलन की अनुमति मिलने के बाद शुरू किया जाता तो भवन की अधूरी संरचना से बचा जा सकता था। इस प्रकार नौ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी महिला छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण संपूर्ण व्यय ₹ 25 लाख अलाभकारी रहा।

एक अन्य मामले में, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर में लड़कियों के छात्रावास का निर्माण (अक्टूबर 2010) ₹ 1.08 करोड़ के व्यय से किया गया था। बिना समुचित आवश्यकता का विश्लेषण किए छात्रावास का निर्माण किया गया, निर्माण (नवम्बर 2010) के चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी किसी भी छात्रा ने छात्रावास के लिए आवदेन नहीं किया है।

दोनों प्रकरणों को शासन को संदर्भित किया गया था (मार्च 2014 एवं अप्रैल 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

गृह विभाग

1.7 कैदियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधायें

राज्य के 13 जिलों में से छः जिलों में कोई भी जेल क्रियाशील नहीं है। इन छः जिलों में स्थित न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों के आवागमन पर विगत तीन वर्षों के दौरान ₹ 88.05 लाख की धनराशि व्यय की गयी। नमूना परीक्षित दस जेलों में रखे गये 3,583 कैदियों में से 2,810 कैदी (78.43 *प्रतिशत*) सिर्फ तीन जेलों में रखे गए थे। कुल स्वीकृत पद 1,061 के सापेक्ष मात्र 294 पदों को ही भरा गया था। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में, जेल प्रशासन को पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा उपचार तथा कैदियों के आवागमन पर ₹ 38.88 लाख व्यय करने पड़े।

1.7.1 परिचय

जेल, अपराधियों को रोकने एवं कैदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिये होती हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की अभिरक्षा व उचित देखभाल के अतिरिक्त पर्याप्त सुरक्षा तथा कैदियों में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कराना जेलों की जिम्मेदारी होती है।

राज्य में सात जिला जेल, दो उप जेल, एक मुक्त जेल, एक केन्द्रीय जेल, एक महिला जेल एवं एक किशोर जेल क्रियाशील हैं। वर्ष 2011-14 अवधि को आच्छादित करते हुए, अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 के मध्य 6 जिला जेल, दो उपजेल, एक मुक्त जेल तथा एक केंद्रीय जेल की लेखापरीक्षा कैदियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं पर केन्द्रित थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

1.7.2 जिलों में जेलों का अभाव

यह पाया गया कि छः जिलों[40] में कोई भी जेल नहीं था इस कारण इन जिलों के कैदियों को अन्य जिलों में स्थित जेलों में रखना आवश्यक हो गया। अन्य जिलों में रखे गये विचाराधीन कैदियों को इन छः जिलों में

---
[40] बागेश्वर, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग।

स्थित न्यायालयों में ले जाने हेतु विगत तीन वर्षों में ₹ 88.05 लाख खर्च किये गये थे। इसके अतिरिक्त इससे पुलिस अनुरक्षा से कैदियों के भागने का जोखिम भी बढ़ता है जैसा कि 2012-14 की अवधि के दौरान चार प्रकरणों[41] में देखा गया।

1.7.3 जेल में अतिसंकुलता

जेल मैनुअल के नियम 606 के अनुसार, अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे ये सुनिश्चित करें कि जेल में क्षमता से अधिक कैदी न हो। जेल में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या की स्थिति में अधीक्षक, कार्यशालाओं या गलियारों में बढ़े हुए कैदियों के रहने की व्यवस्था करेंगे, और शीघ्र उनको अन्य जेलों में स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त अपराधियों के स्थानांतरण सूची महानिरीक्षक को अग्रेसित करेंगे।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना परीक्षित जेलों/उपजेलों में समग्र अतिसंकुलता 135 *प्रतिशत* थी। नमूना परीक्षित दस जेलों में 3,583 कैदी समायोजित किए गए थे जिसमें से 2,810 कैदी (78.43 *प्रतिशत*) मात्र तीन जेलों देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी (उप जेल) में थे। इन तीनों जेलों में अपनी क्षमताओं से क्रमशः 77, 74 एवं 198 *प्रतिशत* तक अधिक कैदी समायोजित किए गए थे जबकि अन्य जेलों का कम उपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में पुनः यह पाया गया कि दो जेलों अर्थात् केन्द्रीय कारागार, सितारगंज एवं जिला जेल, पिथौरागढ़ के निर्माण का कार्य क्रमशः 2004-05 एवं 2007-08 में शुरू किया गया था परन्तु दोनों कार्य विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अब तक अधूरे पड़े रहे। सुरक्षा कर्मियों के अभाव के कारण रूड़की उपजेल में ₹ 37.70 लाख की लागत से निर्मित 120 कैदियों की कुल क्षमता वाले चार नए बैरकों को भी विभाग उपयोग में नहीं ला सका।

इसके अतिरिक्त, प्रभावित जेलों को अतिसंकुलता से मुक्त करने के लिए कैदियों को कम उपयोगी जेलों में स्थानांतरण करने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे। जेलों में अधिक संख्या में साथ रहने वाले कैदियों के लिए पर्याप्त शौचालय नहीं थे, परिणामतः सभी शौचालय एवं नालियां दूषित थीं। जेल विभाग में कुल 1,061 स्वीकृत पदो के सापेक्ष मात्र 294 पदों (27 *प्रतिशत*) पर ही वास्तविक नियुक्ति और नमूना परीक्षित जेलों में, यह मात्र 38 *प्रतिशत* था।

1.7.4 चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

जेल विभाग में 10 डॉक्टर, 14 फार्मासिस्ट एवं आठ एम्बुलेंस चालकों के स्वीकृत पदों में से मात्र एक डॉक्टर, सात फार्मासिस्ट और दो एम्बुलेंस चालकों को नियुक्त किया गया था। नमूना परीक्षित जेलों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सम्पूर्णानन्द शिविर/सेन्ट्रल जेल सितारगंज को छोड़कर अन्य जेलों में चिकित्साधिकारी/स्थाई चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें तैनात नहीं किया गया था। जेल प्रशासन द्वारा पिछले तीन वर्षों में बीमार कैदियों को बाह्य चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने व उनके आवागमन हेतु बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आदि पर ₹ 38.88 लाख[42] व्यय किये गये।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभिन्न चिकित्सा उपकरणों जैसे एक एक्सरें मशीन, एक ई सी जी, ऑक्सीजन सिलेन्डरों आदि को तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण हरिद्वार व हल्द्वानी जेलों में जून 2004 में इनकी प्राप्ति के बाद से अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पौडी व नई

---

[41] वर्ष 2013-14 के दौरान, नैनीताल से तीन कैदी भागे और वर्ष 2012-13 में देहरादून से एक कैदी भागा।

[42] नमूना परीक्षित जेलों के जेल प्रशासन के अनुसार यदि जेलों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती, तो कुल व्यय ₹ 51.84 लाख का 25 *प्रतिशत* बचाया जा सकता था।

टिहरी जेलों में चिकित्सालय भवन था लेकिन डॉक्टरों की तैनाती न किये जाने तथा सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण चिकित्सालय भवन को प्रयोग में नहीं लाया गया था।

इस सम्बन्ध में जेल अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कदम उठानें का आश्वासन दिया गया।

1.7.5 जेल में सुधारात्मक सुविधायें

जेल मैनुअल के नियम 731 के अनुसार जेल प्रशासन अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, कैदियों की सजा के दौरान उन्हें विभिन्न व्यवसायों में शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर अपराधियों में सुधार व उनको पुर्नवास की सुविधा देने के लिए भी उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा केवल हरिद्वार और देहरादून जेलों में आयोजित किया जा रहा था। नमूना परीक्षित अन्य जेलों में ऐसे कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किये गये थे। चार जेलों[43] में कैदियों के लिए कोई पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जबकि जेल मैनुअल के नियम 737 के अनुसार सभी वर्ग के कैदियों के उपयोग के लिए प्रत्येक जिला जेल में एक पुस्तकालय तथा प्रत्येक केन्द्रीय जेल में दो पुस्तकालय का होना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जेल मैनुअल के नियम 875 के अनुसार यथानिर्धारित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (व्य प्र का)[44] देहरादून व हरिद्वार जिला कारागारों में ही आयोजित किये जा रहे थे। अन्य जेलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की कोई पहल नहीं की गयी थी। पिछले तीन वर्षों में देहरादून व हरिद्वार जेलों में केवल 12.30 *प्रतिशत* व 11.10 *प्रतिशत* कैदियों को प्रशिक्षित किया गया। व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से देहरादून व हरिद्वार दो जेलों में कैदियों द्वारा तैयार जेल उत्पादों की बिक्री से क्रमशः ₹ 2.10 लाख व ₹ 27.70 लाख राजस्व अर्जित किया गया। इसके सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर, जेल अधीक्षकों[45] ने अवगत कराया कि इस आशय के कोई निर्देश मुख्यालय (आई जी) से प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कैदियों को व्य प्र का के तहत कौशल प्रदान किया गया होता तो जेल उत्पादों में वृद्धि होती और कैदियों को भी अधिक बिक्री से अधिकाधिक आय हुई होती।

प्रत्युत्तर में, विभाग ने अवगत कराया कि इन सुविधाओं के सुधार के लिये प्रयास किये जायेगें।

1.7.6 आदर्श कारावास नियमावली 2003 अंगीकृत न करना

अपराधियों में सुधार एवं पुनर्वास के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में जेल प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक आदर्श जेल नियमावली, 2003 निर्गत किया था, जिसमें जेल में रखे गये अपराधियों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण व समाजीकरण के लिये संस्थागत सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित थे। आदर्श कारावास नियमावली की रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार को अपना राज्य कारावास नियमावली तैयार करना था, जिन्हें विधि व क्रियाविधि की मौलिक एकरूपता को प्रभावित किए बिना अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य सरकार ने एक दशक से अधिक की देरी के बाद भी कोई आदर्श कारावास नियमावली तैयार नहीं की गयी थी।

उपरोक्त बिन्दु सरकार को प्रतिवेदित किये गये थे (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

---

[43] नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी एवं हल्द्वानी।

[44] काष्ठ उद्योग, सिलाईकढ़ाई-, बुनाई उद्योग, आयरन फैब्रिकेशन वर्क, विद्युत कार्यशाला, राजोगरी, बैग एवं हैण्डलूम बनाना।

[45] हरिद्वार एवं देहारादून।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

1.8 अनियमित और परिहार्य व्यय

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा एम आर आई परीक्षण की रिर्पोटिंग की सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर ₹ 58.62 लाख का अनियमित रूप से किया गया परिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी (उ फॉ हॉ ट्र) ने अपने मरीजों के कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (सी टी स्कैन) एवं मैग्नेटीक रिजोनेंस इमेजिंग (एम आर आई) के गंभीर परीक्षणों की रिर्पोटिंग की सेवाओं हेतु नई दिल्ली स्थित फर्म (डी सी ए, रैडनेट)[46] से समझौते (जुलाई 2006) पर हस्ताक्षर किया। समझौते को लगातार नवीनीकरण करते हुए बढ़ाया गया (सितम्बर 2009) जबकि राज्य सरकार द्वारा उ फॉ हॉ ट्र को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (रा चि म) में रूपांतरित कर दिया गया था (मई 2010)। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम, 2008 (नियम-46) के अनुसार प्रशासनिक विभाग को आउटसोर्सिंग सेवाओं के चयन के लिए सरकार के वित्त विभाग से परामर्श के साथ अनुमोदन आवश्यक होता है।

शा चि म, हल्द्वानी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2013) के दौरान पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय मई 2010 में शासन के सुपुर्द होने के पश्चात एम आर आई/सी टी स्कैन के प्रकरणों की रिपोर्टिंग की आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए विशेष रूप से चयनित फ़र्म को दिया जाना अनियमित था क्योंकि यह उक्त प्रावधानों का उल्लंघन था। आगे जांच में पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय ने (जुलाई 2010) इस आशय का प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा परन्तु शासन द्वारा अनुमोदन नहीं मिला। रा चि म ने उक्त सेवाओं की व्यवस्था को जारी रखा। मई 2010 से जनवरी 2014 के दौरान कुल 21,416 मरीजों के किए गए एम आर आई सेवाओं की रिर्पोटिंग हेतु डी सी ए, रैडनेट को अग्रेषित किया गया एवं इसके लिए डी सी ए, रैडनेट को ₹ 58.62 लाख का भुगतान किया गया जबकि इस उद्देश्य हेतु चिकित्सा महाविद्यालय में चार से पांच सक्षम रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता थी। इस प्रकार यदि उपलब्ध रेडिओलोजिस्ट से सेवाएं ली जाती तो रिपोर्टिंग सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग सेवाओं पर रा चि म द्वारा किए गए व्यय से बचा जा सकता था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (दिसम्बर 2014) कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार एक नए समझौते को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश जारी किया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया था कि एक निश्चित प्रतिशत में एम आर आई परीक्षण की रिपोर्टिंग चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.9 निरर्थक व्यय

₹ 60.52 लाख के मेडिकल उपकरण के छह से आठ साल तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण यह मरीजों के लाभ हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका।

जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 21 में प्रावधानित है, लोक निधि से व्यय हेतु कोई भी प्राधिकरण औचित्य के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित किया जाता है। प्राधिकरण जिन्हें व्यय करने कि शक्ति प्राप्त है,

[46] मैसर्स दीवान चन्द रैडनेट सेवा प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

उनसे अपेक्षा की जाती है कि व्यय करने में वैसी ही सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक आम व्यक्ति अपना धन व्यय करने में सामान्य विवेक का उपयोग करता है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सी एम एस), बेस अस्पताल, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जाँच (अगस्त, 2012) में पाया गया कि ₹ 46.40 लाख[47] के पांच मेडिकल उपकरण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देहरादून से अस्पताल में (अप्रैल और जुलाई 2006 के बीच) प्राप्त हुए जो कि उनकी स्थापना[48] से ही रोगियों के लाभ के लिए बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाये गए एवं अस्पताल में तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि ₹ 14.12 लाख[49] की लागत से स्थापित दो और मशीनें 2008 तक उपयोग में लाने के पश्चात् तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण अकार्यशील[50] बनी रही। इस प्रकार, उपकरणों का छह से आठ वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहना यह इंगित करता है कि विभाग लोक धन को व्यय करने में प्रत्येक चरण में योजना बनाने से उपयोग करने तक विफल रहा, जिससे मरीजों को इसके लाभ से वंचित रहना पड़ा और यह विभाग की योजना प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

यह इंगित किए जाने पर सी एम एस ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2012) और कहा (मार्च 2013) कि पदों के सृजन हेतु साथ ही साथ इन उपकरणों को चलाने के लिए साथ ही व्यवस्था करने हेतु निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। प्रत्युत्तर अपने आप में इंगित करता है कि अस्पताल ने बिना पदों की पूर्व स्वीकृति लिए एवं आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित किए, उपकरणों को प्रदान कर उनको संस्थापित करवा दिया।

प्रकरण शासन को संदर्भित (मार्च 2014) किया गया था; उत्तर प्रतिक्षित था (दिसंबर 2014)।

1.10 सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ

सेवा मानकों में कमी के लिए सेवा प्रदाताओं के भुगतान में से कटौती का कोई प्रावधान न होने के कारण सेवा प्रदाताओं को ₹ 4.54 करोड़ का अनुचित लाभ।

राज्य के प्रत्येक जनपद के अल्पसेवित क्षेत्रों में रोगनाशक, निवारक, निदान और रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन ने प्रत्येक जनपद हेतु एक्स-रे, इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम (ई सी जी), अल्ट्रासाउण्ड और सेमी ऑटो एनालाइजर मशीनों से युक्त 13 सचल स्वास्थ्य वाहनों (स स्वा व) की अधिप्राप्ति (मार्च 2008) करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर परिचालन/प्रबंधन के लिए उन्हें महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चि स्वा एवं प क) को सौंपा (मार्च 2008) जिन्होंने दो सेवा प्रदाताओं[51] से प्रत्येक जनपद हेतु अलग-अलग 13 समझौता ज्ञापन पांच वर्ष की समयावधि के लिए निष्पादित किए (मार्च 2009)। समझौता ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाताओं को माह में

---

47 डायलिसिस मशीन (₹ 10.85 लाख), आर ओ वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट (₹ 5.93 लाख), टी यू आर सेट (₹ 13.34 लाख), ब्रोन्कोस्कोप (₹ 11.94 लाख) एवं प्योर टोन आडियोमीटर (₹ 4.34 लाख)।

48 डायलिसिस मशीन (अगस्त 2006), आर ओ वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट (फरवरी 2008), टी यू आर सेट (मई 2006), ब्रोन्कोस्कोप (मई 2006) एवं प्योर टोन आडियोमीटर (मई 2006)।

49 टी एम टी मशीन (₹ 6.45 लाख)/संस्थापना की तारीख : 30.09.1998 एवं इन्डोस्कोपी मशीन सी सी डी कैमरे के साथ (₹ 7.67 लाख)/संस्थापना की तारीख : 13.08.1999/02.11.2000।

50 (i) इन्डोस्कोपी मशीन एवं सी सी डी कैमरा (अप्रैल 2008 तक) एवं (ii) टी एम टी मशीन (अगस्त 2005 तक)।

51 अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं ऊधमसिंह नगर के लिए मैसर्स डा. जैन विडियो ऑन व्हील्स लिमिटेड, नई दिल्ली और चमोली तथा उत्तरकाशी के लिए मैसर्स राजभारा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून के साथ।

15 कैम्प प्रत्येक 10 घण्टों की अवधि के लिए संबंधित जनपद के निर्धारित स्थानों पर सहमति मूल्य[52] के अनुसार, तीन चिकित्सकों[53] एवं चार अर्ध चिकित्सा कर्मियों[54] के साथ अपने भुगतान पर आयोजित करने थे। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना था कि शिविरों के दौरान सभी उपकरण क्रियाशील थे।

महानिदेशक, चि स्वा एवं प क, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2014) के दौरान पाया गया कि समझौता ज्ञापनों में शिविरों के दौरान सेवा प्रदाताओं द्वारा चिकित्सकों एवं अर्ध चिकित्सा कर्मियों की अनुपलब्धता या उपकरणों के कार्य न करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं के भुगतान से कटौती का कोई प्रावधान नहीं था। यह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V (भाग-1) के परिशिष्ट XIX के पैराग्राफ 27 का उल्लघंन था जिसमें नियत था कि अनुबंध का उल्लंघन करने पर स्पष्ट और विशिष्ट अर्थदण्ड अधिरोपित होना चाहिए। सेवा प्रदाताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और 2,350 कार्य दिवसों[55] के लिए चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई। यह भी पाया गया कि 2,246 प्रकरणों[56] में विभिन्न मेडिकल उपकरण अक्रियाशील रहे। जनपद अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सेवा प्रदाताओं के मासिक दावों के भुगतान हेतु अग्रेषण के समय सूचित किया गया परन्तु समझौता ज्ञापनों में कटौती का कोई प्रावधान न होने के कारण सेवा प्रदाताओं से कोई कटौती नहीं की गई।

तथापि, शासन ने सेवा मानकों में कमी जैसे, कर्मियों की कमी एवं उपकरणों के अक्रियाशील होने पर मासिक सहमति राशि में से कटौती[57] हेतु दिशा-निर्देश (अक्टूबर 2012) जारी किए। तदनुसार, मई 2012 के पश्चात कर्मियों की अनुपस्थिति एवं उपकरणों के अक्रियाशील होने पर कटौती की जाने लगी यद्यपि समझौते में इस संबंध में कोई औपचारिक प्रावधान नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने इस कटौती वाले मापदण्ड को अपनाने पर पाया कि अप्रैल 2009 में स स्वा व के शुरू होने की अवधि से चिकित्सकों/अर्ध चिकित्सा कर्मियों की अनुपस्थिति एवं उपकरणों के अक्रियाशील रहने के कारण ₹ 4.54 करोड़ की राशि को सेवा प्रदाताओं के भुगतान से काट लिया गया होता, यदि विभाग ने समझौते के ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान किया होता, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V (भाग-1) के परिशिष्ट XIX के पैराग्राफ-27 में वर्णित है या ऐसी कोई व्यवस्था पहले की होती जैसे अब की गई है। कटौती न होने के कारण अप्रैल 2009 से मई 2012 की अवधि के दौरान सेवा प्रदाताओं को ₹ 4.54 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, महानिदेशक, चि स्वा एवं प क ने प्रत्युत्तर में बताया (अप्रैल 2014) कि सेवा प्रदाताओं के निष्पादन के संबंध में उच्चाधिकारियों को समय-समय पर सूचित किया गया था एवं समझौता ज्ञापन के नियमों/शर्तों में कोई भी बदलाव हेतु यह कार्यालय अधिकृत नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है

---

52 देहरादून-₹ 6.25 लाख, हरिद्वार-₹ 6.25 लाख, बागेश्वर-₹ 7.75 लाख, अल्मोड़ा-₹ 7.75 लाख, टिहरी-₹ 7.75 लाख, पौड़ी ₹ 7.75 लाख, ऊधमसिंह नगर-₹ 6.25 लाख, नैनीताल-₹ 6.25 लाख, चम्पावत-₹ 7.75 लाख, रूद्रप्रयाग-₹ 7.75 लाख, पिथौरागढ़-₹ 8.83 लाख, चमोली-₹ 6.82 लाख और उत्तरकाशी-₹ 6.82 लाख।

53 जनरल फिजिशियन, गाइनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट।

54 स्टॉफ नर्स, एक्सरे-टेक्निशियन, लेबोरेटरी टेक्निशियन, फारमेसिस्ट।

55 677 कार्यदिवसों के लिए महिला चिकित्साधिकारी, 1057 कार्यदिवसों के लिए रेडियॉलाजिस्ट, 60 कार्यदिवसों के लिए चिकित्साधिकारी, 492 कार्यदिवसों के लिए स्टॉफ नर्स, 54 कार्यदिवसों के लिए एक्सरे टेक्निशियन तथा 10 कार्यदिवसों के लिए लैब टैक्निशियन।

56 788 शिविरों में एक्सरे मशीन, 425 शिविरों में ई सी जी मशीन, 850 शिविरों में सेमी ऑटो एनालाइजर तथा 183 शिविरों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन।

57 प्रत्येक चिकित्साकर्मी की अनुपस्थिति के लिए सहमत मूल्य का 1/3, प्रत्येक अर्ध चिकित्साकर्मी की अनुपस्थिति के लिए सहमत मूल्य का 1/4, प्रत्येक एक्सरे/ई सी जी/अल्ट्रासाउण्ड के अक्रियाशील होने पर सहमत मूल्य का 1/6 तथा सेमी ऑटो एनालाइजर की अक्रियाशीलता के लिए सहमत मूल्य का 1/4 भाग।

क्योंकि सेवा प्रदाताओं से समझौता ज्ञापन स्वयं महानिदेशक, चि स्वा एवं प क द्वारा किया गया था एवं उनके कार्यालय द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा कर्मियों की अनुपस्थिति एवं उपकरणों के अक्रियाशील होने पर भुगतान में से कटौती की जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में की जा रही कटौती को समझौता ज्ञापन में संशोधनों के माध्यम से कानूनी वैधता प्रदान की जानी चाहिए जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ।

इस प्रकार, सेवा मानकों को पूरा नहीं करने पर सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान में से कटौती के प्रावधान न होने के कारण सेवा प्रदाताओं को ₹ 4.54 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

यह प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया था (जून 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

पेयजल विभाग

1.11 उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जल प्रभारों का संग्रहण

31 मार्च 2014 को ₹ 77.23 करोड़ की धनराशि के बकाया अदेय था। इसमें से ₹ 1.07 करोड़ 1,768 संयोजनों के सापेक्ष थी जो कि अब परित्यक्त घरों में उपलब्ध थे, ₹ 3.33 करोड़ विभिन्न सरकारी विभागों के 1,730 संयोजनों के सापेक्ष तथा ₹ 1.24 करोड़ विभिन्न सरकारी परिसरों के 1,180 संयोजनों के सापेक्ष थे। संस्थान ने 1,557 उपभोक्ताओं के सापेक्ष जल प्रभारों की मांग न करने के कारण ₹ 1.36 करोड़ की हानि वहन की। संस्थान ने दोषी उपभोक्ताओं की जलापूर्ति संयोजन विच्छेदन न करने के कारण ₹ 16 लाख की हानि भी वहन की।

1.11.1 परिचय

उत्तराखण्ड जल संस्थान, राज्य में जलापूर्ति एवं मल-व्यवस्था सेवाओं के नियमन हेतु उत्तरपद्रेश जल संभरण एवं मल व्यवस्था अधिनियम-1975 (उत्तराखण्ड में यथा अंगीकृत) के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में अगस्त 2002 में स्थापित किया गया था।

25 राजस्व संग्रहण खण्डों में से 10 खण्डों[58] द्वारा विगत तीन वर्षों के राजस्व संग्रहण के आधार पर अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 के दौरान चयनित अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से जल संस्थान द्वारा 2011-12 से 2013-14 तक किये गये जल प्रभारों के निर्धारण व संग्रहण की लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है :

1.11.2 राजस्व एवं बकाया राशियों की स्थिति

वर्ष 2011-12 में ₹ 65.20 करोड़ के राजस्व की बकाया वसूली बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 77.23 करोड़ हो गयी अर्थात् इसमें 18 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वसूल किये गये एवं बकाया राजस्व का वर्षवार विवरण **तालिका 1.11.1** में दर्शाये गये हैं।

तलिका 1.11.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	बकाया राशि का आदि शेष	की गई मांग	वसूल किया गया राजस्व	बकाया मांग	मांग वसूली (*प्रतिशत*)
2011-12	64.45	99.01	98.26	65.20	60.11
2012-13	65.20	115.78	110.28	70.70	60.93
2013-14	70.70	122.64	116.11	77.23	60.05

स्रोतः उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े जिनमें मल कर व मल प्रभार शामिल नहीं हैं

[58] देहरादून के उत्तर, दक्षिण, अनुरक्षण एवं पित्थूवाला खण्ड; पौड़ी, कोटद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर व हरिद्वार खण्ड।

नमूना परिक्षित खण्डों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि -

- ₹ 77.23 करोड़ की कुल बकाया राशि के सापेक्ष ₹ 38.19 करोड़ की बकाया राशि पांच वर्षों से पुरानी थी। इसमे ₹ 1.07 करोड़ की बकाया राशि भी सम्मलित थी जो 1,768[59] ऐसे संयोजनों से सम्बन्धित थी। जिन्हे ऐसे घरों को दिया गया था जो वर्तमान में परित्यक्त है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर संस्थान ने अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही करने के प्रयोजन से परित्यक्त आवासों का अब चिन्हांकन किया जा रहा है।
- संस्थान (सुभाष नगर, हरिद्वार खण्ड) के अभिलेखों से प्रदर्शित हुआ कि 311 उपभोक्ताओं के पेयजल संयोजन विच्छेदित किये गये थे क्योंकि उन्होंने वर्ष 2005-06 में स्वजल[60] अपना लिया था। लेकिन इन उपभोक्ताओं के सापेक्ष ₹ 0.16 करोड़[61] के प्रभारों के प्रति संस्थान ने 31 मार्च 2014 को इन विच्छेदित उपभोक्ताओं के सापेक्ष सतत् रूप से मांग उठाने के कारण ₹ 0.49 करोड़ के अदेय प्रभार दर्शाये। इस प्रकार ₹ 0.33 करोड़[62] की बकाया राशि बताने के अतिरिक्त संस्थान द्वारा विद्यमान कुल संयोजनों का गलत चित्रण भी किया गया।
- उपर्युक्त में ₹ 3.33 करोड़ की वह बकाया राशियां भी सम्मिलित हैं जो 1,730 संयोजन विभिन्न सरकारी विभागों को दिये गये थे तथा ₹ 1.24 करोड़ के विभिन्न सरकारी आवासीय परिसरों के सापेक्ष 1,180 संयोजन भी शामिल थे।

1.11.3 जल प्रभारों की वसूली न होना

टिहरी जल विद्युत विकास निगम के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों से सम्बद्ध सभी जलापूर्ति योजनाएं सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों (जुलाई 2005) के अनुसार चालू जलापूर्ति योजनाओं के नियमन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित की गयी थी (अगस्त 2005)। परिणाम स्वरूप टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा उपलब्ध जलापूर्ति के समस्त उपभोक्ता स्वतः ही उत्तराखण्ड जल संस्थान के उपभोक्ता हो गये।

तीन खण्डों[63] के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 1,557 उपभोक्ताओं का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, जो योजना के साथ हस्तान्तरित हुए थे। परिणामस्वरूप इन उपभोक्ताओं के सापेक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किसी जल प्रभार की मांग नहीं की गयी, जिससे संस्थान को ₹ 1.36 करोड़ (मार्च 2014 तक) की बड़ी राजस्व राशि की हानि वहन करनी पड़ी।

यह इंगित किये जाने पर संस्थान ने इसे स्वीकार किया तथा बताया कि जनाक्रोश के कारण वह कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ था तथापि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

1.11.4 जलापूर्ति विच्छेदित न करने के कारण हानि।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा मल व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 72 में प्रावधानित है कि जल संस्थान देयक निर्गत किये जाने के 15 दिन की अवधि के अन्दर कर, शुल्क, किराया, लागत का भुगतान न किये जाने पर किसी परिसर की जलापूर्ति विच्छेदित कर सकता है।

---

[59] उत्तरी खण्ड देहरादून-37 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.11 करोड़, दक्षिण खण्ड, देहरादून-140 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.32 करोड़, कोटद्वार-142 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.05 करोड़, हल्द्वानी 142 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.30 करोड़, रामनगर-1294 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.26 करोड़ एवं हरिद्वार खण्ड-13 संयोजन, बकाया राशि ₹ 0.03 करोड़।

[60] स्वजल एक पंजीकृत समिति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का काम करती है।

[61] 31 मार्च 2006 को बकाया राशि।

[62] ₹ 0.49 करोड़ घटाये 31 मार्च 2006 को बकाया राशि ₹ 0.16 करोड़।

[63] देहरादून के दक्षिण, अनुरक्षण एवं पित्थूवाला खण्ड।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि संस्थान (खण्डों) ने 81 दोषी उपभोक्ताओं के सापेक्ष 2011-12 से 2012-13 तक ₹ 16 लाख[64] के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे। लेकिन यह वसूली प्रमाण पत्र बिना वसूली के ही खण्डों को वापस प्राप्त हो गये थे। इसके अतिरिक्त संस्थान ने इन दोषी उपभोक्ताओं के संयोजन विच्छेदित नहीं किये तथा वसूली प्रमाण पत्र वापस प्राप्त होने के बाद भी जलापूर्ति जारी रखी। यह इंगित किये जाने पर संस्थान ने बताया कि बिना वसूली वापस प्राप्त हुए 'वसूली प्रमाण पत्रों' (आर सी) के प्रकरणों की जांच के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

1.11.5 उपभोक्ताओं को न्यूनतम दर से बिल निर्गत करने के कारण राजस्व हानि

नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी अथवा स्वंय जल संस्थान द्वारा निर्धारित (उत्तर प्रदेश जल संम्भरण एवं मल व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 52 एवं 53) किसी परिसर अथवा भवन हेतु निर्धारित वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर संस्थान का शुल्क प्रभारित करेगा।

छः खण्डों[65] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगरीय क्षेत्रों के 1,29,698 संयोजनों में से 70,012 संयोजनों (54 *प्रतिशत*) पर न्यूनतम/औसत दर प्रभारित की जा रही है । इन उपभोक्ताओं के वार्षिक किराया मूल्य को निर्धारित करने के लिए संस्थान ने परिसर वार्षिक मूल्य निर्धारण नियमावली 1981 के अनुसार प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। विगत तीन वर्षों में संस्थान द्वारा प्राप्त राजस्व[66] की दुगुनी उत्पादन लागत[67] के बाद भी यह उपभोक्ता मीटर रहित जल सेवाओं के न्यूनतम/औसत प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं।

प्रत्युत्तर में, संस्थान ने अवगत कराया कि जिन उपभोक्ताओं के वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित नहीं किये गये थे, उनके जल प्रभार प्रतिमास औसत-खपत के आधार पर लगाये जा रहे थे। संस्थान का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी पर्याप्त प्रणाली के अभाव में समस्त उपभोगताओं के द्वारा प्रयोग किए गए जल प्रभार को न्यूनतम/औसत दर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

लोक निर्माण विभाग

1.12 परिहार्य व्यय

हाल ही में निष्पादित सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट कार्य पर 25 मिमी मोटाई के एक समानक कारक को ध्यान में न रखते बिटुमिनस मैकडम का कार्य निष्पादित कराये जाने के परिणामतः ₹ 55.50 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना (के स नि यो) के अन्तर्गत मई 2011 में नैनीताल-कालाढूंगी-बाजपुर मार्ग (किमी 34 से 64) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 18.42 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, कुमायुँ मण्डल द्वारा जून 2011 में कार्य के लिए ₹ 18.42 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

---

[64] उत्तरी खण्ड देहरादून : 58 के सापेक्ष ₹ 12 लाख, अनुरक्षण खण्ड देहरादून : 23 के सापेक्ष ₹ चार लाख।

[65] देहरादून के उत्तर, दक्षिण एवं पित्थूवाला खण्ड तथा नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर खण्ड।

[66] वर्ष 2011-12 में ₹ 3.70 प्रति किलोलीटर, वर्ष 2012-13 में ₹ 4.20 प्रति किलो लीटर, वर्ष 2013-14 में ₹ 4.41 प्रति किलोलीटर।

[67] वर्ष 2011-12 में ₹ 7.99 प्रति किलोलीटर, वर्ष 2012-13 में ₹ 8.26 प्रति किलो लीटर, वर्ष 2013-14 में ₹ 8.48 प्रति किलो लीटर।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), निर्माण खण्ड (नि ख), लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), रामनगर के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2014) में यह पाया गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), रूड़की के एक दल ने खण्ड के अ अ के निवेदन पर बेन्किलमैन बीम विक्षेपन[68] के आधार पर मार्ग पर अध्ययन किया (अक्टूबर 2008) और पाया कि मार्ग के किमी 43 से 49 की स्थिति बहुत ही कमजोर थी जिसके लिए बृहद सुदृढ़ीकरण कार्य की आवश्यकता थी। तद्नुसार, दल ने इन किलोमीटर में 225 मिमी[69] मोटाई की ऊपरी सतह बिछाने की संस्तुति दी। जाँच के दौरान यह भी देखा गया कि खण्ड द्वारा वार्षिक मरम्मत शीर्ष के अन्तर्गत मार्ग के चार किलोमीटर (किमी 43 और किमी 46 से 48) में 25 मिमी सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (से डे बि कं) बिछाते हुए नवीनीकरण का कार्य कराया गया था (मई 2011)। तथापि, जाँच में आगे पाया गया कि हाल ही में निष्पादित से डे बि कं के नवीनीकरण कार्य के 25 मिमी[70] मोटाई के समानक कारक पर ध्यान दिये बिना के स नि यो के अन्तर्गत नैनीताल-कालाढूंगी-बाजपुर मार्ग (किमी. 34 से 64) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए ऊपरी सतह की मोटाई 175 मिमी[71] (आई आई टी रूड़की की संस्तुति के अनुसार) निर्धारित करते हुए विस्तृत आगणन तैयार किया गया (जून 2011) चूंकि से डे बि कं कार्य एक महीने पहले ही किया गया था, अतः ऊपरी सतह की मोटाई से डे बि कं की उचित समानक कारक का प्रयोग करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए थी और तद्नुसार बिटुमिनस मैकडम (बि मै) कार्य 25 मिमी से डे बि कं के समानक मोटाई तक कम किया जाना चाहिए था। पूर्व में निष्पादित कार्य के समानक कारकों को ध्यान रखने में खण्ड के विफल रहने के परिणामतः बि मै[72] की 1,000 घन मी. अतिरिक्त मात्रा मार्ग के इस भाग (किमी 43 और किमी 46 से 48) में बिछाई गई, इसके कारण ₹ 55.50 लाख[73] का परिहार्य व्यय किया गया।

उक्त के इंगित किये जाने पर, अ अ ने उत्तर दिया कि से डे बि कं की मोटाई (25 मिमी) को मार्ग के परत की मोटाई के निर्धारण में नहीं लिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई आर सी 81-1997 में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि मार्ग के ऊपरी सतह की मोटाई के निर्धारण में बि मै के सापेक्ष से डे बि कं की समानक ऊपरी मोटाई को लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस समानक कारक का ध्यान इसी मार्ग के अन्य भाग[74] के लिए ऊपरी मोटाई की गणना में लिया गया था।

इस प्रकार विभाग ने बी एम की अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन पर ₹ 55.50 लाख का परिहार्य व्यय किया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2014), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

---

[68] बेन्किलमैन बीम विक्षेपन तकनीक का प्रयोग वर्तमान लचीले फुटपाथ की संरचनात्मक क्षमता के मूल्यांकन करने और किसी कमजोर फुटपाथ के सुदृढ़ीकरण के लिए ऊपरी सतह के आकलन एवं रूपांकन के लिए किया जाता है (आई आर सीः 81-1997)

[69] 150 मिमी वाटर बाऊंड मैकेडम (वा बा मै) + 50 मिमी बि मै + 25 मिमी से डे बि कं = 225 मिमी।

[70] आई आर सी 81-1997 के अनुसार, 0.7 से डे बि कं का समानक कारक = 1 बि मै इसलिए 25 मिमी. से डे बि कं = 35.71 मिमी. बि मै।

[71] 150 मिमी बि मै [50 मिमी बि मै जैसा कि आई आई टी द्वारा संस्तुत + 100 मिमी वी बा मै के बदले में (आई आर सी 81-1997 के अनुसार, 1.5 व बा मै का सम्भारित कारक = 1 बि मै)] और 25 मिमी एस डी बी सी।

[72] समारक कारक के अनुसार 0.7 = 1 बि मै, अतः बि मै की अतिरिक्त मात्रा = 1000 घन मी (वास्तविक निष्पादित/ बि मै की आकलित मात्रा = 25 मिमी से डे बि कं के समानक कारक को ध्यान में रखते हुए बि मै की मात्रा जो निष्पादित की जानी चाहिए = 4000×7×0.15-4000×7×0.11429 (0.15-0.03571)।

[73] ₹ 5550×1000 घन मी. बि मै = ₹ 55,50,000।

[74] बाजपुर भाग का 60 से 63 किमी।

रेशम उत्पादन विभाग

1.13 रेशम उद्यान के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

रेशम उद्यान भवन के निर्माण पर ₹ 2.67 करोड़ व्यय करने के चार वर्ष व्यतित होने के पश्चात भी राज्य में रेशम उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

उत्तरांचल सहकारी रेशम फेडरेशन (उ स रे फे) की स्थापना वर्ष 2002 में राज्य में रेशम कीट पालन गतिविधियों के विकास के लिए उच्चतम सहकारी संस्था के तौर पर की गयी थी।

शासन द्वारा 'उत्तरांचल सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण' परियोजना के अन्तर्गत देहारादून में रेशम उद्यान की स्थापना हेतु रेशमकीट पालन निदेशालय के एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया(मार्च 2007)। परियोजना का उद्देश्य रेशम उत्पादन को लोकप्रिय बनाना, नई तकनीक और डिजाईनों को प्रोत्साहित करना, रेशम की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रतिवर्ष 4.90 लाख[75] मानव दिवसों के रोजगार के अवसरों का सृजन करना था।

रेशम उद्यान का निर्माण ₹ 266.23 लाख[76] की लागत से किया गया था। रेशम उत्पादन विभाग ने निर्माण एजेंसी से भवन को अधिगृहीत कर लिया था (जनवरी 2010) परन्तु इसे उ स रे फे को हस्तान्तरित नहीं किया गया था (जून 2014) क्योंकि भवन के हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित था।

विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2012) और इसके अतिरिक्त एकत्र की गई सूचनाओं (जून 2014) में यह पाया गया कि विभाग ने शासन से सिर्फ रेशम उद्यान भवन हेतु निधियों की आवश्यकता प्रस्तावित की थी। तथापि, वह उ स रे फे में लगने वाली जनशक्ति की आवश्यकता को प्रस्तावित करने में विफल रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्यान के यथोचित कार्यान्वयन के लिए विभाग को दो सहायक निदेशक[77] और 11 सहायक/तकनीकी[78] कर्मचारियों सहित 13 कार्मिकों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि परियोजना द्वारा प्रतिवर्ष मात्र 0.20 लाख मानव दिवस के रोजगार अवसर ही सृजित किये जा सके।

उक्त के इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि उ स रे फे को रेशम उद्यान भवन के हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है और उ स रे फे को उद्यान भवन के हस्तान्तरण के पश्चात उसके क्रियाकलाप और अधिक प्रभावी हो जायेगें। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ₹ 266.23 लाख के व्यय से निर्मित रेशम उद्यान भवन को उसके निर्माण के चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उ स रे फे को हस्तांतरित करने में विफल रहा था। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में रेशम उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2014), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

---

[75] चरखी क्षेत्र 1.50 लाख, बुनाई क्षेत्र 3.00 लाख और अन्य 0.40 लाख प्रत्येक क्षेत्र में प्रति वर्ष।

[76] भवन हेतु ₹ 244.00 लाख, चारदीवारी हेतु ₹ 21.66 लाख और परामर्शदाताओं की शुल्क हेतु ₹ 0.57 लाख।

[77] सहायक निदेशक-विपणन और सहायक निदेशक-वस्त्र उद्योग।

[78] सहायक तकनीकी (वस्त्र उद्योग में डिप्लोमा धारक)-2; सहायक तकनीशियन (आई टी आई उत्तीर्ण)-2 बुनकर-2; डिजाइनर्स (वस्त्र उद्योग के डिप्लोमा धारक एवं डिग्री धारक)-01; रेशम उत्पादन निरीक्षण-01, स्टोर कीपर-01; परिचर-02।

समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग

1.14 बालिकाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाएं

नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में धनराशि ₹ 46.80 लाख का अधिक व्यय किया जाना प्रतिवेदित किया और इसे अभ्यर्पण के स्थान पर पी एल ए खाते में रखा गया और 365 कन्या शिशु जिनका जन्म घर पर हूआ था, को ₹ 18.25 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के अंत में धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी 1,266 स्वीकृत मामले भुगतान हेतु लम्बित थे। राज्य सरकार को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण करने में समय और लागत में वृद्धि के कारण धनराशि ₹ 2.57 करोड का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

1.14.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (क गाँ बा वि) अगस्त 2004 में प्रारम्भ की गयी जबकि राज्य सहायतित गौरा देवी कन्याधन योजना (गौ दे क यो) और नन्दा देवी कन्याधन योजना (न दे क यो) का प्रारम्भ क्रमशः सितम्बर 2006 और मई 2009 में किया गया। क गाँ बा वि का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर के प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर यह सुनिश्चित करना कि समाज के अलाभकारी वर्ग[79] की बालिकाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचायी जाए। गौ दे क यो में बी पी एल परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करने के उपरान्त उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ₹ 25,000 धनराशि की राष्ट्रीत बचत पत्र (रा ब प)/सावधि जमा (सा ज) प्रदान करना है। न दे क यो का उद्देश्य लैंगिक समानता को बनाये रखना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, हाईस्कूल स्तर तक बालिका शिक्षा को आवश्यक बनाना, बाल विवाह को रोकना, संस्थागत प्रसव को बढावा देना आदि है। योजनान्तर्गत, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र (स स्वा के) में पैदा हुई, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को ₹ 5,000 की सावधि जमा (सा ज) प्रदान करना है। न दे क यो एवं गौ दे क यो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है जबकि क गाँ बा वि योजना का वित्त पोषण संघ सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 65:35 के अनुपात में है।

अप्रैल 2014 और जुलाई 2014 के मध्य, चार जनपदों[80] में समाज कल्याण और शिक्षा विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों[81] के अभिलेखों की नमूना जाँच कर तीन योजनाएं जैसे कि न दे क यो, गौ दे क यो और क गाँ बा वि योजना की लेखापरीक्षा की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नवत् है।

1.14.2 वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, न दे क यो, गौ दे क यो और क गाँ बा वि योजना के अन्तर्गत कुल निधियाँ क्रमशः ₹ 16.49 करोड, ₹ 172.26 करोड एवं ₹ 20.92 करोड़ प्राप्त हुईं। समन्वित बाल विकास सेवायें (स बा वि से) एवं शिक्षा विभाग अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वे न दे क यो और क गाँ बा वि योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में विफल रहे। न दे क यो के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में धनराशि ₹ 46.80 लाख का अधिक व्यय प्रतिवेदित किया गया और इसे अभ्यर्पण के स्थान पर पी एल ए खाते में रखा गया। निदेशक, स बा वि से ने अवगत कराया कि योग्य लाभार्थियों की कम संख्या

[79] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्प संख्यक समुदाय।

[80] टिहरी, हरिद्वार, अल्मोडा और उधम सिंह नगर।

[81] जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान और वार्डन, क गाँ बा वि छात्रावास।

के कारण निधियाँ व्यय नहीं हो पायी जबकि अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान) ने अवगत कराया कि बालिकाओं के कम नामांकन एवं कर्मचारियों की भर्ती न होने के कारण निधियाँ अव्ययित पड़ी थीं।

1.14.3 नन्दा देवी कन्या योजना

1.14.3.1 अनियमित भुगतान

न दे क यो के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर जन्मी शिशु कन्या, लाभ पाने हेतु पात्र होगी, के प्रावधान के विपरीत, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास (जि का अ, बा वि)[82] के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 365 कन्या शिशु जिनका जन्म घर पर हुआ था को लाभान्वित किया गया और उनको 2011-14 के दौरान ₹ 18.25 लाख[83] का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार, यह, योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव को बढावा देने के उद्देश्य के विपरीत था। सम्बन्धित जि का अ बा वि ने कहा कि शासनादेश के प्रावधानों के आधार पर भुगतान किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसाकि शासनादेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या शिशु का जन्म, प्रशिक्षित सहायक नर्स मिडवाइफ की प्रयवेक्षण में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र पर होना चाहिए, घर पर नहीं।

1.14.3.2 लाभार्थियों का अनुचित पक्ष

जि का अ बा वि अल्मोडा एवं उधम सिंह नगर (उ सिं नगर) के दस्तावेजों की जाँच दर्शाती है कि शासकीय आदेश के प्रावधानों के विपरीत 105 मामलों में आवेदन फार्म 25 दिनों से 814 दिनों की देरी से प्राप्त किये गये थे जैसा कि विवरण **तालिका 1.14.1** में है।

तालिका 1.14.1

जनपद	आवेदन पत्र प्राप्ति का वर्ष	शासकीय आदेशों का प्रावधान	देरी	
			मामलों की संख्या	अवधि
अल्मोडा	2011-12	जनवरी 2011 में जारी शासनादेश के अनुसार, 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2010 के मध्य जन्मी शिशु कन्या को 60 दिनों के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता को शिथिल किया गया और 1 जनवरी 2011 के बाद जन्मी शिशु कन्या को 60 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र प्राप्ति की शर्ते जारी रहेंगी।	33	75 से 450 दिन
उ सिं नगर			04	125 से 226 दिन
अल्मोडा	2012-13	जुलाई 2012 में जारी शासनादेश के अनुसार, शिशु कन्या के जन्म के 60 दिनों के भीतर आवेदन पत्र जमा करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया एवं नये प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम दिवस को पैदा होने वाली शिशु कन्या उस वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन तक लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र रहेगी।	01	814 दिन
उ सिं नगर			19	36 से 693 दिन
अल्मोडा	2013-14		12	25 से 156 दिन
उ सिं नगर			36	24 से 307 दिन
		योग	**105**	**25 से 814 दिन**

---

[82] टिहरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर।

[83] 365 X ₹ 5,000 = ₹ 18.25 लाख।

इसके अतिरिक्त, ₹ 5.25 लाख[84] जो इन 105 लाभार्थियों को भुगतान किया गया वह न केवल शासनादेश के प्रावधानों का उल्लघंन है किन्तु यह भुगतान लाभार्थियों के अनुचित पक्ष को बढावा देता है। जि का अ, बा वि ने कहा कि धनराशि उपलब्ध होने और अत्यधिक लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से देरी से आये आवेदन पत्र स्वीकार किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत लाभ प्रदान किया गया था।

1.14.3.3 जागरुकता कार्यक्रम

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 11,434, 7,003 एवं 7,693 को लाभान्वित किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 से लाभार्थी घटते हुए क्रम में है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में परिवारों को जागरुक करने हेतु कोई जागरुकता कार्यक्रम/अभियान नहीं चलाया गया। उप निदेशक, स बा वि से ने कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा कोई निधि निर्गत नहीं की गयी, भविष्य में योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

1.14.4 गौरा देवी कन्याधन योजना

1.14.4.1 अनियमित भुगतान और लाभार्थियों को अदेय लाभ

गौ दे क यो के अन्तर्गत 11 बालिकाओं[85] को धनराशि ₹ 2.75 लाख का दोहरा भुगतान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, शासनादेश के अनुसार, योजनान्तर्गत एक दम्पत्ति की अधिकतम दो बालिका ही लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य होंगी। जबकि अभिलेखों में पाया गया कि 16 दम्पत्तियों[86] की दो के स्थान पर तीन बालिकाओं को भुगतान किया गया था। फलस्वरुप, 16 बालिकाओं को ₹ 25,000 प्रति बालिका की दर से ₹ चार लाख का अदेय लाभ/अनियमित भुगतान प्रदान किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि स क अ)[87] और जिला परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण (जि प अ स क) द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अनियमित भुगतान की वसूली की जाएगी।

1.14.4.2 लाभार्थियों को समय पर लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना

शासनादेश के अनुसार, योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष जि स क अ कार्यालय में लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जाएंगे। जिला समिति, प्रत्येक वर्ष पात्र बालिकाओं के चयन के बाद 30 अक्टूबर तक पात्रता सूची प्रकाशित करेगी और 30 नवम्बर तक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

गौ दे क यो के अन्तर्गत, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान चार जनपदों में कुल 25,748 बालिकाओं[88] को लाभान्वित किया गया। जबकि, अभिलेखों में पाया गया कि इन जनपदों में वर्ष 2013-14 के अन्त में 5,649 मामले भुगतान हेतु लम्बित थे। जि स क अ और जि प अ, स क ने कहा कि बजट आवंटन हेतु मांग पत्र सरकार का भेजा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जि स क अ उधम सिंह नगर के अभिलेखों में पाया गया

---

[84] 105 X₹ 5,000= ₹ 5.25 लाख।

[85] टिहरीः एक बालिका, हरिद्वारः दो बालिका और अल्मोडाः आठ बालिका।

[86] टिहरी में 10 और अल्मोडा में छः।

[87] टिहरी और हरिद्वार।

[88] टिहरीः 8,982, हरिद्वारः 3,875, अल्मोडाः 6,994 और उधम सिंह नगरः 5,897।

कि वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹ 3.16 करोड की धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी 1,266 स्वीकृत मामले भुगतान हेतु लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय के अनुसार भुगतान प्रक्रिया सभी तरह से 30 नवम्बर तक पूर्ण कर ली जानी चाहिए। यद्यपि, योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी समय से लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे।

1.14.5 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (क गाँ बा वि)

1.14.5.1 छात्रावासों पर अधिक भार

योजनान्तर्गत, प्राथमिक स्तर के स्कूल में पढ़ने वाले मुख्य रुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की न्यूनतम 50 बालिकाओं का नामांकन छात्रावास में किया जाना था। राज्य के 12 जनपदों में कुल 28 आवासीय क गाँ बा वि कार्यरत थे। मानकों के अनुसार[89], इन छात्रावासों में न्यूनतम 1,400 पात्र बालिकाओं का नामांकन किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन क गाँ बा वि में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 1,230, 1,207 एवं 1,260 बालिकाओं का नामांकन किया गया था। नमूना चयनित जनपदों के 16 छात्रावासों में वर्ष 2013-14 के दौरान 800 स्वीकृत बालिकाओं के सापेक्ष उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) की 372 बालिकाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 1,045 बालिका रह रहीं थी ***(परिशिष्ट 1.14.1)*** क्योंकि विभाग ने, दिशानिर्देशों का उल्लघंन करते हुए उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर की बालिकाओं को इन क गाँ बा वि छात्रावासों में रहने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। परिणामस्वरुप, इन छात्रावासों पर अधिक बोझ पड़ रहा था। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2014) कि माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए अलग व्यवस्था करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 16 क गाँ बा वि में से 14 में 50 से अधिक बालिकाएं निवास कर रही थीं। 1,045 बालिकाओं के लिए केवल 538 बेड उपलब्ध थे। फलस्वरुप जगह की कमी के कारण बालिकाओं द्वारा बेड साझा किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि टिहरी जनपद के एक छात्रावास में बेड प्रदान नहीं किये गये थे। नमूना चयनित जनपदों में, ***परिशिष्ट 1.14.1*** में वर्णित के अनुसार स्नानागार एवं शौचालय में कमी पायी गयी।

1.14.5.2 क गाँ बा वि भवनों के निर्माण में असामान्य देरी

योजनान्तर्गत, जुलाई 2014 तक सरकार द्वारा 28 छात्रावास[90] स्वीकृत किये गये थे एवं जुलाई 2014 तक ₹ 23.34 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.14.2*** में दिया गया है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क गाँ बा वि छात्रावासों के निर्माण पर ₹ 17.02 करोड का व्यय किया गया था। आठ छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था तथा भवनों को, विभाग को हस्तगत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, भूतल तक निर्मित 11 में से नौ छात्रावासों को भी विभाग को हस्तगत कर दिया गया था। शेष नौ छात्रावासों[91] का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये एक जनपद[92] में सभी पांच क गाँ बा वि छात्रावासों के पूर्ण होने में सात से लेकर नौ वर्ष तक के विलम्ब के कारण तीन छात्रावास[93] किराये के भवन में संचालित किए जा रहे थे

---

89 पचास बालिका प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष।

90 2004-05 में 13, 2006-07 में 12, 2008-09 में 01 और 2010-11 में 02।

91 2004-05 में 03 स्वीकृत और 2006-07 में 06 स्वीकृत।

92 टिहरी गढवाल।

93 आमपाटा, रौतू की बेली, और सुजडगाँव।

और दो छात्रावास[94] विद्यालय एवं पंचायत भवन में संचालित किए जा रहे थे। इन किराये के भवनों के लिए छात्रावास प्राधिकारियों द्वारा मार्च 2014 तक ₹ 6.21 लाख की धनराशि किराये के रुप में भुगतान की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को निर्माण कार्य पूर्ण करने में समय और लागत में वृद्धि के कारण धनराशि ₹ 2.57[95] करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पडा। इंगित किये जाने पर सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार द्वारा पाँच छात्रावासों के निर्माण हेतु ₹ 172.55[96] लाख की राशि स्वीकृत की गई जो कि राज्य की दर अनुसूची के अनुसार पर्याप्त नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कार्य को तय समय पर पूर्ण कर लिया गया होता तो लागत वृद्धि को टाला जा सकता था।

1.14.5.3 बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा

बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बालिका छात्रावास में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु दिशा-निर्देशानुसार धनराशि दी जानी होती है। नमूना जाँच की गयी क गाँ बा वि छात्रावासों का भौतिक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 16 छात्रावासों में से 9 में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला वार्डन की पदस्थापना होनी चाहिए थी। यह देखा गया कि दो छात्रावासों[97] में महिला वार्डन की पदस्थापना नहीं की गयी थी और प्रारम्भ से ही इस व्यवस्था की देखभाल ब्लॉक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्रों (ब्लॉ सं के/सं सं के) द्वारा की जा रही थी।

सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जिला योजना के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण के प्रावधान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

शहरी विकास विभाग

1.15 नगर निगम हरिद्वार का वित्तीय प्रबंधन

व्यय का अवास्तविक उच्चतर बजट आगणन बनाने के कारण नगर निगम वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ₹ 17 करोड़ की सीमा तक की निधियों का उपभोग नहीं कर सका। वर्ष 2001 से ₹ 82 लाख की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका, जिसका उपयोग ऐसे कार्यों पर होना था, जिससे आय का सृजन हो सके। नयी विज्ञापन नीति के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 2001 से विज्ञापन कर की दरों को संशोधित नहीं किया गया। फूल विक्रेता से 'फूल फरोशी प्रभार' एवं फेरी वालों से 'तहबाजारी' वसूलने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.16 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया गया।

हरिद्वार उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण जनपदों में से एक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.27 लाख है। इसे 12.17 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के साथ 30 वार्डों में विभाजित किया गया है। नगर निगम हरिद्वार के मुख्य कार्य करों का मूल्यांकन एवं वसूली, सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव, कूड़े का संग्रहण एवं निस्तारण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), नालियों का रख-रखाव, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाये रखना, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था इत्यादि है।

---

[94] रौसाल, कौशल।

[95] व्यय राशि (₹ 429.47 लाख) – स्वीकृत लागत (₹ 172.55 लाख)।

[96] चार छात्रावासों को ₹ 23.10 लाख प्रति छात्रावास के अनुसार + ₹ 80.15 लाख एक छात्रावास के लिए।

[97] क गाँ बा वि कौशल और सुजडगाँव जनपद टिहरी।

वर्ष 2010-14 अवधि तक की नगर निगम के वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रित लेखापरीक्षा जून 2014 में सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

1.15.1 बजट नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन

नगर निगम के अभिलेखों में पाया गया कि वर्ष 2010-14 तक के बजट आगणन, नगर निगम की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बिना तैयार किए गए थे। यह भी पाया गया कि बजट आगणन, बोर्ड के अनुमोदन हेतु 79 से 148 दिनों के विलम्ब से प्रेषित किए गए। परिणामतः 51 से 69 दिनों के विलम्ब से राज्य सरकार को आगणन प्रेषित किए गए। वर्ष 2010-14 के दौरान नगर निगम द्वारा निरन्तर आंकलित आय के सापेक्ष, व्यय का 124 से 144 *प्रतिशत* अधिक बजट आगणन तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि वर्ष 2010-14 के दौरान अनुमानित व्यय तथा वास्तविक व्यय में 42 से 67 *प्रतिशत* तक की भिन्नता थी तथा ₹10 करोड़ से ₹ 17 करोड़ (अर्थात बजट की 22 से 45 *प्रतिशत*) धनराशि अवशेष थी। इससे यह परिलक्षित होता है कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अवास्तविक आगणन तैयार किये गये थे।

1.15.1.1 वार्षिक लेखों का तैयार किया जाना

राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (रा न पा ले मै) के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों (अक्टूबर 2007) के अनुसार नगर निगमों द्वारा दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली अपनायी जानी थी। यद्यपि, यह देखा गया कि अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों की कमी के कारण प्रस्तावित लेखा पद्धति लागू नहीं की गई। वार्षिक लेखों के तैयार करने में निम्नलिखित कमियां भी पाई गईं:-

- वर्ष 2012-13 तक के लेखे तैयार किये गये हैं। तथापि, वार्षिक लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 202 दिनों तक के विलम्ब से तैयार किये गये गये थे।
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम[98] के अनुसार लेखाओं को मुख्य नगर लेखापरीक्षक (मु न ले प) द्वारा सत्यापित किया जाना था, किन्तु नगर निगम द्वारा इसको सुनिश्चित नहीं किया गया।
- जून 2014 तक नगर निगम में कोई भी लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं लाया गया तथा सभी लेन-देनों का लेखांकन मैनुअली किया जा रहा था।

विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) तथा नगर निगम को प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया परन्तु जारी निर्देशों का अनुपालन जून 2014 तक नगर निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

1.15.1.2 विकासात्मक निधियों के उपभोग में विलम्ब

लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित बिन्दु पाए गए:-

- आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु संसाधन जुटाने एवं नगर निगम को अपने आय का स्रोत सृजित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा रिवाल्विंग निधि के तहत ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ₹2.67 करोड़ स्वीकृत किए गए (दिसम्बर 2001 से दिसम्बर 2002)। शासनादेश (अक्टूबर 2002) में जोर दिया गया था कि कुल स्वीकृत निधि की 30 *प्रतिशत* धनराशि ऐसे कार्यों में उपयोग की जाये जिससे आवर्ती आय के स्रोत

[98] उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 142 (2)।

उत्पन्न किए जाने में सहायता प्राप्त हो सके तथा शेष 70 *प्रतिशत* को विकासात्मक कार्यों[99] में उपयोग किया जाए। यह पाया गया कि नगर निगम द्वारा आय वांछित सृजनात्मक कार्यों को कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और पिछले 11 वर्षों से ₹ 0.82 करोड़ की धनराशि उपर्युक्त उद्देश्य के उपयोग हेतु अभी भी पड़ी हुई थी।

- कुम्भ मेले से सम्बन्धित ₹ 1.67 करोड़ की धनराशि पी एल ए (2010) में रखी गई थी जिसमें से कुम्भ मेले हेतु ₹ 32 लाख की सामग्री का क्रय किया जाना था। नगर निगम द्वारा न तो किसी सामग्री का क्रय किया गया न ही प्रावधानों के अनुसार धनराशि समर्पित की गई। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा किन्ही विशिष्ट निर्देशों के अभाव में नगर निगम द्वारा बकाये बिलों के समायोजन हेतु ₹ 1.35 करोड़ रोके रखे गये थे (जून 2014)।

तथ्यों को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा बताया गया कि भू-स्वामित्व के विवाद के कारण चिन्हित कार्य (आवर्ती आय सृजन हेतु बारात घर का निर्माण) नहीं किया जा सका। कुम्भ मेले से सम्बन्धित देनदारियों को यथाशीघ्र समायोजित कर लिया जाएगा।

राजस्व संग्रहण

1.15.2 कर एवं करेत्तर राजस्व के संग्रहण में कमी

1.15.2.1 सम्पत्ति कर

नगर निगम हरिद्वार में सम्पत्ति कर उद्ग्रहण में निम्नलिखित कमियां पाई गयीः-

- अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे। नियमों के अभाव में, निगम में सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन की स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रणाली नहीं थी। नगर निगम द्वारा भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए कोई क्षेत्रवार मानक नहीं बनाये गये थे। महत्वपूर्ण विवरण, जैसे कि स्थान, अधिभोग का माह, भवन का आकार, निर्माण की प्रकृति, उपलब्ध सुविधाए इत्यादि वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित नही थे। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार किये बिना वर्ष 2001-02 से मूल्यांकित सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के सीधे 7.5 *प्रतिशत* की दर से कर अधिरोपित किया गया।

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 145 के अनुसार गृह/भूमि कर की दरें प्रत्येक पांच वर्षों में पुनरीक्षित की जानी चाहिए। नगर निगम का अधिकार क्षेत्र तीन परिक्षेत्रों में बंटा हुआ था जैसे कि हरिद्वार, कनखल एवं ज्वालापुर। वर्ष 2006-07 से लागू किये जाने वाले सम्पत्ति कर में पुनरीक्षण हेतु सर्वेक्षण केवल कनखल क्षेत्र में ही किया गया और पुनरीक्षित दरों के लागू होने के बाद, इस क्षेत्र से सम्पत्ति कर की वसूली में 162 *प्रतिशत*[100] की वृद्धि हुई। शेष दो क्षेत्रो में, अभी भी वही मांग बनी हुई है, जो वर्ष 2001-02 में लागू थी। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विलम्ब के कारण नगर निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त करने की क्षमता को खो दिया गया।

- लेखापरीक्षा मे पाया गया कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 35,000 से अधिक आवासीय और गैर आवासीय भवन थे, जिसमें से मार्च 2012 तक 10,000 से अधिक भवनों (1,000 वाणिज्यिक एवं 9,000

---

[99] पथ प्रकाश, नाली निर्माण, सडकें एवं ईंट की सड़के इत्यादि।

[100] 2005-06 में ₹ 11.20 लाख की वसूली के सापेक्ष वर्ष 2006-07 मे भूमि/गृह कर रूप में ₹ 29.29 लाख की वसूली।

आवासीय) पर कोई सम्पत्ति कर लागू नहीं किया गया। तथापि, नगर निगम द्वारा इन भवनों के कर निर्धारण की प्रक्रिया विलम्बतः अप्रैल 2012 से प्रारम्भ की गई जो जून 2014 तक प्रगतिशील थी। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

- नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की केवल मांग पंजिका बनाई गई थी। सभी निर्धारित इकाईयों से सम्बन्धित निर्धारण एवं बकाया की मांग पंजिका नहीं बनाई जा रही थी। वर्षवार बकाये अथवा व्यक्तिगत निर्धारिती के बकाये आदि से सम्बन्धित विवरण नगर निगम में उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक कर सुधार समिति का गठन किया जा चुका है (मार्च 2013), जिसकी संस्तुतियां जून 2014 तक प्रतीक्षित थी।

1.15.2.2 विज्ञापन कर

राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा विज्ञापन नीति बनाई गई एवं इसे राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया (नवम्बर 2011)। इस नीति का अनुमोदन अभी भी लम्बित है। परिणामस्वरूप, विज्ञापन की दरों का संशोधन नहीं किया गया एवं वर्ष 2001-02 की दरों के आधार पर ही कर लागू किए जा रहे थे।

1.15.2.3 दुकानों का किराया

हरिद्वार शहर में पूर्व निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर दुकानों के किराये की दरें नगर निगम द्वारा संशोधित की गई (मार्च 2012)। तद्नुसार, नगर निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में 479 दुकानदारों से कुल ₹ 1.81 करोड़ की मांग (वर्तमान मांग ₹ 0.92 करोड़ तथा बकाया ₹ 0.89 करोड़) की गई परन्तु मार्च 2014 तक 15 *प्रतिशत* की छूट देने के बाद भी मात्र ₹ 0.46 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की वसूली ही की जा सकी। नगर निगम द्वारा बताया गया कि स्टाफ के अभाव में प्रत्याशित मांग की पूर्णतया वसूली नहीं की जा सकी।

1.15.2.4 निगम भूमि का किराया

जिलाधिकारी/नगर निगम प्रशासक के आदेशानुसार (मार्च 2012), सम्पत्ति किराये/दरों को सर्किल रेट (बाजार दर) पर संशोधित किया जाना था। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि आदेशों के विपरीत, नगर निगम, फरवरी 2003 के पूर्वनिर्धारित दरों पर ही किराये का निर्धारण एवं संग्रहण करता रहा, जिससे नगर निगम में किराये सर्वेक्षण हेतु तंत्र की विफलता प्रदर्शित होती है। साथ ही, नगर निगम द्वारा जून 2014 तक भूमि किराये से संबन्धित आवश्यक अभिलेखों[101] को अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में राजस्व की वास्तविक क्षति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, मार्च 2014 को भूमि के 109 छोटे प्लाटों के संदर्भ में पूर्वनिर्धारित दरों के आधार पर आंकलित ₹ 71.94 लाख[102] की मांग के सापेक्ष नगर निगम द्वारा ₹ 38.61 लाख (54 *प्रतिशत*) की वसूली नहीं की जा सकी।

1.15.2.5 भूमि के पट्टे

नगर निगम द्वारा शासन से एक नीति बनाने का अनुरोध इस प्रस्ताव के साथ किया गया (जून 2008) कि पट्टे की अवधि बीत जाने के बाद, नगर निगम या तो भूमि अधिग्रहण कर सके अथवा अपनी आय बढ़ाने के लिए इसे फ्री होल्ड कर सके। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने एक निश्चित नीति बनाने के स्थान पर

---

[101] मांग एवं वसूली पंजिका।

[102] वर्तमान मांग ₹ 31.66 लाख बकाया + ₹ 40.28 लाख।

निर्देशित (अप्रैल 2010) किया कि पट्टे की भूमि को शहरी विकास विभाग/आवास विभाग की अनुमति के बिना न तो बेचा जाना चाहिए एवं न ही नवीनीकरण किया जाना चाहिए। नगर निगम द्वारा 1,54,198 वर्ग फीट माप की भूमि[103] लोगों को पट्टे पर दी गई थी। पट्टे की अवधि मार्च 2013 में समाप्त हो गई और पुनः निगम ने प्रकरण को शासन को अग्रेषित कर दिया (मार्च 2013) तथापि, जून 2014 तक शासन द्वारा कोई आवश्यक दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, जून 2014 तक नगर निगम द्वारा न तो पट्टों का नवीनीकरण किया जा सका एवं न ही भूमि को पट्टेधारकों द्वारा अनाधिकृत कब्जे से बचाने के लिए फ्री होल्ड किया गया।

1.15.2.6 फेरी नीति

सड़क किनारे स्थित फेरी वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियम एवं प्रबंधन नियम बनाए गए (नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन विनियमों एवं नियमों के आधार पर नगर निगम ने 2,750 फेरी वालों की क्षमता वाले कुल 15 फेरी क्षेत्र चिह्नित किये। तथापि, सर्वेक्षण की अपूर्णता, विस्तृत डिजिटल फोटो गणना एवं फोटो पहचान पत्र जारी न होने के कारण जून 2014 तक फेरी वालों को पंजीकृत नहीं किया गया था। फेरी नीति के प्रचलन से पूर्व, नगर निगम ठेकेदारों के माध्यम से तहबाजारी वसूलती थी। तहबाजारी की अंतिम निविदा ₹ 0.45 करोड़ में छः माह की अवधि के लिए अक्टूबर 2011 से प्रारम्भ होकर मार्च 2012 तक के लिए दी गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अप्रैल 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तदुपरान्त, फेरी नीति के विचाराधीन होने के कारण नगर निगम प्राधिकरण द्वारा तहबाजारी संग्रहण के लिए कोई ठेका नहीं दिया गया। इससे पूर्व की निविदा के आधार पर आंकलित कम से कम ₹ 1.95 करोड़[104] की राजस्व की क्षति हुई। इस बीच, किसी विनियम एवं करों के भुगतान के बिना ही, फेरी वालों को उनकी व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने के लिए छोड़ दिया गया।

1.15.2.7 फूल फरोशी

धार्मिक उद्देश्यों हेतु फूल बेचने के लिए हरकी पौड़ी से सटे क्षेत्रों को ठेकेदारों को पट्टे पर दिया गया है। *फूल फरोशी*[105] की नीलामी की शर्तों के अनुसार सफल निविदादाताओं को, समझौते की पूर्णावधि के नौ माह के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1988-89 से वर्ष 2004-05 तक 26 ठेकेदारों से ₹ 21.20 लाख की वसूली लम्बित थी (जून 2014)। व्यक्तिवार धनराशियों ₹ 0.05 लाख से ₹ 5.38 लाख के बीच थीं जो नगर निगम की राजस्व वसूली के प्रति लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है। नगर निगम द्वारा जून 2014 तक उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2014), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

---

[103] प्लॉट स. 8,9,10,11,12,15 एवं 16।

[104] छः माह के लिए ₹ 0.45 करोड़ (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 और एक माह की वृद्धि) अतः ₹ 0.45 करोड़ ÷ 6= ₹ 0.075 करोड़ प्रति माह x 26 माह (जून 2014 तक) = ₹ 1.95 करोड़।

[105] फूलों की बिक्री का स्थान।

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

1.16 सौर ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

अभिकरण ने सौर फोटो वॉल्टाइक कार्यक्रम के लाभार्थियों से सेवा प्रभार के रूप में ₹ 66.71 लाख का अनियमित संग्रहण किया था। सौर स्ट्रीट लाइटों पर ₹ 10.61 लाख का व्यय निरर्थक हो गया था क्योंकि लाइटें वारंटी अवधि के अन्दर अक्रियाशील पायी गई थीं और उन्हे दरूस्त नहीं किया गया था। वर्ष 2009 से ₹ 10.63 लाख के सौर उपकरण अवितरित पड़े थे। ₹ 13.15 लाख की सौर बैटरियाँ, उनकी अधिप्राप्ति के वर्ष (जनवरी 2011) से ही निष्क्रिय पड़ी थीं।

1.16.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों पर आधारित विभिन्न योजनाओं का उत्तराखण्ड में परिचालन एवं क्रियान्वयन का संचालन करता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा में इनमें से आठ परियोजनाओं[106] की नमूना जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

1.16.2 सौर लालटेनों के वितरण में लाभार्थियों से अनियमित संग्रहण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (ज ने रा सौ मि) के सौर फोटो वॉल्टाइक कार्यक्रम (सौ फो वॉ) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट विकास खण्डों के प्रत्येक घर में एक सौर लालटेन का वितरण किया जाना था।इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने लाभार्थी के द्वारा शेष 10 *प्रतिशत* लागत वहन करने की शर्त पर, लालटेनों की लागत के 90 *प्रतिशत* तक सब्सिडि उपलब्ध करायी थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तीन *प्रतिशत* तक, सेवा प्रभार अवमुक्त किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच (जून 2014) में पाया गया कि उरेडा ने 80,859 सौर लालटेनें उपलब्ध करवाने के लिए दो परियोजनाएं क्रियान्वित कीं। ₹ 17.57 करोड़ की लागत से मै. गौतम पॉलिमर्स, हरिद्वार (₹ 2,187 की दर से 56,666 लालटेने) व मै. जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड़, जलगांव (₹ 2,142 की दर से 24,193 लालटेनें) की आपूर्ति आदेश दिए गए थे (जनवरी 2013)। योजना के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थियों को लागत का 10 *प्रतिशत,* अर्थात प्रथम प्रकरण में ₹ 219 प्रति लालटेन एवं द्वितीय प्रकरण में ₹ 214 प्रति लालटेन, अंशदान देना था। फिर भी उरेडा ने लाभार्थियों से ₹ 300 प्रति लालटेन की दर से वसूल किया। इस तरह, उरेडा ने 80,859 लाभार्थियों से प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा प्रभार के रूप ₹ 66.71 लाख[107] का अनियमित अंशदान संग्रहित किया।

इसे इंगित किए जाने पर, अभिकरण ने बताया कि लाभार्थियों से संग्रहित सेवा प्रभार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय किए गए। उसने यह भी बताया कि भारत सरकार से लिए गए सेवा प्रभार को अभिकरण के

---

[106] सौर नगर की दो, एस ए डी पी की एक, स्ट्रीट लाइटों की दो, सोलर पावर प्लांट की एक एवं सौर लालटेनों की दो।

[107] (₹ 300-₹ 219) x 56666+(₹ 300-₹ 214) x 24193 = ₹ 66.71 लाख।

प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जयेगा। यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों से केवल लाभार्थी अंशदान प्राप्त करने की ही अनुमति थी।

1.16.3 अक्रियाशील सौर स्ट्रीट लाइट (सौ स ला) पर निष्फल व्यय

उरेडा द्वारा राज्य में सौ फो वॉ स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति एवं विस्तृत अनुरक्षण हेतु दो वर्षों की वारंटी सहित सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया (नवम्बर 2008)। अनुबंध के प्रावधानानुसार, फर्म को वारंटी/गारंटी/ए एम सी अवधि में दोषपूर्ण पुर्जों को तुरन्त सुधारना/बदलना था। यदि शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर ठेकेदार द्वारा दोष का सुधार नहीं किया गया, तो उरेडा ठेकेदार के खर्चों पर यंत्रो को काम चलाऊ स्थिति में पुनर्स्थापित कर सकता था।

उरेडा ने 81 सौर स्ट्रीट लाइटों (सौ स ला) की आपूर्ति हेतु ₹ 18.75 लाख का कार्यादेश दिया (अक्टूबर 2010) और कम्पनी ने जनवरी 2011 में आपूर्ति की। यह पाया गया कि जिला पंचायत टिहरी के अन्तर्गत 29 गावों में 54 सौ स ला प्रतिस्थापित किए गए थे (अप्रैल 2011) तथा शेष 27, तीन ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए थे। परन्तु, अभिलेखों ने दर्शाया कि 54 सौ स ला में से 45 वारंटी अवधि के दौरान ही अक्रियाशील थे। फर्म ने अनुबंध के अनुसार दोष का सुधार नहीं किया। इसके अलावा, उरेडा द्वारा नवम्बर 2012 के पश्चात् इन यंत्रों को पुनस्थापित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि 10 अक्रियाशील स्ट्रीट लाइटों के प्रकरण में प्लेटें, बैटरियां व सी एफ एल चोरी हो गये थे। इस प्रकार, 45 सौ स ला पर व्यय की गई राशि ₹ 10.61 लाख[108] निष्फल हो गई थी।

परियोजना अधिकारी, टिहरी ने तथ्यों को स्वीकारा और कहा कि प्रणालियों को क्रियाशील करने के संबंध में फर्म को निर्देशों (मई व अक्टूबर 2012) दिए गए थे। यह तथ्य है कि अभी तक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत बाकी थी।

1.16.4 अवितरित भंडार

परियोजना अधिकारी, हरिद्वार की स्टॉक पंजिका की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय ने वास्तविक मांग का आकलन किए बिना ही 259 सौर लालटेनें (सौ ला) वितरण हेतु खरीदीं (जनवरी 2010 से अगस्त 2010) जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 7.45 लाख की लागत वाली 200 सौ ला भंडार में अवितरित पड़ी थीं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि उनके वितरण हेतु कई प्रयास किए गए थे; लेकिन इन सौ ला का लाभार्थी अंशदान अधिक (₹ 2,285) होने के कारण संबंधित लाभार्थी समूह इन्हे लेने नहीं आया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लालटेनों के क्रय के लिए विभाग (उरेडा) ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया और इसी कारण खरीदी गईं *77 प्रतिशत* लालटेनें अवितरित रहीं। लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार के निर्देशों पर सौ स ला की निधियों को प्रत्यावर्तित करके 134 सौ ला का प्रारम्भिक लक्ष्य भी पुनरीक्षित किया गया।

उरेडा मुख्यालय के भंडार की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से प्रदर्शित हुआ कि सौर ऊर्जा उपकरणों से संबंधित ₹ 10.54 लाख[109] के भंडार जनवरी 2010 से बेकार पड़े थे।

1.16.5 निधि का कुप्रबंधन

उरेडा ने कम मेन्टेनेन्स वाली लेड एसिड बैटरियों की आपूर्ति हेतु मै. स्टार बैटरी लि. के साथ अनुबंध किया (2008)। बैटरियों की वारंटी अवधि, उरेडा को की गई आपूर्ति की तिथि से अधिकतम दो वर्ष तीन माह की अवधि के लिए थी।

---

108 45×₹ 20,834 (मूल्य प्रतिनग) + 45 × ₹ 2,750 (प्रतिस्थापन प्रभार)= ₹ 10.61 लाख।

109 200 एस एल एस (₹ 7.45 लाख) तथा 31 होमलाइट (₹ 1.19 लाख) दो वर्ष वारंटी सहित, सौर पावर पैक बैटरी (₹ 1.90 लाख)।

परियोजना अधिकारी, पौड़ी की स्टॉक पंजिका से प्रदर्शित हुआ कि अप्रैल 2009 से जनवरी 2011 तक खरीदी गई 1,224 सौर पावर पैक बैटरियों में से ₹ 13.15 लाख[110] मूल्य की 351 बैटरियाँ तीन वर्षोपरि अवधि से निष्क्रिय पड़ी थीं। लेखा परीक्षा ने पाया कि ये बैटरियां जनवरी 2011 में क्रय के समय से ही प्रयुक्त नहीं की गई थीं और इसी बीच, दो वर्ष तीन माह की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। परियोजना अधिकारी, पौड़ी ने बताया कि ये बैटरियां मांग की प्रात्याशा में क्रय की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उरेडा ने क्रय से पूर्व बैटरियों की मांग का आकलन नहीं किया था।

1.16.6 ग्रिड में विद्युत पोषण न होना

उरेडा ने 100 से 150 किलोवाट-घंटा (इकाई) प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ ₹ 128.60 लाख की लागत से सचिवालय परिसर, देहरादून में 25 किलोवाट प्रत्येक की क्षमता वाले दो ग्रीड इन्टरेक्टीव रूफटॉप सोलर पावर संयत्र स्थापित किए (मार्च 2004)। उसने उत्पादित विद्युत ऊर्जा की विक्रय हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (उ पा कॉ लि) के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट (पी पी ए) किया (दिसम्बर 2004)। लेकिन, इस संयत्र को मार्च 2011 में स्थानान्तरित करके, ऊर्जा पार्क, देहरादून में स्थापित किया गया (मई 2011)। यह पाया गया कि इस संयत्र के द्वारा अप्रैल 2005 से जून 2010 तक ग्रिड में 2,13,765 यूनिट विद्युत का पोषण किया गया यद्यपि, पुर्नप्रतिस्थापन के बाद ग्रिड संयोजना के अभाव के कारण यह संयंत्र विद्युत संचारण नहीं कर रहा था। इसका मुख्य कारण उ पा कॉ लि के साथ पूरक पी पी ए के निष्पादन तथा ऊर्जा पार्क में 100 के वी ए ट्रासफार्मर के प्रतिस्थापन में विलंब था जिसके लिए उरेडा ने जनवरी 2014 में उ पा कॉ लि को ₹ 2.11 लाख का भुगतान किया।

विभाग ने बताया कि जब ग्रिड संयोजन की उपलब्धि नहीं हो पायी तो विद्युत का स्थानीय स्तर पर उपयोग किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाये गए।

1.16.7 सचल प्रदर्शनी वाहन (स प्र वा) का कम उपयोग

उरेडा ने विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों व राज्य के सुदूर एवं दूर-दराज के क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में अक्षय ऊर्जा के प्रचार अभियान हेतु ₹ 10.20 लाख की लागत से सचल प्रदर्शनी वाहन (स प्र वा) अधिप्राप्ति की (2004)।

अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि जून 2014 तक स प्र वा केवल 40,761 किलोमीटर के लिए ही प्रयुक्त हुआ। इसमें से, वर्ष 2008 से 2011 तक 212 दिवसों (15,113 किलोमीटर) की तुलना में स प्र वा वर्ष 2012 से 2014 तक मात्र 13 दिवसों (885 किलोमीटर) के लिए ही प्रयुक्त हुआ। वाहन क्रय के समय से गैर-परम्परागत ऊर्जा के प्रचार एवं उसको लोकप्रिय बनाने हेतु, उरेडा ने 319 अभियानों में से मात्र 152 अभियान, सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में चलाये। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद, वर्ष 2012-14 के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में पर्वतीय क्षेत्रों के लोगो को जागरूक करने हेतु कोई अभियान नहीं चलाया गया जबकि 2012-13 तक 699 गाँव विद्युतीकृत नहीं थे। यह भी देखा गया कि स प्र वा की प्रयुक्ति पर बारम्बार अनुरोध किए जाने पर भी एम एन आर इ को काई मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया था जिसके लिए भारत सरकार (एम एन आर इ) ने बताया कि विवरणी न भेजने के कारण यह आभास हुआ कि स प्र वा को अनुकुलतम स्तर तक प्रयुक्त नहीं किया गया। भौतिक सर्वेक्षण के दौरान, यह भी पाया गया कि प्रदर्शनार्थ

---

110 (₹ 3,799 X 324=₹ 12.31 लाख) + (₹ 3,113 X 27=₹ 0.84 लाख) = ₹ 13.15 लाख।

स प्र वा में प्रतिष्ठापित प्रचार प्रणाली यंत्र (सौर टीवी/बायोगैस टैंक) भी विगत एक वर्ष से कार्य नहीं कर रहे थे और उरेडा द्वारा इनकी मरम्मत हो सके या बदला जा सके जैसा कोई प्रयास किया गया हो, भी नहीं पाया गया।

उरेडा ने बताया कि अधिकांश यंत्र अपनी आयु(मियाद) पूरी कर चुके थे तथा नये यंत्रों के प्रतिस्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान तिथि तक वाहन का केवल यदा कदा ही उपयोग किया गया तथा साथ ही अक्षय ऊर्जा उपकरणों को क्रियाशील बनाने हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया।

यह प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (अगस्त 2014), उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) है।

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका 2.1.1** में दिये गये हैं।

तालिका 2.1.1

राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25	7,355.34
	• करेत्तर राजस्व	631.86	678.06	1,136.13	1,602.88	1,316.54
	योग	**4,190.90**	**5,083.54**	**6,751.75**	**8,017.13**	**8,671.88**
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश[1]	1,550.01	2,460.07	2,866.04	3,272.88	3,573.38
	• सहायता अनुदान	3,745.22	4,064.56	4,073.45	4,457.21	5,075.27
	योग	**5,295.23**	**6,524.63**	**6,939.49**	**7,730.09**	**8,648.65**
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	9,486.13	11,608.17	13,691.24	15,747.22	17,320.53
4	1 से 3 की प्रतिशतता	44	44	49	51	50

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* (₹ 8,671.88 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया। 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 50 *प्रतिशत* (₹ 8,648.65 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है।

---

[1] नोटः विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण सं.-11 देखें। उपरोक्त तालिका में आंकड़े मुख्य लेखाशीर्ष- 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवा कर 'अ-कर राजस्व' के अन्तर्गत वित्त लेखों में अंकित राज्यों को समुदेशित निवल प्राप्तियों के अंश को, राज्य द्वारा उद्गृहित राजस्व से निकाल दिया गया है तथा इस विवरण के विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 2.1.2

उदगृहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2013-14 के सापेक्ष 2013-14	वास्तविक 2012-13 के सापेक्ष 2013-14
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,220.80	2,246.84	2,586.00	2,940.48	3,187.60	3,643.51	4,088.10	4,289.41	4,847.22	4,902.91	(+) 1.15	(+) 14.30
2.	राज्य आबकारी	598.22	704.64	686.93	755.92	727.67	843.65	942.15	1,117.92	1,149.25	1,269.29	(+) 10.45	(+) 13.54
3.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	422.69	398.70	425.65	439.50	483.85	524.05	573.95	648.40	640.40	686.71	(+) 7.23	(+) 5.91
4.	वाहनों, मोटर पर कर	193.09	184.56	225.30	227.26	249.53	334.69	275.00	304.29	320	368.83	(+) 15.26	(+) 21.21
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	72.00	2.11	72.00	2.16	75.00	229.02	60.00	2.71	100.00	64.66	(-) 35.34	(+) 2,285.98
6.	भू-राजस्व	7.68	8.80	11.73	18.31	13.48	10.18	8.55	10.59	8.15	21.65	(+) 165.64	(+) 104.44
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.50	6.27	8.68	12.15	10.60	16.52	17.50	23.13	24.41	23.47	(-) 3.85	(+) 1.47
8.	अन्य	6.85	7.12	8.00	9.70	12.00	14.00	15.00	17.80	22.00	17.82	(-) 19.00	(+) 0.11
योग		**3,528.83**	**3,559.04**	**4,024.29**	**4,405.48**	**4,759.73**	**5,615.62**	**5,980.25**	**6,414.25**	**7,111.43**	**7,355.34**	**(+) 3.43**	**(+) 14.67**

स्रोतः वित्त लेखे

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कः प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, विक्रय विलेख पत्रों के पंजीयन की संख्या में 2,25,831 (2012-13) से बढ़कर 2,30,816 (2013-14) होने के कारण हुई।

वाहनों पर करः वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में मुख्य शीर्ष "0041" में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मोटरवाहन सुधार नियमावली/अधिनियम, 2003 में सुधार रहा।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत पर करों एवं शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि द्वारा सरकारी खाते में, पिछले वर्ष के बकाये के जमा करने के कारण हुई। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि द्वारा बकाया जमा करने हेतु कोई निश्चित समय नहीं है।

आग्रह किए जाने (सितम्बर, 2014) के बाद भी अन्य विभागों ने, पिछले वर्ष की तुलना में संबन्धित प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर, 2014)।

2.1.3 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण **तालिका 2.1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3

उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2012-13 के सापेक्ष 2013-14	वास्तविक 2012-13 के सापेक्ष 2013-14
1.	ऊर्जा	220.74	56.13	230.00	13.54	235.00	41.24	84.00	150.04	122.55	121.11	(-) 1.18	(-) 19.28
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	54.28	53.71	62.00	53.76	52.01	50.62	35.00	114.76	44.83	51.12	(+) 14.03	(-) 55.45
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	219.27	235.70	266.10	229.69	286.83	234.26	296.71	238.20	309.34	362.70	(+) 17.25	(+) 52.27
4.	लोक निर्माण	10.46	19.50	14.51	24.83	17.27	17.85	16.16	18.13	9.15	15.51	(+) 69.51	(-) 14.45
5.	विविध सामान्य सेवायें	33.09	14.41	22.00	28.23	14.00	37.57	11.00	25.85	3.55	48.74	(+) 1,272.96	(+) 88.55
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	24.86	21.18	10.12	47.15	12.21	70.15	11.82	38.72	3.73	32.38	(+) 768.10	(-) 16.37
7.	पुलिस	6.92	9.62	9.00	11.26	9.00	11.41	10.11	10.98	11.21	13.39	(+) 19.45	(+) 21.95
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7.57	11.73	11.48	29.01	17.93	23.20	23.16	30.00	22.10	44.04	(+) 99.28	(+) 46.80
9.	सहकारिता	7.32	1.78	5.18	1.70	1.02	2.93	2.21	1.38	2.23	9.78	(+) 338.57	(+) 608.70
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	6.31	7.08	3.32	5.10	3.31	8.07	2.37	7.65	2.42	6.75	(+) 178.93	(-) 11.76
11.	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	837.87	202.92	481.29	233.79	998.53	638.83	715.63	967.17	685.15	611.02	(-) 10.82	(-) 36.82
	योग	**1,428.69**	**633.76**	**1,115.00**	**678.06**	**1,647.11**	**1,136.13**	**1,208.17**	**1,602.88**	**1,216.26**	**1,316.54**	**(+) 8.25**	**(-) 17.86**

स्रोतः वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में 17.86 *प्रतिशत* की कमी का मुख्य कारण 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ' तथा 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी रही।

लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर, 2014) कि वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में राजस्व वसूली में कमी का कारण वर्ष 2012-13 के पश्चात् विभाग के दो पुलों पर पथकर की वसूली का बन्द होना था।

आग्रह किए जाने (सितम्बर, 2014) के बाद भी, अन्य विभागों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (दिसम्बर, 2014)।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को ₹ 4,470.44 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 589.98 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.1.4** में वर्णित है।

तालिका 2.1.4

राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाये की राशि	31 मार्च 2014 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	4,026.94	579.25	₹ 178.96 करोड़ (1,501 मामलों) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष ₹ 3,847.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र, जहाँ आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं।
2.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	421.78	-	विभाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
3.	सहकारिता	9.51	8.67	वसूली हेतु मांग की कार्यवाही जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया में लायी जा चुकी है।
4.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	6.29	0.52	₹ 5.42 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है एवं शेष प्रकरणों के लिये, वसूली हेतु मांग की प्रक्रिया जारी है।
5.	वाहनों पर कर	4.87	0.94	दस प्रकरण (₹ 0.11 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन थे एवं शेष प्रकरणों के लिये, वसूली की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया में है।
6.	राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 0.36 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
7.	गन्ना क्रय पर कर	0.36	-	गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।
8.	मनोरंजन कर	0.09	0.004	₹ 0.05 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
योग		**4,470.44**	**589.98**	

स्रोतः सम्बन्धित विभाग

2.1.5 निर्धारणों का बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **तालिका 2.1.5** में दिया गया है।

तालिका 2.1.5
बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2013-14 के दौरान कर निर्धारण योग्य नये प्रकरण	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरण	वर्ष 2013-14 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	1,26,848	1,23,224	2,50,072	1,41,455	1,08,617	56.57%

स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

विभाग को कर निर्धारण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिक प्रयास करने चाहिए।

2.1.6 विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के मामले, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2013-14 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6
करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान पकड़े गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जांच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	215	1,119	1,334	1,118	228.80	216

विभाग द्वारा, मांग की गई राशि के विरूद्ध, वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2014)।

2.1.7 कर वापसी के मामले

वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में लंबित कर वापसी के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार वापसी एवं वर्ष 2013-14 के अन्त में लम्बित मामले, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.1.7** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1.7
कर वापसी मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर अधिनियम	
		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,255	1,079.15
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	6,147	7,661.50
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसी	6,667	6,729.12
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	735	2,011.53

स्रोतः सम्बन्धित राज्य विभाग

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पायी गयी तथा स्थल पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ सम्मिलित होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन शीघ्रता से सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करे एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून, 2014 तक निर्गत निरीक्षण आख्याओं में देखा गया कि 891 निरीक्षण आख्याओं से सम्बन्धित ₹ 173.54 करोड़ के 1,944 प्रस्तर, जो जून, 2014 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका 2.1.8** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.1.8

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012*	जून 2013	जून 2014
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	851	919	891
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	1,797	1,936	1,944
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	151.30	178.58	173.54

*विद्युत शुल्क, भू-राजस्व, विभागीय प्राप्ति एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रस्तरों एवं धनराशि को दूसरे खण्डों में स्थानान्तरित कर दिया गया, अतः जून, 2012 में शामिल नहीं थी।

2.1.8.1 30 जून, 2014 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण **तालिका 2.1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.9

विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन ***(₹ करोड़ में)***

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं सुख-साधन कर	417	1,085	97.59
		मनोरंजन कर	8	14	0.14
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	71	120	29.60
3.	परिवहन	मोटरयानों पर कर	108	287	35.10
4.	स्टाम्प एवं निबंधन	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	287	438	11.11
योग			**891**	**1,944**	**173.54**

जून 2013 से जून 2014 तक निर्गत 52 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा नि प्र में महालेखाकार द्वारा दर्शायी गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने नि प्र में प्रस्तरों एवं नि प्र के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निबटारे हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित की है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तरों का विवरण **तालिका 2.1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.10

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण ***(₹ करोड़ में)***

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर विभाग	2	51	10.77
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	13	2.91
योग		**3**	**64**	**13.68**

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें सम्बन्धित विभाग के सचिव को उनका ध्यान लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के ऐसे प्रस्तरों के अन्त में नित्य उल्लिखित कर दिया जाता है।

दो[2] निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं चार[3] प्रलेख प्रस्तरों को मार्च 2014 से सितम्बर 2014 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को नाम से प्रेषित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षाओं हेतु समापन सम्मेलन सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ किया गया तथा शासन के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षाओं में उपयुक्त स्थान पर शामिल किये गये हैं। प्रलेख प्रस्तरों के मामले में, प्रकरण शासन को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) तथा उसे शासन की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि इन प्रलेख प्रस्तरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखापरीक्षिती इकाईयों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रस्तरों में शामिल कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर- संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर, 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं तथा उस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित बीस प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को, 2009 से 2013 तक के वर्षों में राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रत्येक मामले में इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभाग से कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ औसतन 25 माह के विलम्ब से प्राप्त हुई थीं। 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार[4] विभागों से 7 प्रस्तरों के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर, 2014)। वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत किया गया तथा कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्य नहीं हैं (दिसम्बर, 2014)।

लोक लेखा समिति में वर्ष 2008 से 2012 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित छः चयनित प्रस्तरों को विवेचित किया गया था। तथापि, सम्बन्धित विभाग से लोक लेखा समिति की 1 अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसा कि **तालिका 2.1.11** में दर्शाया गया है।

---

[2] "मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण" (समापन सम्मेलन- 12 नवम्बर 2014) एवं "उपखनिज की राजस्व प्राप्ति" (समापन सम्मेलन- 20 नवम्बर 2014)।

[3] 03 वाणिज्य कर विभाग तथा 01 स्टाम्प एवं निबंधन विभाग।

[4] वाणिज्य कर विभाग, मोटरवाहन विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग तथा राज्य आबकारी विभाग।

तालिका 2.1.11

वर्ष	विभाग का नाम	प्रस्तर विवरण	योग	अभ्युक्तियाँ
2010-11	मोटरवाहन विभाग	5.2 "मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (5.2.30 औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण)	1	दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित, लेकिन लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

विभागों/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर कृत कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती प्रस्तर 2.1.9.1 में राजस्व शीर्ष "0040" के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग का निष्पादन तथा विगत पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पकड़े गये मामले एवं 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामले भी विवेचित किये गये हैं।

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च, 2014 की स्थिति **तालिका 2.1.12** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1.12

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
1.	2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
2.	2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
3.	2011-12	360	877	138.68	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1,023	81.30
4.	2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89
5.	2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ तदर्थ समिति की बैठकों का आयोजन करता है। वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में 274 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 694 बकाया प्रस्तरों की संख्या, वर्ष 2013-14 के अन्त में बढ़कर 411 प्रतिवेदनों के सापेक्ष 1,080 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि 2009-14 की अवधि में मात्र 360 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.10 विभाग/शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इनकी समापन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन की राय को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) तथा परिवहन विभाग पर एक नि ले को विगत चार वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। नि ले में कुल 39 अनुशंसाओं को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी का विवरण **तालिका 2.1.13** में दर्शाया गया है।

तालिक 2.1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2008-09	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संव्यवहारों (क्रय/विक्रय तथा अन्तरण) पर कराधान	05	दिनांक 19.09.2013 को कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त। चर्चा हेतु लम्बित ।
2009-10	बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन	08	दिनांक 07.08.2014 को कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त। चर्चा हेतु लम्बित।
2010-11	मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	11	दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित।
	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन	08	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त।
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रशासन	07	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त।

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 242 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 87 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 80 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

उक्त उल्लिखित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं "मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण" तथा "उप खनिजों की राजस्व प्राप्तियां" को भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता के निरीक्षण हेतु लिया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान पाँच[5] विभागों की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 192 मामलों में कुल ₹ 25.28 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई। वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान लेखपरीक्षा में इंगित किये गये 30 प्रकरणों में सम्मिलित ₹ 0.37 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान 73 प्रकरणों में ₹ 0.37 करोड़ वसूल किए, जिसमें से चालू वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित पाँच प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ तथा शेष विगत वर्ष के हैं।

2.1.13 राजस्व अध्याय के विषय

राजस्व अध्याय में दो निष्पादन लेखापरीक्षा "मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण" तथा "उपखनिज की राजस्व प्राप्ति" सहित छः प्रस्तर, जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 52.75 करोड़ है, सम्मिलित है। विभागों/शासन ने पाँच प्रकरणों में ₹ 19.29 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है जिसमें से एक प्रकरण में ₹ 0.60 लाख की वसूली भी की गयी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी चर्चा अध्याय-II में की गयी है।

[5] वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी, मोटरवाहन, स्टाम्प एवं निबंधन तथा मनोरंजन कर विभाग।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 मिथ्या घोषणा प्रपत्रों पर अनियमित कर छूट

एक व्यापारी द्वारा कर के रियायती दर पर अन्तर्राज्यीय बिक्री हेतु तीन मिथ्या प्रपत्र-ग स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ₹ 29.01 लाख के कर का न्यूनारोपण के साथ (₹ एक करोड़) अर्थदण्ड एवं प्रोद्भूत ब्याज की देयता।

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(4) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी को अन्तर्राज्यीय बिक्रीयों पर रियायती दर से कर देय है यदि ऐसी बिक्री प्रपत्र-ग में घोषणा से समर्थित हो। आगे यदि एक व्यापारी मिथ्या प्रमाणपत्र या घोषणा प्रपत्र जारी या प्रस्तुत करता है, तो उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxix) के अन्तर्गत वह संबंधित माल की कीमत के चालीस *प्रतिशत* से अनधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा। आगे, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-34(4) में यह भी प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा, ऐसा करने में विफल होने पर, अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से, ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-I वाणिज्य कर, रूद्रपुर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2012) एवं (सम्बन्धित राज्य के निर्गम प्राधिकारी से)[6] कुछ प्रपत्र-ग, जिसे कर के रियायती दर पर अन्तर्राज्यीय व्यापार हेतु उपयोग किया गया, के प्रतिसत्यापन में प्रकट हुआ कि ₹ 2.52 करोड़ धनराशि के तीन[7] वैधानिक प्रपत्र-ग को प्रपत्र में उल्लिखित राज्य के व्यापार कर विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। तथापि उत्तराखण्ड के विक्रेता व्यापारी ने इन प्रपत्रों पर ₹ 29.01 लाख कर रियायत[8] का लाभ लिया (दिसम्बर 2011)।

इस प्रकार, मिथ्या प्रमाणपत्र के उपयोग करने के फलस्वरूप न केवल ₹ 29.01 लाख धनराशि के कम कर जमा हुआ, बल्कि इससे व्यापारी उपरलिखित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ₹ एक करोड़ के अर्थदण्ड के अतिरिक्त कर के अदत्त धनराशि पर ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज का भी दायी होगा।

प्रकरण विभाग/शासन को सूचित किया गया (जुलाई-अगस्त 2013)। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए व्यापारी का पुनर्करनिर्धारण किया (नवम्बर/दिसम्बर 2013) तथा ₹ 100.91 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 129.92 लाख धनराशि की मांग को सृजित किया। शासन का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.3 मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप ₹ 16.32 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-4(2)(ख) में प्रावधान है कि अनुसूची-II(क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में एक *प्रतिशत* की दर से, अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार *प्रतिशत* की दर

[6] कार्यालय मूल्यवर्धित कर अधिकारी (वार्ड-73), व्यापार एवं कर विभाग, नई दिल्ली।

[7] सं. 14 पी 834222 (₹ 80,07,248), सं. 14 पी 393863 (₹ 1,12,10,942) एवं सं. 14 पी 393869 (₹ 60,08,818)।

[8] उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर की दर से देय 12.5 *प्रतिशत* में से 11.5 *प्रतिशत* की दर से।

से, अनुसूची-II(ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में उसमें विनिर्दिष्ट दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के सम्बन्ध में 12.5 *प्रतिशत* की दर से कर देय होगा। आगे धारा-4(5)(क) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, विहित रीति द्वारा अवधारित, अपने शुद्ध आवर्त पर किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में चार *प्रतिशत* की दर से कर का भुगतान करेगा।

डिप्टी कमिश्नर (क नि)-V, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2013) में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी[9] के वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 1.92 करोड़ की पुट्टी की बिक्री पर चार *प्रतिशत* की दर से कर आरोपित किया, जबकि पुट्टी की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 *प्रतिशत* की दर से कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, पुट्टी की बिक्री के सम्बन्ध में कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप 8.5 *प्रतिशत* की अन्तरीय दर से ₹ 16.32 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग/शासन को सन्दर्भित किया गया (मई, 2013/जुलाई, 2013)। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनर्निर्धारण किया (मार्च 2014) तथा ₹ 16.32 लाख की अतिरिक्त मांग को सृजित किया। शासन का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.4 घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग

मान्यता प्रमाणपत्र की प्रभावी तिथि के पूर्व के संव्यवहार हेतु प्रपत्र XI की अनधिकृत घोषणा के उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख राजस्व की हानि तथा ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 23(1) में प्रावधान है कि यदि मान्यता प्रमाणपत्र धारक कोई व्यापारी किसी माल के विनिर्माण के प्रयोजन से पूंजीगत माल और कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिये धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल खरीदे तो वह, यदि उसमें रियायत लेना चाहे तो, विक्रेता व्यापारी को प्रारूप XI में एक घोषणापत्र (जिसे आगे घोषणा का प्रपत्र कहा गया है) देगा।

आगे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxix) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके, तो वह अर्थदण्ड के रूप में अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस *प्रतिशत* से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, भुगतान करने का दायी होगा। इस अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणा प्रपत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है, या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता।

[9] मेसर्स- कंसाई नेरोलेक पेन्ट्स लि, देहरादून।

डिप्टी कमिश्नर, विकासनगर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2013) में पाया गया कि क्रेता[10] का मान्यता प्रमाणपत्र (वी एन 00971) दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से प्रभावी था। वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण में पाया गया कि क्रेता व्यापारी ने रियायती प्रपत्र XI के विरूद्व ₹ 1,42,00,033 (कर रहित क्रय किये गये माल का मूल्य ₹ 1,39,18,971) मूल्य का माल[11] विक्रेता व्यापारी[12] से क्रय किया। विक्रेता ने मान्यता प्रमाणपत्र की प्रभावी तिथि के पूर्व कर में रियायत का लाभ लिया। विक्रेता व्यापारी के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन में भी पाया गया कि क्रेता ने माल के क्रय हेतु विक्रेता को 33 प्रपत्र XI जारी किये। इस प्रकार क्रेता ने विक्रेता को अनधिकृत प्रपत्र XI प्रस्तुत किया तथा विक्रेता ने माल पर रियायती दर से कर का लाभ लिया। रियायती दर से मूल्यवर्धित कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख के राजस्व की हानि एवं ₹ 55.68 लाख[13] अर्थदण्ड का अनारोपण रहा।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर, 2013) कि धारा 63 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि यदि यह पाया जाय कि कोई व्यक्ति मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह उस धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो बिना प्रपत्र के देय होता तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये गये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करेगा, जिसमें कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणापत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये गलत समझा जायेगा तथा कोई धनराशि देय नहीं होगा। धारा 58(1)(xxix) के अन्तर्गत जहाँ तक अर्थदण्ड के आरोपण का सम्बन्ध है, उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 63 के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी संव्यवहार अवधि के दौरान मान्यता प्रमाणपत्र धारक नहीं था तथा उसके अनुसार पूर्ण दर पर कर आरोपणीय था। अधिनियम की धारा 63 एवं 58 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्रेता न केवल ₹ 8.62 लाख कर के भुगतान का दायी है बल्कि ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (फरवरी, 2014)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2014)।

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

2.5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का न्यूनारोपण

सम्पत्ति का मूल्यांकन भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं क्षेत्र में लागू सर्किल दर के अनुसार नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.93 लाख स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 0.60 लाख पंजीकरण शुल्क का न्यूनारोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-5[14] के प्रावधानों के अनुसार, कई अलग-अलग मामलों का समावेश करने वाले या कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख पर, शुल्कों की वह सम्पूर्ण राशि प्रभार्य होगी जो

---

[10] कॉपरनिकस इण्डिया, ए-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, सेलाकुई, देहरादून।

[11] ब्रेजिंग रोड, सर्विस वॉल्व एवं कच्चा माल।

[12] ई-एप्लायन्सेस, ए-4 इण्डस्ट्रियल एरिया, सेलाकुई, देहरादून।

[13] कर रहित क्रय किये गये माल की कीमत पर 40 *प्रतिशत* की दर से अर्थदण्ड =₹ 1,39,18,971 x 40/100 =₹ 55.68 लाख।

[14] नियम के नीचे दिये गये टिप्पणी/उदाहरण (IX) पढ़ें।

प्रत्येक मामले के, जो उसमें समाविष्ट है, या जिससे वह सम्बन्धित है, अलग विलेख पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती। पुनः जिला कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्गत दर सूची/सर्किल दर (दिनांक 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी) में दिये गये निर्देश के अनुसार 50 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1,000 वर्गमीटर से कम की कृषि भूमि की बिक्री को आवासीय भूमि की बिक्री माना जायेगा तथा सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की आवासीय सम्पत्ति के लिये निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर लागू की जायेगी।

उपनिबन्धक, सितारगंज के अभिलेखों की जांच (जून 2013) में पाया गया कि एक सम्पत्ति के कई संयुक्त एवं अलग-अलग स्वामियों ने 9.484 हेक्टेयर कृषि भूमि की प्रति ₹10,000 से ₹ 40,000 की दर से पंजीकरण शुल्क अदा करके चार निष्पादित विलेख पत्रों (अप्रैल 2012) के माध्यम से बिक्री की।

लेखापरीक्षा जांच (जून 2013) में पाया गया कि इन विलेख पत्रों पर लागू[15] स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क 1,000 वर्गमीटर से अधिक संयुक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण की भांति प्रभारित किया गया था, जबकि प्रत्येक पंजीकृत विलेख पत्र में 1,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल[16] की कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति की बिक्री शामिल थी (संयुक्त सम्पत्ति के रूप में बिक्री का कुछ भाग सहित) तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क कृषि भूमि पर लागू दर की बजाय आवासीय दर से प्रभारित होनी चाहिये । इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का क्रमशः ₹ 2.93 लाख एवं ₹ 0.60 लाख का न्यूनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर उपनिबन्धक, सितारगंज ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि सम्बन्धित पक्षों द्वारा ₹ 0.60 लाख पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया गया है (सितम्बर 2013) तथा स्टाम्प शुल्क का प्रकरण वसूली हेतु जिला कलेक्टर को सन्दर्भित कर दिया गया है (अगस्त 2013)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

2.6 मोटर वाहन पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश:

- ***2013-14 में मोटर वाहन स्वामियों से ग्रीन उपकर के रुप में ₹ 4.09 करोड़ की वसूली के बाद भी राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।***

  [प्रस्तर 2.6.7.1 (ii)]

- ***वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के दौरान 136 व्यापारियों द्वारा 1,14,225 वाहनों की बिक्री के प्रकरण में ₹ 43.88 लाख का व्यापार कर एवं ₹ 16.27 लाख का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।***

  [प्रस्तर 2.6.7.2 (i)]

---

[15] क्षेत्र की कृषि भूमि का सर्किल दर ₹ 21 लाख प्रति हेक्टेयर था जबकि आवासीय भूमि की दर ₹ 2,000 प्रति वर्गमीटर था।

[16] विलेख पत्र सं. 1851/2012 (खाता सं. 80, खसरा सं0 556); **क्षेत्रफल = 695 वर्गमीटर**।
विलेख पत्र सं. 1852/2012 (खाता सं. 80, खसरा सं0 556); **क्षेत्रफल = 695 वर्गमीटर**।
विलेख पत्र सं. 1855/2012 (खाता सं. 21, खसरा सं0 252/2मि); **क्षेत्रफल = 950 वर्गमीटर**।
विलेख पत्र सं. 1858/2012 (खाता सं. 21, खसरा सं. 252/2मि); **क्षेत्रफल = 950 वर्गमीटर**।

- ***379 प्रकरणों में परमिट के नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरुप ₹ 13.96 लाख का नवीनीकरण शुल्क वसूल न होना।***

[प्रस्तर 2.6.7.3 (ii)]

- ***उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण करारकर्ता से ₹ 1.13 कारोड़ का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।***

[प्रस्तर 2.6.8.1]

2.6.1 प्रस्तवाना

परिवहन विभाग राज्य में चलने वाले वाहनों को विनियमित करता है एवं नये वाहनों के पंजीकरण, परिवहन वाहनों को परमिट प्रदान करने, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने, वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने, चालक व परिचालकों को लाइसेंस जारी करने आदि के लिये उत्तरदायी है। इन सेवाओं को, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा सू के) द्वारा डिजाईन किए गए सॉफ्टवेयर अर्थात वाहनों के पंजीयन के लिये **वाहन** एवं चालक तथा परिचालकों के लाइसेंस के लिये **सारथी** के माध्यम से दिया जाता है। इन सेवाओं को प्रदान करने की एवज में विभाग विभिन्न करों एवं शुल्कों का उद्ग्रहण व संग्रहण करता है।

2.6.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव नेतृत्व करता है, जो परिवहन आयुक्त के रुप में भी कार्य करता है। उसे मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक सहायक परिवहन आयुक्त के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर टी ओ) गढ़वाल एवं कुमांऊ सम्भाग में दो-दो, 12 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ए आर टी ओ) की मदद से विभाग की नैत्यिक प्रशासनिक कामकाज के लिये जिम्मेदार होता हैं। इसके अलावा, परिवहन कर अधिकारियों की नेतृत्व में 14 चेकपोस्ट भी विद्धमान हैं।

2.6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन या आकलन करना था कि क्या:

- बजट अनुमान यर्थाथवादी थे;
- करों, अतिरिक्त करों एवं शुल्कों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार था;
- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों का सभी वाहनों पर लगाने की योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया गया था; एवं
- विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रभावकारी थे।

2.6.4 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के दौरान मध्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, सभी चार[17] आर टी ओ, 12 में से छः[18] ए आर टी ओ एवं 14 में से पाँच[19] चेक पोस्टों की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गयी। ए आर टी ओ कार्यालयों एवं चेक पोस्टों का लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों

[17] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी और अल्मोड़ा।

[18] ए आर टी ओः रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, कोटद्वार, टनकपुर, ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

[19] चेक पोस्टः नारसन, भगवानपुर, चिडियापुर, आशारोड़ी एवं रुद्रपुर।

का चयन *प्रतिस्थापक के साथ आकार समानुपातिक संभावना* (पी पी एस डब्लयू आर) विधि के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्रों क्रियाविधि की चर्चा विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ 9 अप्रैल 2014 को संपादित प्रवेश सम्मेलन में की गयी। प्रालेख प्रतिवेदन सरकार को उनके उत्तर/प्रतिक्रिया के लिये भेजा गया (सितम्बर 2014)। इन अधिकारियों से प्राप्त आदानों को क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा हेतु एक निकास गोष्ठी उपसचिव,[20] परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन के साथ 12 नवम्बर 2014 को सम्पन्न हुई। विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उचित स्थानो पर सम्मिलित किया गया है।

2.6.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया:

- केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989;
- उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003;
- उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) नियमावली, 2003; एवं
- विभागीय अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र इत्यादि।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.6 राजस्व प्रवृतियां

विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षो के दौरान संग्रहित राजस्व की स्थिति को **तालिका 2.6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता का *प्रतिशत*
2009-10	203.00	182.16	(-)10.27
2010-11	225.30	223.26	(-)0.90
2011-12	249.53	329.63	(+)32.10
2012-13	275.00	298.17	(+)8.42
2013-14	320.00	362.93	(+)13.42

स्रोतः- शासन के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य विभाग के वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का रुझान रहा, सिवाय वर्ष 2012-13 के, जिसमें पूर्व वर्ष की अपेक्षा वास्तविक प्राप्तियों में 9.54 *प्रतिशत* की गिरावट रही। यह गिरावट उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा बकाया अतिरिक्त कर के रुप में ₹ 80.11 करोड़ जमा किये जाने के कारण वर्ष 2011-12 में वास्तविक प्राप्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण थी। इसके अलावा नवम्बर 2012 में युक्तिसंगत कर ढांचे के कारण विभाग के बजट अनुमान की अपेक्षा वास्तविक प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

---

[20] अपर सचिव, परिवहन विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

2.6.7 मोटरवाहन करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

उत्तराखण्ड में चल रहे मोटरवाहनों पर करों, अतिरिक्त करों, शुल्कों एवं करों के निर्धारण एवं संग्रहण तथा अर्थदण्ड का आरोपण उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत विनियमित होता है। आर टी ओ, ए आर टी ओ या यात्रीकर अधिकारीगण अपने सम्बंधित क्षेत्रों या उपक्षेत्रों में जैसी भी स्थिति हो, के स्थानीय सीमा में कर निर्धारण अधिकारी के रुप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान करों एवं शुल्कों के उद्ग्रहण व संग्रहण में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं।

2.6.7.1 करों का उद्ग्रहण

(i) विलम्बित पंजीकरणों पर अर्थदण्ड का उद्ग्रहण न किया जाना

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 का नियम 47(1) यह प्रावधानित करता है कि मोटरवाहन के पंजीकरण हेतु आवेदन मोटरवाहन की डिलीवरी लेने की तिथि से सात दिन के अन्दर पंजीयनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी विफलता पर उत्तराखण्ड, मोटरवाहन कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 24(1) के अन्तर्गत 5 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से वाहन स्वामी अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा।

दो आर टी ओ[21] एवं चार ए आर टी ओ[22] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 12 प्रकरणों में ₹ 0.52 लाख का अर्थदण्ड उदग्रहीत करने में विफल रहा। आगे 09 प्रकरणों में, पंजीकरण हेतु एक बारीय कर एक्स शोरुम प्राइस की अपेक्षा एक्सशोरुम प्राइस में से छूट घटाकर गणना किये जाने के कारण ₹ 1.17 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि अर्थदण्ड वसूल कर लिया जायेगा।

(ii) ग्रीन उपकर का उद्ग्रहण एवं राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।

प्रदूषण नियंत्रण एवं शहरी परिवहन क्षेत्रों में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 की धारा 4(5) के तहत ग्रीन उपकर के संग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी (नवम्बर 2012)। उपकर मोटरवाहन के पंजीकरण के समय उद्ग्रहित होना था, एवं उसके बाद संग्रहित उपकर अधिनियम के उपधारा 8-ए के तहत स्थापित होने वाले राज्य शहरी परिवहन कोष में जमा होना था।

तीन आर टी ओ एवं पांच ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 260 मोटरवाहनों का पुन: पंजीकरण होना था एवं इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था जिसके फलस्वरुप ₹ 1.31 लाख के ग्रीन उपकर का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

---

[21] आर टी ओ हल्द्वानी : अनुदग्रहण के 2 प्रकरण (₹ 26,052) एवं देहरादून कम उदग्रह्ण के 2 प्रकरण (₹ 57,146)।

[22] ए आर टी ओ हरिद्वार: अनुदग्रह्ण के 5 प्रकरण (₹ 23,328) एवं कम उदग्रह्ण के 01 प्रकरण (₹ 1,420), कोटद्वार: अनुदग्रह्ण के 01 प्रकरण (₹ 1,012), ऋषिकेश: कम उदग्रह्ण के 06 प्रकरण (₹ 58,815) एवं टनकपुर: अनुदग्रह्ण के 04 प्रकरण (₹ 1,876)।

यह भी पाया गया कि मार्च 2014 तक राज्य में कुल ₹ 4.09 करोड़ ग्रीन उपकर के नाम पर संग्रहित किया गया किंतु न तो राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना की गई और न ही विनिर्दिष्ट उदेश्य हेतु कोई धनराशि उपयोग की गई। इस प्रकार, ग्रीन उपकर के संग्रहण का उदेश्य पूरा नहीं हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि ग्रीन उपकर की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जायेगें एवं आश्वासन दिया कि राज्य शहरी परिवहन कोष स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(iii) एक बारगी कर का कम उद्ग्रहण

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित 8 नवम्बर 2012) की धारा 4(1) प्रावधानित करता है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटरवाहन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर से एक बारगी कर अदा नहीं कर दिया जाता। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया (अप्रैल 2013) कि एक बारगी कर छूट से पहले एक्स शोरुम कीमत पर उदग्रहणीय होगा।

तीन आर टी ओ[23] एवं सभी छः चयनित ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 56 प्रकरणों में एक बारगी कर एक्स शोरुम कीमत की अपेक्षा छूट दी गयी कीमत पर उदग्रहित किया गया। इसके फलस्वरुप ₹ 0.84[24] लाख के एक बारगी कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014), के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं यह सुनिश्चित किया कि शेष कर वसूल किया जाएगा।

(iv) गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का न्यूनारोपण

उत्तराखण्ड में मोटरवाहनों पर करों के दर को 29 नवम्बर 2012 को पुनरीक्षित किया गया। यद्पि, सभी चयनित आर टी ओ और ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग को छोड़कर, के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि पुराने कर की दरों को लागू किये जाने, गलत दरों के प्रयोग करने एवं कर की संशोधित दरों पर अस्वीकार्य छूट के कारण 38 मोटरवाहनों पर ₹ 3.57 लाख[25] के कर का न्यूनारोपण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014), के दौरान विभाग ने बताया कि शेष कर वसूल किया जायेगा।

2.6.7.2 करों का संग्रहण

(i) व्यापार कर की वसूली न होना

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 के धारा 4 (4) प्रावधानित करता है कि व्यापारी के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर, ऐसी विक्रय दर पर, जो राज्य

[23] पौड़ी, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी।

[24] आर टी ओ पौड़ी: 09 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 25,506, आर टी ओ हल्द्वानी: 02 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 581, आर टी ओ अल्मोड़ा: 11 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 10,357, ए आर टी ओ कोटद्वार: 14 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 12,172, ए आर टी ओ टनकपुर: 08 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 8,174, ए आर टी ओ रुद्रपुर: 06 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 10,561, ए आर टी ओ हरिद्वार: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 3,073, ए आर टी ओ रुद्रप्रयाग: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 3,240, ए आर टी ओ ऋषिकेश: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 10,524।

[25] आर टी ओ देहरादून: 12 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 1,37,627, आर टी ओ पौडी: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 47,348, आर टी ओ हल्द्वानी: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 597, आर टी ओ अल्मोड़ा: 02 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 16,207, ए आर टी ओ कोटद्वार: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 32,275, ए आर टी ओ टनकपुर: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 7,821, ए आर टी ओ रुद्रपुर: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 893, ए आर टी ओ हरिद्वार: 03 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 38,809 ए आर टी ओ ऋषिकेश: 10 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 75,842।

सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित की जाय, कर उदग्रहणीय होगा। तदनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक दो पहिये एवं हल्के वाहन की बिक्री पर ₹ 50 तथा प्रत्येक माध्यम एवं भारी वाहनों की बिक्री पर ₹ 100 का कर निर्धारित किया गया। इसके अलावा, उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) नियमावली, 2003 29 नवम्बर 2012 से यथा संशोधित के नियम 24 के प्रावधानो के अनुसार बकाये कर पर पांच *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड उदग्रहणीय होगा।

तीन आर टी ओ[26] एवं चार ए आर टी ओ[27] के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि विभाग 136 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2012-2014 के दौरान 1,14,225 वाहनों के बेचे जाने के प्रकरण में ₹ 43.88 लाख व्यापार कर के रूप में वसूलने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 16.27 लाख का अर्थदण्ड भी उदग्रहणीय था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि व्यापार कर एवं अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों से कर की वसूली न किया जाना।

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) अधिनियम, 2003, 8 नवम्बर 2012 को यथा संशोधित की धारा 4(2) उत्तराखण्ड में चल रहे प्रत्येक परिवहन वाहन पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर प्रावधानित करता है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित दरों पर कर के भुगतान की विफलता पर बकाये कर के अधिकतम 25 *प्रतिशत* (8 नवम्बर 2012 से 100 *प्रतिशत*) अर्थदण्ड उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत लिया जायेगा।

सभी चार आर टी ओ एवं छः में से पांच[28] चयनित ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया के 562 मोटर कैबों/मैक्सी/भार वाहनों के प्रकरण में अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2014 के अवधि का कुल ₹ 80.12 लाख का कर जमा नहीं किया गया था। इन बकायों को वसूले जाने का कोई प्रयास विभाग द्वारा किया जाना नहीं पाया गया।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि कर एवं अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(iii) मोटरवाहनों के अनियमित समर्पण के कारण कर का वसूल न होना

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) नियमावली 2003 यथा संशोधित 29 नवम्बर 2012 की नियम 22(4) प्रावधानित करती है कि कराधान अधिकारी एक कलैण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक का मोटरवाहन का अनुप्रयोग स्वीकार नहीं करेगा। यद्धपि, यदि वाहन स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरवाहन के तीन कलेण्डर माह से अधिक का अनुप्रयोग स्वीकार कर सकता है, ऐसा करने में विफल रहने पर वाहन का अभ्यपर्ण प्रातसंध्त किया हुआ समझा जायेगा और वाहन के स्वामी को कर का भुगतान करना पडेगा।

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के दौरान चार आर टी ओ एवं छः ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि फरवरी 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 170 वाहनों का अभ्यपर्ण स्वीकार्य किया गया। वाहन स्वामियों द्वारा, वाहन के अनुप्रयोग की अवधि बीत जाने के बाद भी वाहन के अनुप्रयोग की अवधि बढ़ाये जाने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन नहीं किया गया, इसके फलस्वरुप ऊपर वर्णित नियमों के अनुसार वाहन

---

[26] पौड़ी, हल्द्वानी, एवं देहरादून।

[27] रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

[28] रुद्रप्रयाग, हरिद्वारः टनकपुर ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

स्वामी कर के देनदार हुये। विभाग इन वाहन स्वामियों से नवम्बर 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिये कुल ₹ 37.64 लाख के कर की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने में विफल रहा।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि प्रकरण की जांच की जायेगी।

(iv) मोटर वाहन स्वामियों के न पाये जाने के कारण कर वसूल न होना।

उत्तराखण्ड मोटर वाहन कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 18 में यह प्रावधान है कि यदि दिए गए समय में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान न किया जाए तो जिलाधिकारी के द्वारा उसके नाम से वसूली पत्र जारी किया जाए।

दो आर टी ओ और तीन ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच[29] में यह पाया गया कि 2009-10 से 2012-13 के लिए ₹ 2.54 लाख की कर राशि से संबंधित 14 वसूली पत्रों (आर सी) को संबंधित जिलाधिकारियों को भेजा गया जिसे कर वसूल किए बिना ही इस अभ्युक्ति के साथ लौटाया गया कि वाहन स्वामी वसूली पत्रों में दिए गए पते पर नहीं रहते, कोई चल-अचल सम्पति नहीं थी, अतः वाहन स्वामी के अंकित पते पर न पाये जाने के कारण वसूली संभव नहीं हो पायी।

इस प्रकार से, वाहन स्वामियों के विरुद्ध त्वरित और समय रहते कार्रवाई न किए जाने के कारण ₹ 2.54 लाख को कर वसूला नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर, निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने यह बताया कि उक्त कर के अवलेखन के लिए शासन से दिशानिर्देश लिए जाएंगे।

2.6.7.3 शुल्कों की वसूली

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारीगण, अधिनियम के तहत कुछ दण्डनीय आपराधों को प्रशमित कर सकते है। विभिन्न अपराधो के लिये प्रशमन शुल्क राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं. 153/IX/108/2009 दिनांक 15 जुलाई 2009 के तहत निर्धारित किये गये है। कोई भी मोटरवाहन, परिवहन वाहन के रुप में राज्य में तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा जबतक कि क्षेत्रीय या राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परमिट प्रदान नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार का परमिट, अस्थायी या विशेष परमिट को छोड़कर, जारी करने या नवीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात नवीनीकरण करवाया जा सकेगा।

केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 33 में यह प्रावधान है कि डीलर के कब्जे वाले मोटरवाहन को पंजीकरण की अनिवार्यता से छूट रहेगी बशर्ते कि वह व्यापारी अपने कारोबारी क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। व्यापार प्रमाण पत्र 12 महीनों के लिये वैध होता है एवं पुनः उसका नवीकरण किया जा सकता है। नियम 81 के तहत व्यापारी को मोटर साइकिलों के प्रकरण में ₹ 50 एवं अन्य प्रकरणों में ₹ 200 का अपेक्षित शुल्क अदा करना होगा।

केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 62 में यह प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन विधिक रुप से पंजीकृत नहीं समझा जायेगा जबतक कि उसके पास फिटनेस प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत

[29] आर टी ओ: पौड़ी एवं अल्मोड़ा एवं ए आर टी ओ: हरिद्वार, टनकपुर एवं उधमसिंह नगर।

परिवहन वाहन के सम्बन्ध में जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र दो वर्षों तक वैध रहेगा तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि (अप्रैल 2014 एवं अगस्त 2014 के दौरान) **तालिका 2.6.2** में दिये गये विवरणों के अनुसार कुल धनराशि ₹ 21.09 लाख की कम वसूली विभाग द्वारा की गई। प्रशमन शुल्क, परमिट नविनीकरण शुल्क, व्यापार प्रमाण पत्र के नविनीकरण का शुल्क, फिटनेस शुल्क आदि का विभाग द्वारा कम वसूली किया गया।

तालिका 2.6.2

क्र सं.	आर टी ओ/ ए आर टी ओ का नाम	अवधि	कम वसूल हुए शुल्क की धनराशी	अनियमितताओं की प्रकृति
1	चार आर टी ओ[30] एवं पांच ए आर टी ओ[31]	अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक	₹ 1.24 लाख	38 मोटरवाहनों के सम्बन्ध में अपराधों जैसे वाहन में अत्यधिक यात्रियों का चढ़ाना, राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों में दूसरे ड्राईवर का न होना एवं ड्राइविंग लाइसेंस का न होने आदि जैसे मामलों में निर्धारित दर से ₹ 1.83 लाख के प्रशमन शुल्क के विरुद्ध ₹ 0.59 लाख का प्रशमन शुल्क प्रशमित कर संग्रहित किया जाना।
2	परिवहन आयुक्त एवं तीन ए आर टी ओ[32]	2009-2014	₹ 13.96 लाख	वर्ष 2009 से 2014 के मध्य 379 मोटर वाहनों के परमिट समाप्त होने पर उनके नवीनीकरण का शुल्क देय था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक विभाग नवीनीकरण शुल्क वसूल करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध सी एम वी अधिनियम, 1988 के तहत अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
3	दो आर टी ओ एवं चार ए आर टी ओ	2009-2014	₹ 2.46 लाख	136 व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं कराया गया । इसके परिणामस्वरुप इन व्यापारियों से अपेक्षित शुल्क का उद्ग्रह्ण नहीं हुआ। इन व्यापारियों से अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
4	दो आर टी ओ[33] एवं छः ए आर टी ओ	2009-2014	₹ 3.43 लाख	अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य 892 परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। वाहन स्वमी फिटनेस शुल्क के भुगतान करने के दायी थे लेकिन विभाग इसे वसूल करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सी एम वी अधिनियम, 1988 के तहत इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
	कुल		**₹ 21.09 लाख**	

[30] आर टी ओ: पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं देहरादून।

[31] ए आर टी ओ: रुद्रपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, टनकपुर एवं ऋषिकेश।

[32] आर टी ओ: देहरादून, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा।

[33] आर टी ओ: हल्द्वानी एवं देहरादून।

सम्प्रेक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रशमन शुल्क, फिटनेस शुल्क, परमिट नवीनीकरण शुल्क एवं व्यापार प्रमाण पत्र नवीनीकरण शुल्क वसूल कर लिया जायेगा।

2.6.8 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट योजना का कार्यान्वयन

मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच एस आर पी) लगाये जाने की योजना, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 50 को लागू किये जाने के उद्देश्य एवं पंजीकृत हो रहे/पहले से पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरवाहनों में पंजीकरण प्लेट के आकार, रंग एवं विशिष्टताओं में एकरुपता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के लिये, राज्य में फरवरी 2012 से लागू किया गया। लिंक उत्सव एच एस आर पी (प्रा) लि का चयन संविदा प्रक्रिया के तहत किया गया तथा 'स्वामित्व के साथ निर्माण संचालन' के आधार पर मोटरवाहनों पर एच एस आर पी लगाये जाने हेतु इनके साथ एक अनुबन्ध किया गया (दिसम्बर 2011)। योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

2.6.8.1 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब

एच एस आर पी करार का खंड 4.6 यह प्रावधानित करता है कि करारकर्ता द्वारा खंड 4.5.1 (1) के अनुसार भुगतान पाने के सात दिनों के अन्दर न्यूनतम प्लेटों की आपूर्ति न करने की दशा में ₹ 100 प्रति प्लेट प्रति दिन की दर से, जिस माह में एच एस आर पी की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है, उसके दौरान लगाये जाने वाले एच एस आर पी के अधिकतम 50 *प्रतिशत* पर अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

आर टी ओ, अल्मोड़ा, ए आर टी ओ टनकपुर एवं रुद्रपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 जनवरी 2014 से 6 जून 2014 के मध्य कुल 2,961 एच एस आर पी का एक दिन से 130 दिनों तक के विलम्ब से आपूर्ति की गई। करारकर्ता इसके लिए ₹ 1.13 करोड़ के अर्थदण्ड का दायी था, परन्तु विभाग अर्थदण्ड उदग्रहित करने में विफल रहा।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि अर्थदण्ड की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है।

2.6.8.2 कार्यक्रम निगरानी तंत्र /विशेषज्ञ समिति का गठन न होना।

एच एस आर पी करार का खंड 5.3 में यह प्रावधान है कि परिवहन विभाग सरकार के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति के साथ कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक तंत्र की स्थापना करेगा, और विभाग परियोजना के अधीन सुपुर्दगी की समय-समय पर निगरानी करेगा। यदि समिति करारकर्ता के कार्य को निम्न स्तर का या हल्का पाती है तो विभाग को योजना बनाने एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि शासन/विभाग ऐसी समिति का गठन अभी तक नहीं कर पाया है जो कि समय समय पर परियोजना के उद्देश्यों पर निगरानी कर सके। साथ-साथ एच एस आर पी के निमार्ण में अत्यधिक विलम्ब के प्रकरणों से साबित होता है कि करारकर्ता द्वारा सेवा की गुणवता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.6.9 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

एक सृजित आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं नियमों का कड़ाई से पालन, विभाग द्वारा लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनियता प्राप्त करने एवं संचालन में दृढ़ता तथा प्रभावशीलता के लिये उचित आश्वासन प्रदान करता है।

ऊपर वर्णित विभिन्न कमियाँ यह इंगित करती हैं कि विभाग द्वारा उद्गृहित एवं संगृहीत होने वाले करों एंव शुल्कों की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने के लिये विभाग में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं था। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निरीक्षण की कमी एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को विद्दमान न होने के कारण आन्तरिक नियत्रंण प्रणाली को और कमजोर किया गया।

निष्कर्ष

कारों शुल्कों एवं अर्थदण्ड के न्यूनारोपण एवं अनद्यग्रहण के विभिन्न प्रकरण नियमों के अनुपालन में कमी एवं विभाग के संचालन में अदक्षता को प्रर्दशित करता है। विभाग द्वारा मोटरवाहनों के व्यापारियों से व्यापार कर, परिवहन वाहनों के स्वामियों से कर तथा मोटरवाहनों स्वामियों द्वारा परमिट, व्यापार प्रमाण पत्र एंव फिटनेस प्रमाण पत्र के नविनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व के एक बड़े भाग से विभाग को वंचित होना पड़ा। राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना नहीं की गयी। मोटरवाहनों में एच एस आर पी लगाये जाने में विलम्ब हुआ।

अनुशंसाये

शासन/विभाग विचार कर सकता है कि:

(i) करों, शुल्कों एवं अर्थदण्ड के न्यूनारोपण एवं अनुग्रहण के मामलों को पकड़ने के लिये विभाग में एक तंत्र की स्थापना हो;

(ii) प्राथमिकता के आधार पर राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना की जाय और एच एस आर पी के लगाये जाने की सूक्ष्म अनुश्रवण की जाय; एवं

(iii) आन्तरिक लेखापरीक्षा खण्ड की स्थापना कर आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाय।

उपरोक्त प्रकरण सरकार को प्रेषित किये गये (सितम्बर 2014) उत्तर प्रतीक्षित है। (दिसम्बर 2014)।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

2.7 उप-खनिजों से प्राप्तियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश

- ***प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था।***

[प्रस्तर 2.7.8.1]

- ***रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाने एवं दरों के त्रुटिपूर्ण विनियोग के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 6.38 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई।***

[प्रस्तर 2.7.9.1 एवं 2.7.9.2]

- ***विभाग द्वारा ऐसे ईंट भट्ठों जिन्होंने अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया था, के अभिज्ञान में विफलता के परिणामतः 782 प्रकरणों में ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।***

[प्रस्तर 2.7.9.3]

- ***पट्टा विलेखों के पंजीकरण में विलम्ब/नहीं कराने के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।***

[प्रस्तर 2.7.10.1]

2.7.1 परिचय

खनिजों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, (i) मुख्य खनिज एवं (ii) उप-खनिज। खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के अधीन उप-खनिजों को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघीय सूची (सूची I) की प्रवृष्टि 54 और राज्य सूची (सूची II) की प्रवृष्टि 23 के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य खनिजों के प्रबन्धन हेतु दायित्वों का बटवारा किया गया है। मुख्य खनिजों के परिहार की अनुज्ञा, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं नियमन के द्वारा शासित होती है और उप-खनिजों के परिहार की अनुज्ञा के नियम, खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 और उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2001 बनायी थी, जो राज्य में उप-खनिजों के खनन को शासित करते है। इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।

2.7.2 खनिज संसाधनों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड विविध प्रकार के मुख्य[34] एवं उप[35]-खनिजों से परिपूर्ण है। राज्य में मुख्य रूप से तीन एजेन्सियाँ हैं जो कि उप-खनिजों के चुगान का कार्य करती हैं। उत्तराखण्ड वन विकास निगम (उ व वि नि) सम्पूर्ण राज्य के वन भूमि से उप-खनिजों का चुगान करता है जबकि गढ़वाल मण्डल विकास निगम (ग म वि नि) और कुमायूं मण्डल विकास निगम (कु म वि नि) क्रमशः गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की राजस्व (सरकारी) भूमि से

---

[34] सोप स्टोन, मैग्नीसाइट, लाईम स्टोन, डोलोमाइट और सिलिका सैण्ड।

[35] बोल्डर, बजरी, साधारण बालू, साधारण मिट्टी, नदी तल में पाई जाने वाली सामग्री आदि।

उप खनिजों का चुगान करते हैं। इसके समानान्तर, निजी पट्टाधारक इन खनिजों का चुगान निजी भूमि और ऐसी राजस्व भूमि, जहां ग म वि नि या कु म वि नि कार्य करने से इन्कार कर देते हैं, से करते हैं।

2.7.3 संगठनात्मक ढ़ाचा

राज्य के खनिज से राजस्व प्राप्तियों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तरदायी है। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग और निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग खनन अधिनियम, नियमों तथा नीतियों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य रुप से उत्तरदायी हैं। मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक और क्षेत्रीय स्तर पर उप-निदेशक एवं खान अधिकारियों द्वारा निदेशक को सहायता प्रदान की जाती है। खनन कार्यालय प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में होते हैं।

2.7.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चत करने के लिए की गयी कि क्या:

- बजट अनुमान वास्तविक थे;
- विविध अधिनियमों, नियमों और उनके अंतर्गत बनायी गयी नीतियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढ़ंग से लागू की जा रही हैं;
- प्राप्तियों के संगणन, उद्ग्रहण एवं वसूली हेतु प्रभावी तंत्र विद्यमान है; और
- प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है।

2.7.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं क्रियाविधि

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 की अवधि में विभाग के मुख्यालय, 13 जिला खान अधिकारियों में से पाँच[36], ग म वि नि, कु म वि नि एवं सात प्रभागीय वनधिकारियों (प्र व अ) के वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्सनल टु साइज विद रिपलेसमेंट (पी पी एस डब्ल्यू आर) पद्धति से इकाईयों का चयन प्रत्येक इकाई के कुल राजस्व के आधार पर किया गया और इकाईयों का चयन रेण्ड्म सेंपलिंग विधि से किया गया। अपर सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के साथ प्रवेश गोष्ठी (30 मई 2014) सम्पन्न हुई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की क्रियाविधि पर चर्चा की गयी। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग के साथ निकास गोष्ठी (20 नवम्बर 2014) सम्पन्न हुई। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए, तथापि, निकास गोष्ठी के दौरान प्राप्त सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रतिवेदन के सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है।

2.7.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखा परीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये है।

- खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957
- खनन परिहार नियमावली, 1960
- उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001
- उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2001
- उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डार का निवारण) नियमावली, 2005

---

[36] देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल (स्थित हल्द्वानी)।

- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011, और
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, संशोधन, परिपत्र और आदेश।

2.7.7 वित्तीय स्थिति

2.7.7.1 खनन क्षेत्र का राजस्व अंशदान

खान एवं खनिज से प्राप्तियां मुख्यतः रॉयल्टी से प्राप्त होती है जो कि खनिज के चुगान की मात्रा के आधार पर उद्ग्रहीत होती है। अन्य प्राप्तियों में अनुज्ञप्ति शुल्क, पूर्वेक्षण प्रभार, सीमाकंन एवं सर्वेक्षण प्रभार, अर्थदण्ड और देयताओं के भुगतान में विलम्ब हेतु ब्याज आदि सम्मिलित है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक लेखाशीर्ष "0853 अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" के अधीन बजट अनुमान, प्राप्त राजस्व के विस्तृत विवरण **तालिका 2.7.1** में दिये गये हैं।

तालिका 2.7.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	बजट अनुमान	0853 शीर्ष के वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में विचलन	विचलन का प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व में विचलन	गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व में वृद्धि (+) /कमी (-) का प्रतिशत
2009-10	90.00	74.08	(-) 15.92	(-) 17.69	12.35	(+) 20*
2010-11	99.01	93.62	(-) 5.39	(-) 5.44	19.54	(+) 26
2011-12	110.01	112.58	(+)2.57	(+)2.34	18.96	(+) 20
2012-13	131.00	109.85	(-) 21.15	(-) 16.15	(-) 2.73	(-) 2
2013-14	151.00	249.99	(+) 98.99	(+) 65.56	140.14	(+)128

स्रोत: राज्य सरकार का बजट

** वर्ष 2008-09 का राजस्व संग्रहण = ₹ 61.73 करोड़*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 को छोड़कर जहां प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य 5.44 *प्रतिशत* से 17.69 *प्रतिशत* की कमी आयी थी;
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 20 *प्रतिशत* से 128 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2012-13 को छोड़कर, जहाँ राजस्व संग्रहण में 2.73 *प्रतिशत* की कमी आई। वर्ष 2013-14 में राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि रॉयल्टी की दरों को पुनरीक्षित किये जाने, अवैध खनन पर अर्थदण्ड लगाये जाने और खनन क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई थी।
- राज्य के करेत्तर राजस्व के संबंध में खनन क्षेत्र से प्राप्तियों के प्रतिशत में वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2013-14 में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी तथापि वर्ष 2011-12 और 2012-13 में भारी गिरावट आई। विचलनों के कारणों से, विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

हमने यह भी पाया कि मुख्यालय/निदेशालय द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था:

- कुल राजस्व वसूली के विस्तृत विवरण, जैसे कि रॉयल्टी, शुल्क, अर्थदण्ड आदि;
- विगत पाँच वर्षों के वर्षवार विवरण/उप-खनिजों के चुगान की कुल मात्रा; और
- विगत पाँच वर्षों में पट्टे में दिया गया कुल क्षेत्र।

इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा कुल क्षेत्र/चुगान की कुल मात्रा बनाम रॉयल्टी की वसूली का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

निकास गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक खनन को यह निर्देश दिया कि एक अप्रैल 2014 से राजस्व के वर्षवार विवरण, खनिजों के चुगान की मात्रा और पट्टे में दिये गये क्षेत्रों के अभिलेखों का रख-रखाव किया जाय, जैसा कि लेखापरीक्षा ने इंगित किया है।

2.7.8 प्रणालीगत कमियाँ

2.7.8.1 प्रपत्रों का मुद्रण, निर्गम और उपयोग

विभाग अपने क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का उपयोग करता है। प्रपत्रों (प्रपत्र एम एम 11[37] और प्रपत्र जे[38]) का मुद्रण प्रत्येक जिला खान अधिकारी द्वारा राजकीय प्रेस, रूड़की से अलग-अलग कराया जाता है परन्तु मुद्रण लागत का भुगतान भूतत्व एवं खनिकर्म के मुख्यालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनपद में स्थित जिला खान अधिकारी इन प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के लिए उत्तरदायी है। एक निश्चित शुल्क के भुगतान करने पर पट्टाधारकों को ये प्रपत्र प्राप्य हैं। एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) के अभाव में इन प्रपत्रों के मुद्रण, निर्गम और उपयोग पर भूतत्व एवं खनिकर्म मुख्यालय का कोई नियंत्रण नहीं है। चयनित जिलों में प्रपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना जांच की गयी 250 पुस्तिकाओं में से, 15 पुस्तिकाओं में एक ही क्रमांक की तीन से ज्यादा प्रतियां पाई गयी, 20 पुस्तिकाओं में कुछ क्रमांक नहीं थें और 12 पुस्तिकाओं में कुछ प्रपत्रों में कोई भी क्रमांक नहीं था।
- अनुमत्त सीमा तक चुगान की जांच के लिए विभाग ने प्रपत्र 11 के निर्गम एवं नियंत्रण की कोई भी पद्दति विकसित नहीं की है। पट्टाधारक के उपलब्ध किसी अभिलेखों से मिलान के बिना शुल्क की प्राप्ति पर प्रपत्र 11 जारी किये जाते हैं, परिणामतः आवश्यकता से अधिक संख्या में जारी हो जाते हैं जिसके कारण अनुमत्त मात्रा से अधिक मात्रा में उप-खनिजों का चुगान होता है। जैसा कि ***प्रस्तर 2.7.11.1*** में परिलक्षित है;
- जिला खान अधिकारी, हरिद्वार में 37 पट्टाधारकों ने उनके पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अप्रयुक्त प्रपत्र 11 वापस नहीं किये थे। इकाई द्वारा पट्टाधारकों से अप्रयुक्त प्रपत्र 11 की वापसी हेतु कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी थी;
- यद्यपि प्रपत्रों की मुद्रण लागत सभी जिलों हेतु एक समान है परन्तु नैनीताल जिले को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में प्रपत्रों के निर्गमन शुल्क में ₹ 100 से लेकर ₹ 500 तक का विचलन थी।
- उप-खनिजों के परिवहन हेतु रवन्ना (एम एम 11 और प्रपत्र-जे) पट्टा धारकों को अधिकृत करता है। इनमें परिवहन किये जाने वाले उप-खनिज के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें होती हैं। इनके निर्गम और उपयोग का प्रभाव राजस्व वसूली पर पड़ता है। इस प्रकार, जिला खान अधिकारियों द्वारा भण्डार पंजिका के रख-रखाव से इन प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गत और उपयोग की देखरेख में सक्षम बनाता हैं। चयनित जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं।

---

[37] एम एम 11, जिसे रवन्ना कहा जाता है, उप-खनिजों के परिवहन को प्राधिकृत करता है। विस्तृत विवरण अर्थात खनिज की मात्रा, तिथि एवं समय, वाहन संख्या, वाहन की क्षमता आदि इस प्रपत्र में उल्लिखित किये जाते है।

[38] फार्म भण्डारों से उप-खनिजों के परिवहन का दस्तावेज है।

- नमूना जांच किये गये पांच जिला खान अधिकारियों में से तीन[39] में भण्डार पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।
- दो जिला खान अधिकारियों अर्थात ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी में भण्डार पंजिका का रख-रखाव क्रमशः वर्ष 2012-13 और 2013-14 से किया गया था; और
- चयनित जिला खान अधिकारियों में से किसी में भी भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जिससे लेखापरीक्षा द्वारा रवन्नों के प्राप्तियों, निर्गमों और अवशेष की सत्यता का सत्यापन और निश्चितता नहीं की जा सकी। प्रपत्रों की हानि/दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमत होते हुए अवगत कराया कि प्रपत्रों को आनलाइन जारी करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं और एक बार जब यह चालू होगा तो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी प्रणालीगत कमियों का समाधान हो जायेगा। पट्टे की समाप्ति पर अप्रयुक्त प्रपत्र 11 की वापसी के संबंध में, अपर मुख्य सचिव ने संबंधित उप निदेशक खनन को पट्टाधारकों से इन फार्मो की वापसी के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक, खनन को प्रपत्रों के नियंत्रण तंत्र से संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को संज्ञान में लेने के लिए तथा भण्डार पंजिका के रख-रखाव के लिए सुधारात्मक उपाय हेतु निर्देशित किया। वह इससे भी सहमत थे कि सभी जनपदों में शुल्क में एकरूपता होनी चाहिए एवं 01 अप्रैल 2015 तक इसे सुनिश्चित किया जायेगा।

2.7.8.2 जांच चौकियां

जांच चौकियां महत्वपूर्ण प्रवर्तन केन्द्र हैं जहां वाहनों के वैध आधिपत्य अनुज्ञापत्र और अनुमत्त भार की जांच होती है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, उप-खनिज के अवैध खनन और परिवहन को नियंत्रण करने के लिए खनन क्षेत्र और अन्य इसी तरह के संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी तंत्र के साथ जांच चौकियों को स्थापित करना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राज्य में अब तक कोई जांच चौकी स्थापित नहीं की गयी थी।

निकसगोष्ठी बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि यद्यपि जांच चौकियां स्थापित नहीं की गयी हैं, तथापि, निकासी स्थलों पर कैमरों के साथ-साथ सभी खनन स्थलों पर इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली की स्थापना विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन थी। वस्तुस्थिति यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं की गयी है।

2.7.8.3 खनिज विकास निधि का गठन न किया जाना

उत्तराखंड खनिज नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार खनिज विकास और अनुसंधान के लिए एक निधि स्थापित की जानी थी। वर्ष 2012-13 के लिए सीड कैपिटल् के रूप में ₹ एक करोड़ का प्रावधान भी किया जाना था। इसके अतिरिक्त, खनन से प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु पट्टाधारकों से निर्धारित विकास शुल्क की वसूली भी की जानी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक न तो सीड कैपिटल का प्रावधान किया गया था और न ही इस प्रकार की निधि बनाई गई थी। इस प्रकार न तो विकास शुल्क निर्धारित किया गया और न ही पट्टाधारकों से वसूला गया।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि खनिज विकास निधि का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

---

[39] पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून।

2.7.8.4 उप-खनिज के परिवहन में संलग्न वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाना

उत्तराखण्ड उप खनिज नीति, 2011 के प्रावधनों के अनुसार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के क्रम में, उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहनों का पंजीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के कार्यालय में निर्धारित शुल्क देकर किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने पाया कि उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं किया गया था, जिससे कि न केवल वांछित उददेश्य की पूर्ति नहीं हुई अपितु उक्त उददेश्य हेतु संलग्न वाहनों के पंजीकरण से होने वाली शुल्क की वसूली के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की भी हानि हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत होते हुए अवगत कराया कि रेडियों फ्रीक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम स्थापित किया जायेगा और उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न सभी वाहनों को कोड दिया जायेगा।

2.7.8.5 विवरणियों को प्रस्तुत करना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 73 के अनुसार पट्टाधारक प्रपत्र एम एम 12 में विवरणी प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर ₹ 400 का अर्थदण्ड लगाया जाना था। तीन[40] जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि पट्टाधारकों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की या विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत की थीं। फिर भी जिला खान अधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या चूक हेतु अर्थदण्ड लगाने के लिए नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि विवरणियों को प्रस्तुत करने संबंधित कोई भी अभिलेख निर्धारित नहीं था या जिला खान अधिकारियों द्वारा रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इस तरह की विवरणियों के अभाव में, आवधिक चुगान के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा निष्कार्षों को संज्ञान में लिया जा रहा है और अपर मुख्य सचिव ने विवरणियों के समय से प्रस्तुत करने की निगरानी हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया।

2.7.9 अनुपालन की कमियां

2.7.9.1 रॉयल्टी की कम वसूली

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 22 साथ ही पठित नियम 21 में अनुबद्ध है कि खनन पट्टें के पट्टाधारक अधिनियम की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पट्टा क्षेत्र से चुगान किये गये उपखनिजों के संबंध में रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक, जो ज्यादा है और दोनों नहीं, का भुगतान करेगा। अधिसूचना[41] दिनांक 5 अक्टूबर 2009 के अनुसार, उपखनिज के संबंध में रॉयल्टी की दरें ₹ 45 प्रति घन मीटर (नदी तल में) और ₹ 40 प्रति घन मीटर (नदी तल के बाहर) पुनरीक्षित की गयी थी। इन दरों को पुनः ₹ 90 प्रति घन मीटर और ₹ 80 प्रति घन मीटर अधिसूचना[42] दिनांक 18 जनवरी 2013 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया था। अपरिहार्य भाटक की वार्षिक दर भी क्रमशः ₹ 20,000 प्रति एकड़ और पुनः ₹ 40,000 प्रति एकड़ इन अधिसूचनाओं के अधीन पुनरीक्षित किये गये थे।

---

[40] देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर।

[41] अधिसूचना सं. 2390/VII-2-09/24-ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर 2009।

[42] अधिसूचना सं. 162/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013।

(i) जिला खान अधिकारी, हरिद्वार, ग म वि नि और कु म वि नि (पट्टाधारक) के वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पट्टाधारकों ने क्रमशः 31.29 घनमीटर और 0.29 घन मीटर उपखनिज (नदी तल में) का चुगान किया गया था जिसके लिए ₹ 14.33 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। जबकि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पट्टाधारकों ने मात्र ₹ 12.81 करोड़ का भुगतान किया था। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा कम रॉयल्टी के भुगतान का पता लगाने में विभाग के विफल रहने के परिणामतः ₹ 1.52 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक को प्रकरण की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

(ii) वन क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान करने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम वन विभाग को निर्धारित दरों पर कुछ निश्चित प्रभार जैसे पारगमन शुल्क, सड़क मरम्मत शुल्क आदि का भुगतान करता है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रस्तुत चुगान किये गये उपखनिज की कुल मात्रा के आधार पर प्रभारों की गणना की जाती है।

दो प्रभागीय वनाधिकारियों[43] के अभिलेखों की संवीक्षा, और चुगान किये गये खनिज एवं भुगतान की गई रॉयल्टी के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की एक दूसरे के साथ सत्यापन करने में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मात्रा, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारियों ने पारगमन शुल्क संग्रहीत किया था और मात्रा जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने रॉयल्टी का भुगतान किया था, में अन्तर था, जैसा कि **तालिका 2.7.2** में दिया गया है।

तालिका 2.7.2

क्रम संख्या	जिला खान अधिकारी का नाम	वर्ष	मात्रा जिस पर प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा पारगमन शुल्क संग्रहीत किया गया (घन मीटर में)	मात्रा जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया गया (घन मीटर में)	अन्तर (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर प्रति घन मीटर (₹ में)	देय रॉयल्टी (₹ में)	भुगतान किया गया रॉयल्टी (₹ में)	रॉयल्टी का कम भुगतान (₹ में)
	जिला खान अधिकारी, देहरादून	2012-13	16,03,284.75 (9,20,584.23+ 6,82,700.52)	12,02,581.00 (9,20,584.23+ 2,81,996.77)	4,00,703.75	90	10,28,69,337 (9,20,584.23x45+ 6,82,700.52x90)	6,68,06,000 (9,20,584.23x45+ 2,81,996.77x90)	3,60,63,337 (4,00,703.75x90)
	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	2013-14	54,07,289.164	53,12,897.977	94,391.187	90	48,66,56,025	47,81,60,818	84,95,207
कुल									**4,45,58,544**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है, पट्टाधारक ने रॉयल्टी के भुगतान के उददेश्य हेतु वर्ष 2012-13 में 4.01 लाख घन मीटर और वर्ष 2013-14 में 0.94 घन मीटर कम मात्रा का उल्लेख किया था। वन विभाग के साथ

[43] देहरादून और तराई पूर्वी, हल्द्वानी।

आंकड़ों के आवधिक मिलान की प्रणाली के न होने के परिणामतः ₹ 4.46 करोड़ के रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जांच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए।

2.7.9.2 अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण दरों का अनुप्रयोग

दों जिला खान अधिकारियों[44] द्वारा जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि 204 में से 14 प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दरों के अनुप्रयोग से कम रॉयल्टी की वसूली हुई थी। इन 14 प्रकरणों में से, तीन प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दरों पर रॉयल्टी की मदवार वसूली की गयी यद्यपि पट्टाधारक ने मिली-जुली अवस्था में उपखनिज (नदी तल के बाहर) का चुगान किया था। परिणामतः ₹ 40.04 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने इन प्रकरणों की जॉच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.9.3 ईंट भट्ठों से रॉयल्टी की वसूली नही किया जाना

प्रमुख सचिव के पत्रांक सं. 2391/VII-2-09/24-बी/2007 दिनांक 5 अक्टूबर 2009, के आदेशानुसार ईंट भट्ठों की सूची, उनकी स्थिति (पायों की संख्या) सहित चालू ईंट भट्ठों की पहचान की तुलना करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/तहसील से प्राप्त किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उन ईंट भट्ठों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली हेतु कार्यवाही शूरू की जानी थी, जिन्होंने खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं किया था। उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 52 के अनुसार आवेदन शुल्क ₹ 400/- देय था।

जिला खान अधिकारी हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों के साथ सूची का सत्यापन करने पर लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 877 में से 782 ईंट भट्ठा मालिकों ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए रॉयल्टी का भुगतान नही किया था। विभाग ने प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार न तो सूची प्राप्त की थी न ही रॉयल्टी की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ की थी। विभाग की निष्क्रियता के परिणामतः ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, दोषी ईंट भट्ठा मालिकों पर ₹ 3.13 लाख का शुल्क और अर्थदण्ड भी लगाया जाना था।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने निदेशक, खनन को जांच और दोषी ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

2.7.9.4 सीमांकन और सर्वेक्षण प्रभार का उदग्रहण न किया जाना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 17 के अनुसार, जब भी कोई लॉट उप-खनिजों के चुगान हेतु आवंटित की जायेगी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म समय-समय पर निर्धारित की गयी दरों पर ऐसी लॉटों के सीमाकंन और सर्वेक्षण की व्यवस्था करेगा। सीमांकन और सर्वेक्षण केवल तभी किया जायेगा जब इससे संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के प्रभार का भुगतान राजकोष में जमा कर दिया गया है।

---

[44] देहरादून और ऊधमसिंह नगर।

तीन[45] जिला खान अधिकारियों और ग म वि नि के कार्यालयों के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के अभिलेखों की नमूना जांच में यह संज्ञान में आया कि ग म वि नि और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा क्रमशः 15 और 17 लाटों, जो वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लिए उन्हें आवंटित की गयी थी, के सीमांकन और सर्वेक्षण हेतु किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था। विभाग ने न तो इन लाटों के सीमांकन और सर्वेक्षण की व्यवस्था की थी न ही निर्धारित प्रभारों की वसूली की कार्यवाही की थी। इसके परिणमतः ₹ 37.05 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने जांच और इन प्रकरणों में नोटिस जारी करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.9.5 रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण आसन्न हानि

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप[46] दिनांक 22 मार्च 2013 के अनुसार, उप-खनिजों का चुगान ग म वि नि और कु म वि नि द्वारा राजस्व भूमि में और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन भूमि में किया जाना है और प्रत्येक वर्ष में 25 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ रॉयल्टी का भुगतान अग्रिम में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची-I-ख-35 के क्रमांक 35 (अ)(ii) के अनुसार जहां पट्टा अवधि एक वर्ष से ज्यादा तथा पॉच वर्ष से कम हो, देय स्टाम्प शुल्क की गणना औसत वार्षिक किराया/रॉयल्टी के मूल्य के तीन गुना राशि के आधार पर की जानी है।

दो जिला खान अधिकारियों[47]की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 में ग म वि नि और कु म वि नि को क्रमशः छः और चार लांटें आवंटित की गयीं थीं। संवीक्षा में यह पाया गया कि तद्नुसार, छः लाटों में से एक में और चार लाटों में से तीन में, बगैर 25 *प्रतिशत* वृद्धि के रॉयल्टी का निर्धारण किया गया था। विभाग की निष्क्रियता के परिणामतः ₹ 24.31 करोड़ की आसन्न हानि और कु म वि नि के संबंध में ₹ 24.31 करोड़ के कम स्टाम्प ड्यूटी की वसूली हुई क्यों कि बढ़ी हुई दरों पर प्रतिफल राशि की गणना नहीं की गयी थी। इसके परिणामतः ₹ 26.94 लाख की कम स्टाम्प ड्यूटी की वसूली हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि जनवरी 2013 में दरें पुनरीक्षित की गयी हैं और इसलिए 25 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि अप्रासंगिक हैं। जबकि लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2013 (दरों के पुनरीक्षण के बाद जारी) के अनुसार 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जानी थी और छः में से पॉच प्रकरणों में इसकी वृद्धि रॉयल्टी की राशि नियत करते समय की गयी थी। अपर प्रमुख सचिव ने प्रकरणों की जॉच हेतु संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया।

2.7.10 पट्टा विलेख का पंजीकरण

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14(3) और (4) के अनुसार, पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उप-खनिजों के चुगान की स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्तर्गत, पट्टा विलेख का पंजीकरण करायेगा और लाट चालू करने की तिथि भी पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि होगी। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टे को

---

[45] नैनीताल (स्थित हल्द्वानी), देहरादून और हरिद्वार।

[46] 608/VII-1/2013/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 22 मार्च 2013।

[47] देहरादून और ऊधमसिंह नगर।

अनिवार्यतः पंजीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-I-ख-35 के क्रमांक 35(अ)(ii) के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से कम हो, औसत वार्षिक किराया/रॉयल्टी की मूल्य राशि के तीन गुना राशि पर देय स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जायेगी।

2.7.10.1 पट्टा विलेख के पंजीकरण में विलम्ब

कु म वि नि के लाटों के आवंटन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ लाटें और छः लाटें क्रमशः अक्टूबर 2013 और जनवरी 2014 में आवंटित की गयी थी। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, तीन लाटें दो माह के विलम्ब से पंजीकृत हुई थी और दस लाटें दो माह के विलम्ब से पंजीकृत की गयीं, एक लाट तीन माह के विलम्ब से पंजीकृत की गयीं, एक लाट तीन माह के विलम्ब से पंजीकृत हुई थी और दस लाटें लेखापरीक्षा तिथि (जून 2014) तक पंजीकृत नहीं की गयी थी। रॉयल्टी भुगतान की किस्तें लाट के चालू होने की तिथि से शुरु होती है। लाटों के पंजीकरण में विलम्ब और पंजीकरण नहीं कराये जाने के परिणामतः ₹ 4.08 करोड़[48] के रॉयल्टी की हानि हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जाँच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.10.2 उप पट्टा विलेख का पंजीकरण नहीं कराया जाना

ग म वि नि और कु म वि नि के अभिलेखों की नमूना जांच में यह संज्ञान में आया कि क्रमशः 13 और चार लाटें वर्ष 2013-14 में, निविदा के माध्यम से एक वर्ष से अधिक अवधि से पुनः पट्टे पर दिये गये थे परन्तु पट्टाधारक और निविदाकार के मध्य उप पट्टा विलेखों को पंजीकृत नहीं कराया गया था। इस प्रकार, उप पट्टा विलेखों का पंजीकरण नहीं कराये जाने के परिणामतः ₹ 2.24 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी और ₹ 1.70 लाख का पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया गया।

वहिर्गमन बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि ये पट्टाधारक निविदा शर्तों के साथ नहीं चल सके, उन्होंने निविदायें दी और बीच में ही लाटों को छोड़ दिया और इसलिए ये पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं कराये जा सके। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह की अवधि के अन्तर्गत उप पट्टा विलेखों को पंजीकृत कराया जाना था। पंजीकरण में विलम्ब के कारण निविदाकार को बीच में ही भागने का अवसर मिल गया।

2.7.11 उप-खनिजों के अनाधिकृत चुगान/परिवहन पर अर्थदण्ड

खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 4(1अ) के साथ पठित धारा 21(1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आवंटित खनन पट्टे में परिभाषित नियमों एवं शर्तों के अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के खनिज के खनन गतिविधि, परिवहन अथवा भण्डारण अथवा परिवहन एवं भण्डारण हेतु पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकता है और यदि ऐसा हुआ तो, दोषी को दो वर्षों तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है, अथवा अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दोनों लगाये जा सकते हैं। इस अर्थदण्ड की राशि में उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के अन्तर्गत संशोधन किया गया और पच्चीस हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं सामग्री का मूल्य (रॉयल्टी का पांच गुना) अवैध खनन/परिवहन पर वसूला जाना है। इसके अतिरिक्त,

---

[48] तीन लाट ₹ 1.62 करोड़, एक लाट 0.19 करोड़ और दस लाट ₹ 2.27 करोड़।

अस्थाई अनुज्ञापत्र प्रपत्र (एम एम 10) में दी गई शर्तों के अनुसार, अनुमन्य अधिकतम मात्रा के चुगान करने अथवा निर्धारित समयावधि के समाप्त होने, जो भी पहले हो, होने पर अनुज्ञापत्र स्वत: निरस्त हो जायेगा।

2.7.11.1 उप-खनिजों का अनाधिकृत चुगान

लॉट के आवंटन पर पट्टाधारक को जारी स्वीकृति/आवंटन पत्र में पट्टे के नियम एवं शर्ते होती हैं जिन पर उप-खनिजों के चुगान के दौरान ध्यान देना होता है। चयनित जिला खान अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा नियमित सर्वेक्षण को न तो निर्धारित किया गया न ही किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टाधाराकों द्वारा इन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। नियमित सर्वेक्षण और निगरानी के अभाव में शर्तों का उल्लघन हुआ परिणामतः उपखनिजों का अनाधिकृत चुगान किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

(i) जिला खान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के पट्टा प्रकरणों के पत्रावलियों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 41 अस्थाई अनुज्ञापत्र धारकों में से आठ के द्वारा 47,300 घन मीटर अनुमत्त मात्रा के सापेक्ष 69,219.94 घन मीटर उप-खनिजों का चुगान किया गया। इस प्रकार अनुमत्त मात्रा से अतिरिक्त 21,919.94 घन मीटर का चुगान किया गया।

(ii) कू म वि नि को एक लॉट पट्टे पर दी गयी थी, जिसकी अनुमत्त मात्रा 15,090 घन मीटर प्रति वर्ष थी, परन्तु पट्टाधारक द्वारा तीन वर्ष में अनुमत्त मात्रा से अतिरिक्त 16,136 घन मीटर उप-खनिजों का चुगान किया गया। जिला खान अधिकारी द्वारा न तो अतिरिक्त मात्रा के चुगान करने पर पट्टाधारक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी न ही अतिरिक्त मात्रा की लागत और अर्थदण्ड के ₹ 1.65 करोड़ की वसूली की कार्यवाही की गयी।

उक्त को इंगित किये जाने पर जिला खान अधिकारी ने अवगत कराया कि अतिरिक्त चुगान पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अस्थाई अनुज्ञापत्र में दी गई शर्तों में यह स्पष्ट है कि अनुमत्त अधिकतम मात्रा के चुगान करने पर अथवा निर्धारित समयावधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, अस्थाई अनुज्ञापत्र स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। इसलिए अतिरिक्त चुगान की मात्रा अनधिकृत थी और अर्थदण्ड भी लगाया जाना चाहिए था।

2.7.11.2 अवैध खनन पर अर्थदण्ड कम आरोपित करना

दो जिला खान अधिकारियों[49] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 से संबंधित अवैध खनन के 150 प्रकरण विभिन्न प्राधिकारियों जैसे उपजिलाधिकारी, अपर मजिस्ट्रेट आदि द्वारा पकड़े गयें। इन प्रकरणों मे, आरोपित अर्थदण्ड, नीति में निर्धारित राशि से कमतर था। इस प्रकार अर्थदण्ड की निर्धारित राशि आरोपित करने में विफलता के परिणमतः ₹ 19.38 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया।

उक्त को इंगित किये जाने पर जिला खान अधिकारी हरिद्वार ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुछ प्रकरणों में अर्थदण्ड कम लगाया गया था। तथापि, नीति के अनुसार अर्थदण्ड भविष्य में लगाया जायेगा।

---

[49] हरिद्वार और देहरादून।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने उत्तर दिया कि दण्डात्मक प्रावधान प्रथम अपराधी एवं निरन्तर अपराधी में भेदभाव नहीं करता है और वृद्धिशील वर्गीकृत आधार पर दण्डात्मक प्राविधान विचाराधीन है जहाँ पर अपराध की संख्या में वृद्धि के आधार पर अर्थदण्ड की राशि में वृद्धि होगी (प्रथम, द्वतीय और अनुवर्ती अपराध)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रचलित दण्डात्मक प्रावधानों को पुनरीक्षित होने के पूर्व तक लगाया जाना था।

2.7.12 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 58(2) के अनुसार किसी किराया, रॉयल्टी, सीमांकन शुल्क और अन्य देयताओं के भुगतान में विलम्ब पर 24 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से राज्य सरकार को ब्याज देय होगा। अधिसूचना[50] दिनांक 23 सितम्बर 2013 के साथ पठित अधिसूचना[51] दिनांक 22 मार्च 2013 के द्वारा इस दर में संशोधन किया गया और 18 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम कर दिया गया।

जिला खान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दस प्रकरणों में, विलम्ब से रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। यह विलम्ब 36 और 315 दिन का था जिसके लिए विभाग द्वारा ब्याज नहीं लगाया गया। इसके परिणामतः ₹ 3.43 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जांच और आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया।

2.7.13 अन्य ध्यान देने योग्य बिन्दु

- कार्यालय ज्ञाप[52] दिनांक 23 सितम्बर 2013 के अनुसार, लॉट से चुगान की अनुमत्त मात्रा की गणना ज्ञाप पर दिये गये सूत्र के आधार पर की जायेगी। जिला खान अधिकारी, देहरादून में लेखापरीक्षा ने पाया कि पॉच प्रकरणों में निर्धारित अनुमत्त मात्रा, सूत्र द्वारा निर्धारित मात्रा से कम थी।
- अधिसूचना[53] दिनांक 05 अक्टूबर 2009 के अनुसार, साधारण मिट्टी के प्रकरण में रॉयल्टी की दर ₹ 5.56 प्रति टन और ₹ 8 प्रति घन मीटर और चूना पत्थर के लिए ₹ 55 प्रति टन और ₹ 108 प्रति घन मीटर है। टन को घन मीटर में परिवर्तित करने पर मिट्टी हेतु ₹ 10.01 प्रतिघन मीटर[54] और चूना पत्थर हेतु ₹ 99 प्रति घन मीटर[55] होती है जोकि अधिसूचित दर से भिन्न है। इस प्रकार, खनिज की एक ही मात्रा के लिए टन और घन मीटर में गणना करने पर रॉयल्टी में अन्तर आता है।
- कार्यालय ज्ञाप[56] दिनांक 22 मार्च 2013 के अनुसार, एक वर्ष से अधिक के पट्टे पर निगमों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान पच्चीस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रिम में किया जायेगा। परन्तु एक वर्ष से अधिक के निजी लॉटों के प्रकरण में कोई भी वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

---

[50] सं. 1917/VII-1/13/ख/2013।

[51] सं. 608/VII-1/146-ख/2010।

[52] सं. 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013।

[53] सं. 2390/VII-2-09/24-ख/2007 दिनांक 05 अक्टूबर 2009।

[54] ₹ 5.56 प्रति टन X 1.8 (1.8 टन = 1 घन मीटर)।

[55] ₹ 55 प्रति टन X 1.8 (1.8 टन = 1 घन मीटर)।

[56] सं. 608/VII-1/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 22 मार्च 2013।

- जिला खान अधिकारी देहरादून में यह संज्ञान में आया कि 24 प्रकरणों में, भण्डार मालिकों ने अनुज्ञापत्र के नवीकरण हेतु वर्ष 2011-12 में आवेदन दिया था। अपेक्षित शुल्क भी इन मालिकों द्वारा जमा किया गया था और पांच मामलों में तहसीलदार की नवीकरण संस्तुति भी संलग्न पाई गई। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नवीकरण लम्बित थे।
- स्टोन क्रेशर नीति 2011 के प्रावधानों के अनुसार, स्टोन क्रेशर मालिकों को प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय अनुमति लेना था। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 स्टोन क्रेशर के प्रकरणों में पर्यावरणीय अनुमति प्रमाण पत्र की प्राप्ति किये बिना नवीनीकरण किया गया था।
- उत्तराखण्ड वन विकास निगम उपभोक्ताओं से लागू दो *प्रतिशत* के बजाय आठ *प्रतिशत* की दर से स्टाम्प ड्यूटी की वसूली कर रहा था और उसे सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कर रहा था। स्टाम्प ड्यूटी की राशि जिसका लाट के शुरू होने पर भुगतान करना था उसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा था।

2.7.14 आन्तरिक नियंत्रण

नियमों और नियमनों के लिए अन्तर्भूत आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और कठोर अनुपालन, विभाग के प्रभावकारी एवं सक्षम परिचालन में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

पूर्व में उल्लिखित विभिन्न कमियॉं यह दर्शाती है कि, रॉयल्टी और अर्थदण्ड की पूर्ण वसूली और उप-खनिजों के अवैध चुगान की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और अनुश्रवण पर्याप्त मजबूत नहीं था।

2.7.14.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया हैं। यह संगठन को ये सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणाली संतुलित रूप में कार्य कर रही हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं था।

अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति व्यक्त करते हुए एक सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करने हेतु निर्देशित किया और प्रत्येक तीन माह में आन्तरिक लेखा परीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिये।

2.7.14.2 विभागीय संहिता

संहिता, गुणवत्ता प्रबंन्धन प्रणाली का एक आवश्यक अंग है क्योंकि यह नीतियों और विभागीय मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने कोई संहिता नही बनाई थी। कार्यों और प्रक्रियाओं की संहिताबद्ध पुस्तिका के अभाव में सम्भव है कि विभाग के कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और परिणामतः बहुत सी प्रणालीगत कमियां आयी जैसा कि पूर्व में चर्चा की गयी है।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि विभागीय संहिता के स्थान पर मजबूत प्रबंधन और सूचना तंत्र आज की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त, अवगत कराया कि एक बार प्रपत्रों को आनलाईन जारी करने और रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन प्रणाली चालू होने पर प्रबन्धन और सूचना तंत्र

को मजबूत बनाया जा सकेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय संहिता विभागीय नीतियों और मानकों के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है।

निष्कर्ष

उप खनिजों की चुगान की मात्रा के विवरण और इनसे प्राप्तियों की वसूली के विवरण के कोई भी अभिलेख का रख-रखाव मुख्यालय द्वारा नहीं किया गया था। विभाग में प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और प्रयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था। रॉयल्टी और अर्थदण्ड की वसूली नहीं की जा रही थी अथवा कई मामलों में कम आरोपित की जा रही थी। पट्टाविलेखों के पंजीकरण नही किये जाने अथवा विलम्ब से किये जाने और उप-खनिजों के अवैध चुगान/अवैध खनन के परिणामतः विभाग को काफी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। चुगान की सही मात्रा के आकलन में और वन भूमि से उपखनिजों के अवैध खनन के प्रकरणों पर अर्थदण्ड आरोपित करने में वन विभाग के साथ समन्वय के अभाव के परिणामतः राजस्व की हानि हुई। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। कार्यों और प्रक्रियाओं की संहिताबद्ध विभागीय संहिता भी नहीं बनाई गयी थी।

संस्तुतियाँ

सरकार/विभाग विचार कर सकते हैं:

(i) भण्डार पंजिका का रख-रखाव, प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और प्रयोग से संबंधित आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना और भण्डार का आवधिक सत्यापन करना; और

(ii) विभागीय संहिता को तैयार करके और आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करके आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत करना।

उपरोक्त बिन्दु सरकार को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

अध्याय- III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 परिचय

3.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति

राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं तीन (03) सांविधिक निगम हैं। सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 5,103.24 करोड़ का कारोबार किया ***(परिशिष्ट 3.1.1)***। राज्य के सा क्षे उ की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2014 को 25 सा क्षे उ थे, जिनका विवरण **तालिका** 3.1.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1.1

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[2]	18[3]	04[4]	22
सांविधिक निगम	03[5]	-	03
योग	**21**	**04**	**25**

इनमे से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी।

3.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-बी के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मान्य सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के

---

1 अकार्यरत सा क्षे उ वे हैं जिनकी प्रचालन गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं।

2 619-बी कम्पनी शामिल हैं।

3 उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लि. (कम्पनी) वर्ष 2006-07 के दौरान सोसाइटी अधिनियम 1860 के अनुसार उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड बन गयी है। जैसा कि उनके पत्र सं. 282 दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा सूचित किया गया है। इसलिए इसे इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इसके सिवाय एक कम्पनी (उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लि.) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार दिसम्बर, 2010 में स्थापित हुई है। चूंकि कम्पनी के प्रथम लेखे 2013-14 में प्राप्त हुये हैं, इसलिए कम्पनी को वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

4 कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

5 उत्तराखण्ड वन विकास निगम को एक सांविधिक निगम के रूप में प्रथम बार वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उसके अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर उसकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी।

अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य के तीन सांविधिक निगम हैं। दो सांविधिक निगमों, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम, के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा शुरू में नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश

31 मार्च 2014 को 25 सा क्षे उ (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) में राज्य सरकार का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 7,566.36 करोड़ था जिसका विवरण **तालिका 3.1.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1.2 *(₹ करोड़ में)*

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल योग
	कार्यरत कम्पनियाँ	अकार्यरत कम्पनियाँ		
पूँजी	2,506.60	0.38	2,129.80	4,636.78
दीर्घावधि ऋण	2,767.41	- -	162.16	2,929.57
योग	**5,274.01**	**0.38**	**2,291.96**	**7,566.35**

राज्य सा क्षे उ में सरकारी निवेश के विवरण का सारांश ***परिशिष्ट 3.1.2*** में दिया गया है।

कुल निवेश वर्ष 2009-10 के ₹ 5,783.88 करोड़ से 30.82 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 7,566.35 करोड़ हो गया था जो निम्नांकित ***चार्ट 1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1 *(₹ करोड़ में)*

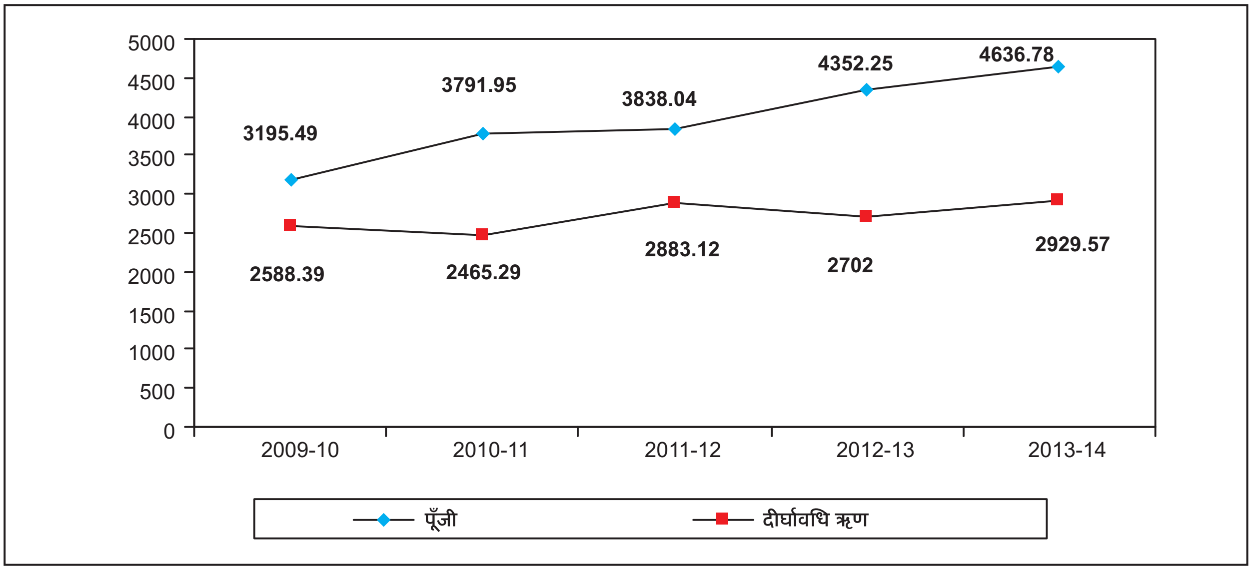

31 मार्च 2010 एवं 31 मार्च 2014 के अन्त में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दृष्टि दोनों से विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश निम्नांकित बार ***चार्ट 2*** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2

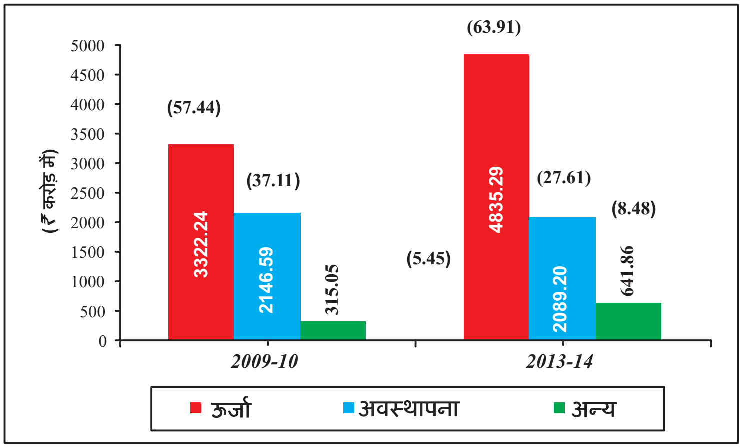

(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश के सापेक्ष खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2013-14 के दौरान, निवेश का मुख्य प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र (63.91 *प्रतिशत*) में ही होना जारी रहा। वहीं राज्य के अन्य[6] क्षेत्रों के निवेश में भी वृद्धि हुई।

3.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

राज्य के सा क्षे उ से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारंटी हेतु बजट से बहिर्गमन क्रम का विवरण ***परिशिष्ट 3.1.3*** में दिया गया है। 31 मार्च 2014 को समाप्त तीन वर्षों का सारांशित स्थिति **तालिका** 3.1.3 में नीचे दी गयी है।

तालिका 3.1.3 *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजी	4	44.00	2	460.02	4	259.91
2.	ऋण	5	458.02	3	252.90	6	190.07
3.	अनुदान/उपदान	5	76.23	5	83.22	4	69.71
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	10	578.25	7	796.14	8[7]	519.69
5.	जारी की गई गारंटियाँ	1	1.35	1	1.51	1	1.54
6.	गारंटी वचनबद्धता	5	1,110.90	4	1,062.93	4	906.66

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन के क्रम का पिछले पाँच वर्षों का विवरण ***चार्ट 3*** में दिया गया है:

[6] कृषि एवं समवर्गी, विनिर्माण, सेवाएं एवं विविध।

[7] उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिन्हें, इक्विटी/ऋणों/उपदान के रूप में बजटीय सहायता उन वर्षों में प्राप्त हुई है।

चार्ट 3

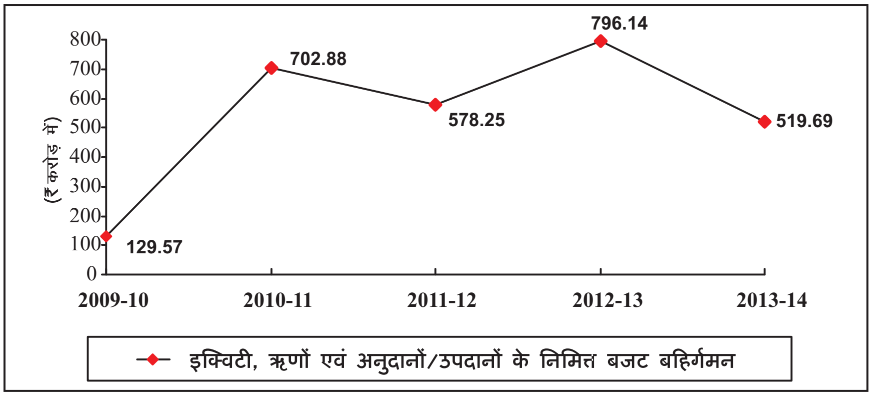

राज्य की सा क्षे उ को राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन, वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 129.57 करोड़ से बढ़कर अस्थिर प्रवृति दर्शा रहा था और 2013-14 में बढ़कर ₹ 519.69 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में गारंटी वचनबद्धता की राशि ₹ 1,062.93 करोड़ (चार सा क्षे उ) की थी जो 31 मार्च 2014 को घटकर ₹ 906.66 करोड़ (चार सा क्षे उ) हो गई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1.3*** में दिया गया है।

राज्य सरकार सभी सा क्षे उ से एक *प्रतिशत* की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षे उ से एक *प्रतिशत* अतिरिक्त की दर से गारंटी शुल्क भारित करती है। तथापि वर्ष 2013-14 में केवल एक सा क्षे उ (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने ₹ 7.17 करोड़ गारंटी शुल्क, जो वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित था, का भुगतान किया था। दूसरे सा क्षे उ का मार्च 2014 तक का ₹ 14.87 करोड़[8] गारंटी शुल्क राज्य सरकार को देय था।

3.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को इनकी स्थिति **तालिका 3.1.4** में दी गई है:

तालिका 3.1.4 *(₹ करोड़ में)*

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षे उ के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	2,642.72	4,609.09[9]	1,966.37
ऋण	227.07	971.25	744.18
गारंटियाँ	902.06	906.66	4.60

[8] यू जे वी एन एल (₹ 6.19 करोड़)+यू पी सी एल (₹ 5.55 करोड़)+पी टी सी यू एल (₹ 3.13) करोड़)=₹ 14.87 करोड़।

[9] इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम को दी गयी ₹ 2,050.06 करोड़ पूँजी अनुदान भी शामिल है जो वित्त लेखे में शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 08 सा क्षे उ के संबंध में आँकड़ों में अन्तर पाया गया और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों, सा क्षे उ और वित्त विभाग को प्रत्येक त्रैमासिक में अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करनी थी।

3.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) का कार्य निष्पादन

21 कार्यरत सा क्षे उ/सांविधिक निगमों, जिनके लेखेँ 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त हुए थे, में से दस सा क्षे उ ने ₹ 99.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 11 सा क्षे उ को ₹ 141.50 करोड़ की हानि हुई। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 12.58 करोड़) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) लाभ[10] अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षे उ थे। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 15.75 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 35.13 करोड़) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 17.44 करोड़) हानि[11] उठाने वाले मुख्य सा क्षे उ थे। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के लेखेँ सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत हो चुके हैं उनके सारांशीकृत वित्तीय परिणाम, जिसमें कुल लाभ/हानि, कारोबार, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि है; ***परिशिष्ट 3.1.1*** में दिया गया है।

31 मार्च 2014 को समाप्त नि म ले प की पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षे उ ने ₹ 491.83 करोड़ का ऐसा व्यय किया जो नियंत्रित किया/बचाया जा सकता था, ₹ 486.84 करोड़ का व्यय वसूली योग्य नहीं था और ₹ 23.85 करोड़ का व्यय अलाभकारी था जो बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण जो सा क्षे उ की नमूना जांच पर आधारित है **तालिका 3.1.5** में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.1.5 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
व्यय जो वसूली योग्य नहीं है	10.78	2.28	473.78	486.84
नियंत्रित होने/बचाया जा सकने वाला व्यय	175.46	116.42	199.95	491.83
अलाभकारी निवेश	10.63	10.83	2.39	23.85
योग	**196.87**	**129.53**	**676.12**	**1,002.52**

राज्य सरकार ने सा क्षे उ के लिए लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षे उ के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार दस सा क्षे उ ने ₹ 99.05 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

3.1.7 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखेँ को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं

---

[10] वर्ष के दौरान के लेखों का अनुसार उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2013-14) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2010-11)।

[11] वर्ष के दौरान के लेखों का अनुसार डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2012-13) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2012-13) एवं उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13) के वर्ष के दौरान के लेखे।

विधायिका को प्रस्तुत करना उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षे उ के संबंधित वर्ष के 30 सितम्बर तक के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण **तालिका 3.1.6** में दर्शाया गया हैः

तालिका 3.1.6

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14[12]
1.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या	20	20	20	20	21
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	28	15	10	16
3.	बकाया लेखों की संख्या	143	135	140	150	148[13]
4.	प्रत्येक सा क्षे उ के अनुसार औसत बकाया (3/1)	7.15	6.75	7	7.50	7.06
5.	कार्यरत सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया हैं	20	19	20	20	20
6.	बकाए अवधि की सीमा	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष	1 से 26 वर्ष	1 से 27 वर्ष

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान राज्य सा क्षे उ लेखाओं को प्रतिवर्ष निपटाने में असफल रहे जिस कारण बकाये में बढ़ोत्तरी हुई और वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान लेखाओं के अंतिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 से 150 के बीच हो गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अक्रियाशील सा क्षे उ के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाने हेतु बकाया थे। चार अक्रियाशील सा क्षे उ में से एक उपक्रम, जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में था तथा शेष तीन अक्रियाशील सा क्षे उ[14] के लेखे 23 से 27 वर्षों से बकाया थे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ सा क्षे उ में ₹ 394.25 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटीः ₹ 66.28 करोड़, ऋणः ₹ 296.08 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 31.89 करोड़) जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा उनका विवरण ***परिशिष्ट 3.1.4*** में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति और बाद में लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्य, जिसके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं या नहीं। इस कारण सरकारी निवेश, जो इन सा क्षे उ में किया गया है, राज्य विधायिका की जाँच से बाहर रहे।

लेखाओं के बकाया का प्रकरण क्रमशः मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन के संज्ञान में लाया गया (मई 2014) जिससे कि लेखाओं के बकाया का समयबद्ध तरीके से परिसमापन किया जा सके।

3.1.8 अकार्यरत सा क्षे उ का परिसमापन

मार्च 2014 को चार अकार्यरत सा क्षे उ थे। इनमें से एक सा क्षे उ ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है। अकार्यरत सा क्षे उ के बन्द होने के चरणों को **तालिका 3.1.7** में दिया गया हैः

---

[12] उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लि. के 12 लेखे जो एरियर में थे हटा दिये गये है और दो कम्पनी/कॉरपोरेशन (उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि. और उत्तराखण्ड वन विकास निगम) के पाँच लेखों को शामिल किया गया है।

[13] 150 (प्रारम्भिक शेष) + 21 (नये लेखे वर्ष 2013-14 में) - 12 (चाय विकास निगम के हटाये गये लेखे)+ 5 (नयी कम्पनियों के लेखे) - 16 (वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखे)= 148 (अन्तिम शेष)।

[14] कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड।

तालिका 3.1.7

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ
1.	कुल अकार्यरत सा क्षे उ की संख्या	04[15]
2.	उक्त (1) में से निम्नलिखित के अंतर्गत संख्या	-
	(अ) न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01[16]
	(ब) स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-
	(स) बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 22 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी।

3.1.9 वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान नौ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 15 लेखापरीक्षित लेखों को को अग्रेषित किया। इसमें से 14 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा एक कम्पनी को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 3.1.8** में दिया गया है।

तालिका 3.1.8 *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	26.04	4	108.47	5	28.07
2.	हानि में वृद्धि	6	234.81	4	86.07	2	16.96
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	2	11.41	1	28.25	1	180.16

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दस लेखों के अर्हता प्रमाण पत्र[17], तीन लेखों के प्रतिकूल प्रमाण पत्र तथा दो लेखों के प्रकरण में के अयोग्य प्रमाण पत्र दिये।

सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जिनकी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान की गयी, नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2013-14)

- ₹ 1.60 करोड़ की राशि के परित्यक्त परियोजना को पूंजीगत कार्य का रूप में प्रगति में दिखाना। (सी डब्लयू आई पी)
- भारतीय जीवन बीमा निगम के मूलधन तथा ऋण राशि पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के कारण ₹ 5.44 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया जाना।

---

[15] कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

[16] कम्पनी, जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी।

[17] सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया अर्हता प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरण में कुछ अपवाद/अर्हता है जो सामान्य स्वीकृत लेखों के सिद्धातों का अनुसरण नहीं करती है।

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)

- यू पी सी एल द्वारा पी टी सी यू एल को ₹ 10.34 करोड़ प्रसारण व्यय का अत्यधिक भुगतान करना।
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ₹ 0.14 करोड़ के बकाया लाइसेन्स फीस के लिए प्रावधान न करना।

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2012-13)

- उत्तराखण्ड सरकार को देय ऋण राशि के एक प्रतिशत की दर से ₹ 4.16 करोड़ की गारंटी शुल्क के गैर-अदायगी हेतु दण्ड का प्रावधान नहीं किया जाना।
- ठेकेदार को दिए गए आठ वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम ₹ 2.88 करोड़, जिनकी वसूली संदिग्ध है, के लिए प्रावधान नहीं किया जाना।

3.1.10 आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। पाँच (05) कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर की गई टिप्पणियों का ब्यौरा नीचे **तालिका** 3.1.9 में दिया गया है:

तालिका 3.1.9

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गई	*परिशिष्ट-3.1.2* के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	02	A1 और A17
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरुप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	04	A1, A5, A13, और A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले यथोचित अभिलेख का रख रखाव न करना	03	A13, A17 और A18

यह दर्शाता है कि सा क्षे उ को बेहतर परिणामों के लिए, व्यवसाय की सा क्षे उ को बेहतर परिणामों के लिए, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार, सेवा निर्गत देयों के प्रावधान के लिए उचित प्रणाली, सामग्री प्रबंधन, सूचना प्रोद्योगिकी परिचय इत्यादि के अनुरूप अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.11 निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को इस वर्ष के प्रतिवेदन में एक सांविधिक निगम के रुप में प्रथम बार शामिल किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने इस निगम के अधिनियम में संशोधन कर इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक को सौंपी है। निगम के प्रथम लेखे 2009-10 (जुलाई 2014) में प्राप्त हुए जिनकी लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण की प्रक्रिया प्रगति में है। नि म ले द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतीकरण की स्थिति को नीचे **तालिका 3.1.10** में दर्शाया गया हैः

तालिका 3.1.10

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	29 नवम्बर 2012
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	20 जनवरी 2014
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	वर्ष 2008-09 के लेखे, जो राज्य सरकार की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित किये गये है, और जिसको राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण किया जाना बाकी है।		

3.1.12 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में शामिल वसूलियों, जो सा क्षे उ के लेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आती हैं, को सा क्षे उ राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा दोबारा जाँच के लिए प्रेषित किया जाता है और अधिभुगतान /अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में ₹ 20.87 करोड़ की वसूलियाँ विभिन्न सा क्षे उ के प्रबन्धकों को इंगित गयी थी जो सा क्षे उ द्वारा स्वीकार की गयी। इसके सापेक्ष, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5.34 करोड़ की वसूली की गयी थी।

3.1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों की अनुक्रिया

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में छः ड्राफ्ट प्रस्तरों सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उनका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। यद्यपि सम्बधित सा क्षे उ के प्रबन्धकों द्वारा उत्तर दिये गये, राज्य सरकार द्वारा पाँच प्रस्तरों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

भारत के नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे खातों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण की शुरूआत के साथ प्रारम्भ हुई जाँच की प्रक्रिया का समापन है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धकर्ता से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

यद्यपि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः दिसम्बर 2012, सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2014 को प्रस्तुत किये गये, चार विभागों ने सभी 11 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की 30 सितम्बर 2014 तक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी, जो **तालिका 3.1.11** में दिया गया है।

तालिका 3.1.11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	प्रस्तुतीकरण की तिथि	प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2010-11	दिसम्बर 2012	5	5
2011-12	सितम्बर 2013	3	3
2012-13	नवम्बर 2014	3	3
योग		**11**	**11**

विभागानुसार विश्लेषण जो **तालिका 3.1.12** में भी दिया गया है।

तालिका 3.1.12

विभाग का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
ऊर्जा	2	2	2
अवस्थापना	-	1	-
पर्यटन	2	-	1
विनिर्माण	1	-	-
योग	**05**	**03**	**03**

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ऊर्जा विभाग ने सभी छः प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

प्रतिवदेन प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर द्वारा की गई संस्तुतियों पर कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत की जानी होती है। संपादित कोपू बैठकों की स्थिति, प्रस्तरों वास्तव में जिन पर चर्चा हुई और जो अन्तिमीकृत किये गए तथा कोपू प्रतिवेदन जो वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तक जारी हुए, को **तालिका 3.1.13** में दिया गया है।

तालिका 3.1.13

अवधि	बैठकों की संख्या	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जो अन्तिमीकृत किये गये	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2010-11	05	06	06	-	-
2011-12	02	02	02	02	-
2012-13	-	-	-	-	-

जुलाई 2011 से कोई भी कोपू की बैठक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 34 प्रस्तर बहस के लिए बाकी थे, जिसमें सबसे पुराना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का था। 30 सितम्बर 2014 तक कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुआ था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिउत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जो उसी समय निस्तारित नहीं हो सकी, को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया था। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब सा क्षे उ के विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार करवा कर एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना था। 30 सितम्बर 2014 तक 362 निरीक्षण

प्रतिवेदनों के 1694 प्रस्तर बाकी थे। 30 सितम्बर 2014 को बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों और विभागानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण ***परिशिष्ट 3.1.5*** में दिया गया है।

इसी प्रकार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह में उन पर टिप्पणी तथा दिये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रेषित किया जाता है। छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को जुलाई 2014 और सितम्बर 2014 के मध्य तीन विभागों को भेजा गया था। राज्य सरकार से एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर प्राप्त हुआ है पाँच प्रस्तरों के सापेक्ष राज्य सरकार का उत्तर अभी भी अपेक्षित है।

यह भी संस्तुति की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय सारणी के अनुसार कोपू की संस्तुतियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/ कृत कार्यवाही टिप्पणियों के प्रेषण (ब) निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत हानि/अदत्त अग्रिम/ अधिक भुगतान की वसूली एवं (स) लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रत्युत्तर की प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करे।

3.1.15 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षे उ के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी है।

3.1.16 इस अध्याय की विषयवस्तु

इस अध्याय में छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को शामिल किया गया है जिनका वित्तीय प्रभार ₹ 134.80 करोड़ मुद्रा मूल्य है। राज्य सरकार द्वारा एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिसका ₹ 2.12 करोड़ है, का उत्तर प्राप्त हुआ है। लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

कृषि विभाग

3.2 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज का विपणन

₹ 19.95 लाख कुन्तल उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध सापेक्ष उत्पादकों से गेहूँ बीजों का वास्तविक अंतः ग्रहण केवल 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वितरक कमीशन को विक्रय एवं वितरण व्यय के स्थान पर क्रय मूल्य का भाग बनाने के कारण कम्पनी ने ₹ 0.73 करोड़ का अतिरिक्त डीलर कमीशन का भुगतान किया एवं कमीशन का भुगतान अधिक दर से करने के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 0.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया। दोषी वितरकों की अग्रिम जमा धनराशि जब्त न करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

3.2.1 परिचय

उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर (कम्पनी) उत्तराखण्ड सरकार के कृषि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी राज्य के भीतर और राज्य[18] के बाहर अनाज और सब्जियों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन करती है। कम्पनी अपने अधिकृत उत्पादकों को मूल बीज देती है एवं उत्पादित बीज उनसे लेती है। बीजों का विक्रय वितरकों और विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी मुख्य रूप से अपने उत्पादों को बिहार व उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित सरकार द्वारा दिए गये विक्रय लक्ष्यों एवं रियायत के आधार पर किसानों को विक्रय करती है।

कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेखों (अप्रैल 2009 से मार्च 2014) की नमूना जाँच मार्च 2014 से जून 2014 के बीच यह जांचने के लिए की गयी कि क्या कम्पनी ने प्रमाणित बीजों के विपणन का कार्य मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से किया गया अथवा नहीं।

3.2.2 कम्पनी का विक्रय निष्पादन

अभिलेखों की समीक्षा प्रदर्शित करती है कि प्रमाणित गेहूँ के बीजों की बिक्री, जो वर्ष 2009-10 मे 3.10 लाख कुन्तल थी, 2010-11 में बढ़कर 4.05 लाख कुन्तल हो गयी थी परन्तु इसके बाद 2013-14 में यह घट कर 2.63 लाख कुन्तल ही रह गयी । विवरण **तालिका 3.2.1** में दर्शित है।

तालिका 3.2.1

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विक्रय (₹ करोड़ में)	60.35	88.35	84.55	87.63	70.48
स्वयं द्वारा उत्पादित गेहूँ का विक्रय (कुन्तल में)[19]	2,97,417	3,15,358	3,49,664	3,65,550	2,63,507
गेहूँ का व्यापार (कुन्तल में)	12,617	89,806	31,841	शून्य	शून्य
गेहूँ का कुल विक्रय (कुन्तल में)	3,10,034	4,05,164	3,81,505	3,65,550	2,63,507

(स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित)

उपरोक्त विवरण दर्शाता है कि बीजों के विक्रय में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 30.68 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है और तत्पश्चात् वर्ष 2010-11 के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 34.96 *प्रतिशत* कमी आ गई। कम्पनी के बिक्री प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। इसके कारणों का विश्लेषण निम्नलिखित खण्डों में किया गया हैः-

---

[18] उत्पादन और प्रसंस्करण- अलीगढ़ और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), विपणन - बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि।

[19] प्रमाणित बीज के रूप में बेचा गया मूल बीज (अतिरिक्त होने के कारण) सम्मिलित है।

3.2.2.1 उत्पादकों से असंसाधित बीजों का कम अन्तःग्रहण

अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में गेहूँ के अनुमानित उत्पादन 20.28 लाख कुन्तल एवं लक्षित उत्पादन 19.95 लाख कुन्तल के सापेक्ष वास्तविक अन्तःग्रहण[20] 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन के सापेक्ष 4.50 लाख कुन्तल कम रहा।

3.2.2.2 उत्पादकों के साथ अनुबन्ध का न किया जाना

कम्पनी बीजों की एक न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादकों के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं करती। किसी औपचारिक समझौते के अभाव में उत्पादक अपने द्वारा सहमत मात्रा की आपूर्ति कम्पनी को करने के लिए बाध्य नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप बीजों की बिक्री के विपथन की संभावना बनी रही।

कम्पनी ने कहा (अपैल 2014) कि वह बीज उत्पादन मौसम के शुरू होने से पहले अपनी भुगतान नीति की घोषणा करने के बाद ही उत्पादकों के साथ अनुबन्ध करने का निर्णय ले सकती है। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपने उत्पादकों के साथ किया गया समझौता बीज की न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अग्रिम भुगतान नीति की घोषणा करना कम्पनी की शक्तियों में ही निहित है।

3.2.2.3 क्षमता का विदोहन करने में कम्पनी की विफलता

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं बिहार की राज्य सरकारें अपने राज्यों में रियायती दर पर बीज विक्रय हेतु मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं और विक्रय पर उपदान का भुगतान करती हैं। दोनो राज्यों में बिक्री के लिए लक्षित मात्रा तथा उसके विरूद्ध वास्तविक विक्रय का वर्ष-वार विवरण **तालिका** 3.2.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2.2 *(कुन्तल में)*

वर्ष	बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत मांग	बीजों का विक्रय	कमी (*प्रतिशत*)
2010-11	3,77,231	3,02,179.00	75,052 **(20)**
2011-12	4,29,990	3,46,030.00	83,960 **(20)**
2012-13	4,18,800	3,15,333.40	1,03,467 **(25)**
2013-14	3,88,980	2,22,128.60	1,66,851 **(43)**
योग	**16,15,001**	**11,85,671.00**	**4,29,330 (27)**

(स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो से संकलित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कम्पनी 2010-14 की अवधि में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 16.15 लाख कुन्तल बीज की कुल मांग के विरूद्ध केवल 11.86 लाख कुन्तल बीज की बिक्री ही कर सकी, अतः कम्पनी 4.29 लाख कुन्तल की अतिरिक्त बिक्री की मांग का विदोहन करने में विफल रही और इस प्रकार कम्पनी ने अपने लाभ में वृद्धि करने का अवसर खो दिया।

3.2.3 मूल्य निर्धारण ढांचा

3.2.3.1 कम्पनी द्वारा ₹ 73.27 लाख अतिरिक्त कमीशन का भुगतान।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के गेहूँ बीजों की कीमत संरचना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी द्वारा विक्रय मूल्य का निर्धारण कुल लागत, जिसमें वितरकों एवं विक्रेताओं को देय बिक्री कमीशन सम्मिलित है, पर किया

[20] उत्पादकों से प्राप्त असंसाधित बीज 17.44 लाख कुन्तल था। प्रसंस्करण के बाद, वास्तविक उत्पादन 15.45 लाख कुन्तल था।

गया था। वितरकों के साथ किए गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विक्रेताओं का कमीशन गोदाम से बाहर की दर पर जबकि वितरकों का कमीशन संयत्र से बाहर की दर पर देय था।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कम्पनी द्वारा चार राज्यों[21] में विक्रय किऐ गये गेहूँ के बीज की कीमत संरचना की नमूना जांच में पाया गया कि वितरक के कमीशन को बिक्री एवं वितरण व्यय के स्थान पर खरीद मूल्य के भाग के रूप में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप विक्रेता का कमीशन एवं किसान द्वारा देय खुदरा मूल्य दोनों ₹ 5.46 प्रति कुन्तल से ₹ 9.58 प्रति कुन्तल तक अधिक निर्धारित किया गया। फलतः विक्रेताओं को ₹ 73.27 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट 3.2.1)***।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

3.2.3.2 अनुबंध की शर्तो के विरूद्ध कम्पनी द्वारा उच्च दरों पर विक्रेता कमीशन का भुगतान

अनुबंध के खण्ड 19 के अनुसार वितरकों को उनकी अनुमानित मांग की पुष्टि हेतु 10 *प्रतिशत* अग्रिम भुगतान जमा कराना आवश्यक था और कम्पनी केवल निश्चित मांग के सापेक्ष बीजों की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थी । इसके अलावा, अनुबन्ध के खण्ड 15 के अनुसार विक्रेता कमीशन निश्चित मांग की बिक्री पर गोदाम से बाहर की दर का 10 *प्रतिशत* (जिसके लिए 10 *प्रतिशत* अग्रिम प्राप्त था) की दर से और अनिश्चित मांग जिसके लिए कम्पनी को कोई भी अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं था, पर गोदाम से बाहर की दर का आठ *प्रतिशत* की दर से देय था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 16 वितरकों द्वारा ₹ 1,719.70 लाख के बीजों के क्रय हेतु ₹ 171.97 लाख का अग्रिम जमा किया गया। तथापि वितरकों ने ₹ 2,770.61 लाख[22] के बीजों का क्रय किया। अतः अनुबन्धात्मक शर्तों के अनुसार विक्रेता कमीशन ₹ 1,257.80[23] लाख पर नौ[24] *प्रतिशत* की दर से और ₹ 1,512.81[25] लाख की बिक्री पर सात[26] *प्रतिशत* की दर से देय था। लेकिन देखा गया कि कम्पनी द्वारा ₹ 2,770.61 लाख की कुल बिक्री पर नौ *प्रतिशत* की दर से ही विक्रेता कमीशन का भुगतान किया था। अतः ₹ 29.59 लाख के विक्रेता कमीशन का अधिक भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट 3.2.2)*** ।

कम्पनी ने कहा (जून 2014) कि विक्रेता कमीशन की गणना ₹ 304.11 लाख के सापेक्ष ₹ 248.69 लाख का वास्तविक भुगतान किया गया है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक देय कमीशन ₹ 219.10 लाख ही था।

3.2.4 अग्रिम जब्त न करने के कारण ₹ 136.87 लाख की हानि

वितरकों के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार वितरक 10 *प्रतिशत* अग्रिम जमा करके बीजों की वांछित मात्रा आरक्षित कर सकता है। तत्पश्चात् यदि वितरक किसी भी स्थिति में आरक्षित मात्रा को नहीं उठाता है तो कम्पनी दोषी वितरक के जमा अग्रिम को जब्त कर लेगी।

---

[21] बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखण्ड।

[22] ₹ 3818.36 लाख (कुल बिक्री) - ₹ 1,047.75 लाख (₹ 987.76+₹ 59.99) (उपदान और परिवहन छूट); = ₹ 2,770.61 लाख।

[23] ₹ 1,719.70 लाख (कुल आरक्षित बिक्री जिसके लिए 10 *प्रतिशत* अग्रिम प्राप्त था) - ₹ 461.90 लाख उपदान और परिवहन छूट (₹ 433.90 लाख + ₹ 28.00 लाख)।

[24] कम्पनी द्वारा गणना के अनुसार खुदरा मूल्य का नौ *प्रतिशत* अर्थात गोदाम से बाहर की दर का 10 *प्रतिशत*।

[25] कुल अनारक्षित बिक्री ₹ 2,098.66 लाख जिसके लिए 10 *प्रतिशत* अग्रिम प्राप्त नहीं था - ₹ 585.85 लाख उपदान और परिवहन छूट (₹ 553.86 लाख + ₹ 31.99 लाख)।

[26] कम्पनी द्वारा गणना के रूप में खुदरा मूल्य का सात *प्रतिशत* अर्थात् एक्स-गोदाम दर का आठ *प्रतिशत*।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के लिए 15 वितरकों द्वारा 96,085 कुन्तल गेहूँ के बीजों के आरक्षण हेतु ₹ 295.10 लाख का अग्रिम जमा किया गया। तथापि, वितरक 48,360[27] कुन्तल बीजों को उठाने में विफल रहे। अन्ततः कम्पनी ने शेष मात्रा को घटे दरों पर विक्रय किया जिससे कम्पनी को ₹ 173.15[28] लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वितरकों द्वारा आनुपातिक जमा अग्रिम ₹ 136.87 लाख जब्त किया जाना चाहिए था। यह भी देखा गया कि निदेशक मण्डल (नि म) द्वारा अवशेष बीजों की मात्रा के उठान हेतु प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन करते हुए दोषी वितरकों की अग्रिम राशि को जब्त करने का निर्देश (जनवरी 2012) भी दिया गया था। इन निर्देशों के बावजूद कम्पनी द्वारा ₹ 136.87 लाख की अग्रिम जमा को जब्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यदि कम्पनी द्वारा ₹ 136.87 लाख अग्रिम को जब्त किया जाता तो घटे दरों पर बीज की बिक्री पर हुई हानि (₹ 173.15 लाख) को कम किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने प्रत्युत्तर में बताया कि कम्पनी वितरकों के विविध प्रकार के बीजों के मांग को पूरा नहीं कर सकी अतः वितरकों द्वारा जमा अग्रिम को जब्त नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध के खण्ड 21 (iii) के अनुसार वितरक द्वारा किसी भी स्थिति में आरक्षित मात्रा का उठान न करने पर कम्पनी सम्पूर्ण अग्रिम राशि को जब्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त वितरकों द्वारा अग्रिम जमा करते समय विविध प्रकार के बीजों की मांग का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

ऊर्जा विभाग

3.3 उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, आन्तरिक लक्ष्य की तुलना में विभिन्न क्षमताओं के ₹ 121.99 करोड़ के मूल्य वाले 13,319 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुए तथा 151 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 1.03 करोड़ था, लाइटनिंग अरेस्टर न प्रतिस्थापित किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यू पी सी एल ने अपनी वर्कशॉप के अल्प उपयोग के कारण ₹ 63.23 लाख का अतिरिक्त व्यय किया तथा 509.31 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल, जिसकी कीमत ₹ 76.40 लाख थी, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से कम पाया गया।

3.3.1 परिचय

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य की ऊर्जा वितरण कम्पनी है जो राज्य के 13 जिलों में फैले 17.48 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है। यू पी सी एल, पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा प्रबन्धित ट्रांसमिशन ग्रिड के नेटवर्क से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा लम्बी

---

[27] बीजों का अग्रिम जमा करते के समय कम्पनी को वितरक द्वारा विविधता वार/मात्रा वार मांग की सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन उक्त की गणना लेखापरीक्षा द्वारा गेहूँ की प्रजाति (PBW -343, PBW -373, PBW -502 और PBW -550) जो कुल बिक्री का 80 *प्रतिशत* थे के अग्रिम जमा और गोदाम से बाहर की दर के आधार पर की गयी है।

[28] ₹ 100 × 18.575 कुन्तल (प्रोत्साहन राशि दिये जाने के कारण हुई हानि) + ₹ 518.97 × 29,785 कुन्तल (बीजों के मूल्यों में की गयी कमी के कारण हुई हानि)= ₹ 1,73,15,021।

दूरी से अति उच्च वोल्टेज पर संचारित होती है जो कि उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। यू पी सी एल इसी अति उच्च वोलटेज ऊर्जा को कम वोल्टेज ऊर्जा में अपने ट्रांसफॉर्मरों की सहायता से परिवर्तत करता है जो कि यू पी सी एल की वितरण लाईनों से ट्रांसमिशन के पश्चात् सामान्य उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। वर्तमान में यू पी सी एल के पास इस उद्देश्य के लिए 0.57 लाख ट्रांसफॉर्मर हैं।

यू पी सी एल द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरों के प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए यू पी सी एल के मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच, 'आठ विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) और एक वर्कशॉप खण्ड[29]' के साथ ही पिटकुल की तीन संचालन एवं रखरखाव (सं एवं र) खण्डों[30] की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा मार्च 2014 से जुलाई 2014 के बीच की गई जिसकी अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई हैः

3.3.2 आवश्यकताओं का आकलन

यू पी सी एल के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। एक लिखित नीति के अभाव में क्षेत्रीय इकाइयों के पास भविष्य में भार वृद्धि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली के विस्तार की गणना के लिए कोई भी निधारित दिशा निर्देश नहीं होते है। यू पी सी एल अपना आकलन पिछले उपभोग के आधार पर ही तैयार करता है जिससे राज्य में भविष्य में होने वाली मांग में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता है।

3.3.3 खरीद

ट्रांसफॉर्मरों की खरीद यू पी सी एल के कॉरपोरेट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट स्कंध द्वारा सामग्री प्रबन्धन स्कंध की आकलित आवश्यकताओं के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विभिन्न क्षमताओं के 25,385 ट्रांसफॉर्मरों की कुल मांग के सापेक्ष यू पी सी एल ने मात्र 20,674 ट्रांसफॉर्मर क्रय किये।

3.3.3.1 ट्रांसफॉर्मरों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

यू पी सी एल ने 130, 400 के वी ए कॉपर वाऊण्ड ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमन्त्रित की (मई 2011)। यह पाया गया कि नौ फर्मो की निविदाओं का भाग-I खोला गया (जुलाई 2011)। मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग को L-1 होने के कारण ₹ 1.41 करोड़ में 400 के वी ए के 50 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति का अनुबंध दे दिया गया (दिसम्बर 2011)।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि फर्म को 150 दिनों के भीतर 50 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति करनी थी किन्तु वह मात्र 35 ट्रांसफॉर्मरों की ही आपूर्ति कर सकी। इसने मार्च 2014 तक वांछित संख्या में ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति नहीं की। परिणामस्वरूप, यू पी सी एल को अगली निविदा प्रक्रिया में शेष 15 ट्रांसफॉर्मरों को उच्चतर दर पर क्रय करने पर ₹ 16.80 लाख[31] के अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यू पी सी एल ने न तो आदेश ही निरस्त किया और न ही फर्म के विरूद्ध कोई कारवाई की।

---

[29] वि वि ख श्रीनगर, वि वि ख कोटद्वार, वि वि ख (दक्षिण) देहरादून, वि वि ख (ग्रामीण) हरिद्वार, वि वि ख काशीपुर, वि वि ख रूद्रपुर, वि वि ख बाजपुर, वि वि ख नई टिहरी तथा विद्युत कार्यशाला खण्ड देहरादून।

[30] 400 के वी सं एवं र काशीपुर, 132 के वी सं एवं र काशीपुर, 220 के वी सं एवं र पन्तनगर।

[31] ₹ 16.80 लाख कम खरीद से हानि=₹ 1,12,000 सामग्री निर्गत मूल्य ₹ 3,94,000-विक्रेता मूल्य ₹ 2,82,000=₹1,12,000×15 (ट्रांसफॉर्मरों की संख्या)।

यू पी सी एल प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और बताया (जून 2014) कि अनुबंध का निरस्तीकरण व इस प्रकरण में अन्य कारवाई प्रगति पर है।

3.3.4 ट्रांसफॉर्मरों का रखरखाव

ट्रांसफॉर्मरों की लम्बी आयु व कुशल कार्यशीलता के लिए ट्रांसफॉर्मरों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है जिससे कि गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ट्रांसफॉर्मरों के रखरखाव में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाई:

3.3.4.1 ट्रांसफॉर्मरों के हिस्ट्री-कार्ड का रखरखाव न होना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उप-ट्रान्समिशन एवं वितरण परियोजना (उ ट्रा एवं वि प) के निष्पादन मूल्यांकन हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर के पूर्ण विवरण को शामिल करते हुए ट्रांसफॉर्मर के हिस्ट्री कार्ड का रखरखाव इसके निष्पादन की देखरेख व कार्यशील जीवन के निर्धारण हेतु आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी आठ वितरण खण्डों में ट्रांसफॉर्मरों के हिस्ट्री कार्ड का रखरखाव नहीं किया गया था। हिस्ट्री कार्ड के अभाव में यू पी सी एल के पास ट्रांसफॉर्मरों की वास्तविक आयु, कार्यक्षमता व मरम्मत के विवरणों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

3.3.4.2 ट्रांसफॉर्मरों का मानकों के सापेक्ष अधिक क्षतिग्रस्त होना

ट्रांसफॉर्मर वितरण नेटवर्क का मुख्य तत्व होते है तथा इसकी औसत आयु 25 वर्ष[32] मानी जाती है। इसकी क्षतिग्रस्तता को कम करने के लिए यू पी सी एल को सावधानीपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं जैसे कि विस्तृत अनुश्रवण, क्षतिग्रस्तता के कारणों का निर्धारण करना, हिस्ट्री कार्ड्स का रखरखाव और लो टेंशन टर्मिनल को ग्रिपिंग टूल व कॉपर लग्ज़ के साथ जोड़ना आदि। यद्यपि उत्तराखण्ड सरकार/यू पी सी एल ने ट्रांसफॉर्मरों की क्षतिग्रस्तता को दर्ज करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं तथापि यू पी सी एल ने प्रतिस्थापित क्षमता के तीन *प्रतिशत* प्रतिवर्ष तक की क्षतिग्रस्तता का आन्तरिक लक्ष्य निर्धारित किया। लेखापरीक्षा मे पाया गया किः

- क्षतिग्रस्तता दर को तीन *प्रतिशत* पर निर्धारित करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था।
- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 121.99 करोड़ मूल्य के विभिन्न क्षमताओं के 13,319 ट्रांसफॉर्मर यू पी सी एल द्वारा निर्धारित आन्तरिक लक्ष्यों से अधिक खराब हुए। कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का *प्रतिशत* मानक तीन *प्रतिशत* से ज्यादा रहा तथा 12.88 से 13.40 *प्रतिशत* की सीमा के मध्य रहा।
- यह भी देखा गया कि कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में से 9,642 ट्रांसफॉर्मर 25 के वी ए क्षमता के थे जो कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का 55.43 *प्रतिशत* था।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान गारन्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होने वाले 20.15 *प्रतिशत* (3,007 में से 606) ट्रांसफॉर्मरों को ठेकेदार 60 दिनों की निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवा पाने में असफल रहा।

[32] उप-पारेषण तथा वितरण उपकरण के लिए आर एण्ड एम तथा आर एल ए के लिए सी ई ए के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.3.4.3 यू पी सी एल के 33/11 के वी सब स्टेशनों में सुरक्षा उपकरणों में कमी

सब स्टेशनों से निकालने वाले वितरण फीडर को सर्किट ब्रेकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि आगे लाइन में कोई त्रुटि होने पर खुल जाता है, इस प्रकार केवल उस संभाग के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ चयनित खण्डों में से कोटद्वार खण्ड के (16 में से 15 सब स्टेशनों में) व देहरादून (दक्षिण) खण्ड के 21 में से सात फीडरों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की कमी से उपकरणों को खतरा एवं फीडरों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

3.3.4.4 असफल/क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को बदलने में देरी

क्षतिग्रस्त या जले हुए ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा जारी 'स्टैंडर्ड्स ऑफ परफारमेंस' के अनुसार अनुज्ञप्ति धारी को मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटो के भीतर ट्रांसफॉर्मरों को बदल देना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नई टिहरी खण्ड में 361 असफल/जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को वर्ष 2013-14 के दौरान एक से 23 दिनों की देरी से बदला गया।

3.3.4.5 लाइटनिंग अरेस्टर का नहीं लगाया जाना

लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि आकाशीय बिजली को उचित अर्थिंग के द्वारा जमीन में भेज देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मरों तथा संबंधित लाइनों को आकाशीय बिजली से बचाने हेतु इसे लगाया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं की आवृत्ति ज्यादा होती है। लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लाइटनिंग अरेस्टर एल ए न होने की वजह से विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर एवं कोटद्वार में विभिन्न क्षमताओं के क्रमशः 22 तथा 151 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए जिसकी वजह से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3.3.4.6 ट्रांसफॉर्मरों के अवयवों की चोरी

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2010 से जनवरी 2014 के दौरान काशीपुर, बाजपुर एवं हरिद्वार (ग्रामीण) वि वि खण्ड के 16 ट्रांसफॉर्मरों के ₹ 35.76 लाख मूल्य के मुख्य भाग जिसमें क्वायल, कॉपर वाइडिंग, बुशिंग रॉड तथा ट्रांसफॉर्मर तेल थे, चोरी हो गए। उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में खण्डों द्वारा पुलिस को फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज करा दी गई किन्तु अब तक कोई भी अवयव बरामद नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खण्डों को स्थापित ट्रांसफॉर्मरों की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया।

3.3.5 ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत

3.3.5.1 यू पी सी एल की विभागीय वर्कशॉप का क्षमता से कम उपयोग

मानको के अनुसार, वर्कशॉप में प्राप्त कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों के 50 *प्रतिशत* की वर्कशॉप में ही मरम्मत होनी चाहिये। विद्युत वर्कशॉप खण्ड के पिछले पांच वर्षों के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 17,536 क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में से केवल 5,684 ट्रांसफॉर्मरों की ही वर्कशॉप में मरम्मत की गई जो कि कुल

क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का मात्र 32.41 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, लक्ष्य की प्राप्ति में कुल 3,084 (35.17 *प्रतिशत*) ट्रांसफॉर्मरों की कमी रह गई। वर्कशॉप की क्षमता का कम उपयोग करने के कारण यू पी सी एल को ₹ 63.23 लाख (केवल श्रम लागत को लेते हुए) अतिरिक्त व्यय करना पड़ा क्योंकि मरम्मत बाहरी एजेन्सी द्वारा की गई।

3.3.5.2 ट्रांसफॉर्मरों के जले हुए तेल की कम प्राप्ति

मानकों के अनुसार, वर्कशॉप में लाये गये क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से तेल टैंक की क्षमता के कम से कम 70 *प्रतिशत* अशुद्ध तथा जले हुए ट्रांसफॉर्मर तेल की प्राप्ति होनी चाहिये। विद्युत वर्कशॉप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-14 के दौरान 14,129 ट्रांसफॉर्मरों में से ₹ 76.40 लाख मूल्य का 509.31 किलो लीटर अशुद्ध तथा जला हुआ ट्रांसफॉर्मर तेल मानक के सापेक्ष कम प्राप्त हुआ। अशुद्ध तथा जले ट्रान्सफार्मर तेल की कम प्राप्ति के कारण तथा किए गये सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में उपलब्ध नही थे।

3.3.6 क्षमता का भार से मिलान

3.3.6.1 क्षमता और भार में संतुलन न होना

यू पी सी एल के चयनित खण्डों के विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशन बिन्दुओं पर यू पी सी एल की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के असंतुलन के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों में संयोजित भार, वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से 1,526.36 एम वी ए से लेकर 1,994.18 एम वी ए की सीमा में ज्यादा था। आठ खण्डों की लेखापरीक्षा में भी यह पाया गया कि खण्डों में संयोजित भार वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से ज्यादा था।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान यू पी सी एल की वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता, उप केन्द्र विद्युत ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से 762.47 एम वी ए से 1,515.62 एम वी ए की सीमा में ज्यादा थी। वि वि ख रूद्रपुर, वि वि ख नई टिहरी, वि वि ख कोटद्वार व वि वि ख (दक्षिण) देहरादून की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन खण्डों में उप केन्द्र ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता, वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से कम थी जिसके फलस्वरूप उप केन्द्र के ट्रांसफॉर्मर लगातार अधिभारित रहे। इसके अलावा, वितरण प्रणाली के निरन्तर अधिभारित रहने का दवाब ट्रांसमिशन नेटवर्क पर पड़ा जिसके फलस्वरूप पिटकुल के ट्रांसफॉर्मर भी अधिभारित रहे।

खण्डों के प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकारा तथा बताया कि 33/11 के वी सब स्टेशनों के अधिभारण की समस्या नये 33/11 के वी सब स्टेशन निर्मित होने पर तथा नये उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर स्थापित होने पर कम हो जायेगी। संदर्भित कार्यों का नियोजन 'रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पॉवर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम' (आर ए पी डी आर पी) में किया गया है। प्रबन्धन का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि आर ए पी डी आर पी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2009-10 में उस वक्त के भार को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी और तबसे भार में लगातार वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से प्रस्तावित क्षमता वृद्धि वर्तमान आवश्यकताओं से फिर भी कम रहेगी।

3.3.6.2 बेहतर भार प्रबन्धन के लिए बनी बेयों का उपयोग न होना

यू पी सी एल के एकल पोषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए पिटकुल ने 33 के वी बे का निर्माण किया जिसमें सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सी टी, लाइटनिंग अरेस्टर इत्यादि थे। इन बेयों की आवश्यकता किसी निश्चित क्षेत्र के भार को बाँटने हेतु भी होती है जिससे कि यू पी सी एल के एकल पोषकों को अधिभारित होने से बचाया जा सके। सं एवं र खण्ड पन्तनगर तथा काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पन्तनगर खण्ड के दो सब स्टेशनों में कुल 14 बेयों में से आठ बिना उपयोग के पड़ी थी। इसी प्रकार काशीपुर खण्ड के तीन सब स्टेशनों में 57 बेयों में से चार उपयोग में नही थी। इन 12 अप्रयुक्त बेयों का उपयोग बेहतर भार प्रबन्धन तथा असंतुलन कम करने के लिए किया जा सकता था।

3.3.6.3 वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति योजना (वि आ यो)

यू पी सी एल की वि आ यो वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 1,637.65 एम वी ए भार वृद्धि की संभावना प्रकट करती है। प्रस्तावित भार वृद्धि तथा 1,994.18 एम वी ए[33] के वास्तविक अन्तर के सापेक्ष यू पी सी एल ने केवल 993.25 एम वी ए की वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वृद्धि प्रस्तावित की थी। राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्षेपित वृद्धि के साथ नेटवर्क की क्षमता में नियोजित वृद्धि का मिलान करने में अयोग्यता कमजोर नियोजन का परिचायक है तथा इससे संयोजित भार तथा वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के बीच अन्तर में वृद्धि होगी। यह प्रणाली पर निकट भविष्य में और दबाव डालेगा जिसके फलस्वरूप बार-बार ट्रिपिंग होगी तथा वितरण ट्रांसफॉर्मरों को नुकसान होगा।

3.3.6.4 फीडरों की ट्रिपिंग

ट्रिपिंग की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है जिससे कि निरन्तर गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति का उद्देश्य विफल होता है, ट्रांसफॉर्मरों का निरन्तर अधिभारित रहना ट्रिपिंग का एक मुख्य कारण है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 400 के वी सब स्टेशन, काशीपुर से नौ मुख्य फीडर[34] उदगमित होते है। इस सब स्टेशन में 315 एम वी ए (400/220 के वी) के दो ट्रांसफॉर्मर तथा 160 एम वी ए (220/132 के वी) के दो ट्रांसफॉर्मर थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान इन फीडरों पर कुल 282 ट्रिपिंग हुई। अधिकतम संख्या में ट्रिपिंग, जो कि 66 थी, ऋषिकेश लाईन में पाई गई। ट्रिपिंग की वजह से वितरण ट्रांसफॉर्मरों में खराबी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2014); उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2014)।

---

[33] (5,352 एम वी ए संयोजित भार – 3,357.82 एम वी ए वितरण रूपान्तरण की क्षमता) मार्च 2014 के आँकडे।

[34] दो 400 के वी के पोषक, दो 220 के वी के तथा पाँच 132 के वी के।

3.4 12 *प्रतिशत* रॉयल्टी का दावा न किया जाना

यू पी सी एल की ओर से निः शुल्क विद्युत के रूप में रॉयल्टी लगाने के प्रयासों की कमी के कारण राज्य ₹ 3.91 करोड़ की 12 *प्रतिशत* निः शुल्क ऊर्जा (17.32 मिलियन यूनिट) से वंचित रहा।

उत्तराखण्ड सरकार (उ स) ने भीलांगना हाइड्रो पॉवर लिमिटेड (बी एच पी एल) नई दिल्ली, जो कि उत्तराखण्ड में स्थापित एक स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (स्व ऊ उ) है, के साथ विद्युत उत्पादन (24 मेगा वॉट) के लिए एक अनुबंध किया (जनवरी 2007)। अनुबंध की धाराएं 4.1.1, 4.2.1 व 4.2.2, जो कि उत्पादन कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन के निस्तारण के विकल्प का उपयोग करने तथा उत्पादन कम्पनी पर भारित निः शुल्क ऊर्जा के रूप में रॉयल्टी से सम्बन्धित है, को ***परिशिष्ट 3.4.1*** में दी गयी हैः

यू पी सी एल एवं ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) के अभिलेखों की जांच (क्रमशः जून 2013 एवं मार्च 2014) से प्रकट हुआ की बी एच पी एल ने टाटा पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (टी पी टी सी एल), जो कि राज्य के बाहर स्थित है, के साथ विद्युत उत्पादन के लिए एक अनुबंध किया। तथापि, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने बी एच पी एल को अपना उत्पादन राज्य से बाहर के व्यापार अनुज्ञप्तिधारक को बेचने की अनुमति नहीं दी जिसके विरूद्ध बी एच पी एल ने 'विद्युत विक्रय हेतु अपील अधिकरण' में मुकदमा दायर कर दिया। अपील अधिकरण ने बी एच पी एल के पक्ष में निर्णय दिया (जनवरी 2011) तथा विद्युत विक्रय हेतु ओपेन एक्सेस (छूट) प्रदान की। बी एच पी एल द्वारा राज्य के बाहर एक व्यापारिक कम्पनी (टी पी टी सी एल) को की गई इस प्रकार की ऊर्जा की बिक्री, क्रियान्वयन अनुबंध की धारा 4.2.1 (ii) के अन्तर्गत आती है क्योंकि यह बिक्री किसी ऐसे उपभोक्ता को की गयी है जो कि धारा 4.1.1 के अन्तर्गत नहीं आता है एवं इसके आधार पर इस बिक्री पर सी ओ डी[35] के पश्चात् प्रथम 15 वर्षों के लिए शुद्ध पारेषित ऊर्जा या प्रदेय ऊर्जा के 12 *प्रतिशत* की दर से 'निःशुल्क ऊर्जा के रूप में रॉयल्टी' का आरोपण होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था (मई 2007) कि रॉयल्टी ऊर्जा यू पी सी एल द्वारा ली जानी चाहिए तथा रॉयल्टी ऊर्जा का माहवार विवरण, जमा की गयी धनराशि के चालान की प्रति के साथ उत्तराखण्ड सरकार को भेजा जाए। बी एच पी एल ने पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में एक प्रारम्भिक ओपन एक्सेस प्रार्थनापत्र दायर किया क्योंकि उसने उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के विद्युत व्यापारी को विद्युत के विक्रय हेतु समझौता किया था एवं उसने यू पी सी एल से भी प्रार्थना की कि वह उपरोक्त रॉयल्टी ऊर्जा हेतु ओपन एक्सेस प्रार्थना पत्र दायर करे ताकि एकीकृत ऊर्जा निकास का नियोजन किया जा सके। रॉयल्टी संग्रह करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार के स्पष्ट निर्देश एवं इस सम्बन्ध में एकीकृत ऊर्जा निकास प्रणाली के सृजन हेतु बी एच पी एल की प्रार्थना के बावजूद भी यू पी सी एल शुद्ध पारेषित ऊर्जा के 12 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का संग्रह करने में विफल रहा। बी एच पी एल ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 23.12.2011 को प्रारम्भ कर

[35] सी ओ डी - वाणिज्यिक उत्पादन तिथि।

दिया एवं दिसम्बर 2013 तक शुद्ध पारेषित ऊर्जा पर प्रभारित रॉयल्टी 17.32 मिलियन यूनिट आगणित हुई जिसका मूल्य ₹ 3.91 करोड़ था। इस प्रकार, यू पी सी एल की ओर से देय रॉयल्टी का दावा करने में विफलता से राज्य ₹ 3.91 करोड़ की निःशुल्क ऊर्जा से वंचित रहा।

यह इंगित करने पर, यू पी सी एल प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों (दिनांक 25.05.2014) के अनुसार 12 *प्रतिशत* रॉयल्टी वसूल करने का दायित्व पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का है। साथ ही, यू पी सी एल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यू पी सी एल मै. बी एच पी एल से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहा है।

यू पी सी एल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने प्रारम्भ में ही अपने आदेश दिनांक 07.05.2007 के द्वारा बी एच पी एल से रॉयल्टी वसूल करने का दायित्व यू पी सी एल का ही निर्धारित किया था। साथ ही, मै. बी एच पी एल ने यू पी सी एल से ही रॉयल्टी ऊर्जा वसूलने हेतु प्रार्थना की (अक्टूबर 2007)। इस प्रकार, यू पी सी एल के मै. बी एच पी एल से 12 *प्रतिशत* रॉयल्टी वसूल करने के उत्तरदायित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी बताना आवश्यक है कि उत्तराखण्ड में प्रचलित औद्योगिक प्रथा के अनुसार, यू पी सी एल नियमित रूप से उत्तराखण्ड सरकार की ओर से उन ऊर्जा उत्पादकों से भी 12 *प्रतिशत* रॉयल्टी ऊर्जा वसूल कर रहा है, जिन्होंने उत्तराखण्ड की ट्रांसमिशन कम्पनी के अलावा अन्य ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ ट्रांसमिशन अनुबन्ध किया है। तथापि, उत्तराखण्ड सरकार ने ऊर्जा प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड को मै. बी एच पी एल के विरूद्व 12 *प्रतिशत* रॉयल्टी ऊर्जा न दिये जाने पर वैधानिक कारवाई करने का निर्देश दिया (मई 2014) जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति सिद्ध होती है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया कर दिया गया (मार्च 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

3.5 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिभार का आरोपण न करके यू पी सी एल ने उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन (106, जनवरी 2006) के अनुसार एक स्वतंत्र फीडर से समान प्रकृति के औद्योगिक प्रक्रिया वाले समान उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मई 2010 से यू पी सी एल द्वारा उद्योगों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए वास्तविक विद्युत मूल्य पर अतिरिक्त 15 *प्रतिशत* अधिभार भारित किया जाता है।

विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2014) में पाया गया किः

- उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए, यू पी सी एल ने पूर्व में ही निर्मित 33 के वी स्विचिंग सब स्टेशन /स्वतंत्र फीडर, जो कि कागज उद्योग[36] की अन्य तीन निजी इकाइयों को विद्युत उपलब्ध करा रहा था; से एक इलेक्ट्रानिक सामान बनाने वाले उपभोक्ता को 4,000 के वी ए का कनेक्शन (नवम्बर 2008) जारी कर दिया।
- निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाने के लिए सभी कागज उद्योग उपभोक्ता अपने मासिक विद्युत देय पर अतिरिक्त 15 *प्रतिशत* अधिभार का भुगतान कर रहे थे। जबकि संबंधित उपभोक्ता बिना अतिरिक्त अधिभार का भुगतान किए ही यह लाभ उठा रहा था क्योंकि वह निरंतर विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ता की तरह वर्गीकृत नहीं था।
- स्विचिंग सब स्टेशन/स्वतंत्र फीडर, जिससे सभी कनेक्शन जारी किए गए थे, में अविरल तथा अनाविरल कनेक्शनों में अंतर करने की कोई प्रणाली नहीं थी, उपभोक्ता के स्वतंत्र फीडर से जुडे होने की वजह से वह अविरल विद्युत आपूर्ति का लाभ उठा रहा है तथा इसी लिए उस पर 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिभार भारित होना चाहिए। इस प्रकार राजस्व का परित्याग कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया गया जो कि ₹ 2.12 करोड़[37] (मई 2010 से मार्च 2014) होता है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि उचित पृथक पहचान एवं मीटरिंग प्रणाली के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं के उपभोक्ताओं को एक स्विचिंग सब स्टेशन से कनेक्शन जारी करना अनुचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में रोस्टरिंग होने पर उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति लाइनमैन द्वारा स्वंय ही काट दी जाती थी तथा उपभोक्ता के विद्युत कटौती के बिन्दु को साबित करने के लिए लोड सर्वे तथा एम आर आई[38] रिपोर्ट की सीडी भी उपलब्ध कराई गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि असमान उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी करना उपरोक्त नियम का उल्लंघन था। रोस्टरिंग के घंटो के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा विद्युत कटौती करने के अपने दावे को भी साबित करने के लिए यू पी सी एल किसी विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने यू पी सी एल के रोस्टरिंग विवरण को सीडी में उपलब्ध डाटा से मिलान किया एवं पाया कि उक्त उपभोक्ता की उन दिनों में विद्युत आपूर्ति नियमित रही है जब उस क्षेत्र के अनाविरल उद्योगों की विद्युत रोस्टरिंग निर्धारित थी।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

3.6 परिहार्य हानि

उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने में हुई देरी के कारण ₹ 1.15 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

ई एस आई अधिनियम अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था करता है कि यदि सरकार चाहे तो ई एस आई सी के परामर्श और सरकारी राजपत्र की अधिसूचना के आधार पर किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान को ई एस आई सी निधि

---

[36] मै. फाइबर मार्क्स पेपर लिमिटेड (4,000 के वी ए), मै. विश्वनाथ पेपर (3,000 के वी ए), मै. कात्यानी पेपर मिल (3,000 के वी ए)।

[37] 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिभार=₹ 14.13 करोड़ मई 2010 से मार्च 2014 तक की अवधि का विद्युत मूल्य = ₹ 14.13 करोड़ × 15/100 = ₹ 2.12 करोड़।

[38] मीटर रीडिंग उपकरण द्वारा स्वयं उत्पन्न प्रतिवेदन।

में योगदान करने से छूट प्रदान की जा सकती है यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को इस योजना के तहत प्रदान लाभ के समान या वेहतर लाभ प्राप्त हो रहा है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (यू टी सी) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जनवरी 2014) से यह प्रदर्शित होता है कि निगम चिकित्सा भत्ते के रूप में अपने प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह ₹ 30 का भुगतान करता है और कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार पर किए गये खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करता है। यह सुविधा ई एस आई सी के द्वारा दिए गये प्रावधानों के समतुल्य थी। लेखापरीक्षा में प्रदर्शित होता है कि ई एस आई अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट यू टी सी (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) के लिए प्राप्त थी परंतु यू टी सी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित छूटों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया जब यह तत्कालीन उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम से अलग हुआ (अक्टूबर 2003)। परिणामस्वरूप ई एस आई सी ने यू टी सी के खातों को जब्त कर लिया और इसकी चार कार्यशालाओं (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की और हल्द्वानी) से ई एस आई सी के योगदान के रूप में ₹ 1.15 करोड़ वसूल लिए (दिसम्बर 2005 से मार्च 2010)। पूर्वव्यापी प्रभावों के साथ यू टी सी ने बाद में 31 अक्टूबर 2003 से 12 अक्टूबर 2009 (मार्च 2010 में) तथा अन्य अवधि, 13 अक्टूबर 2009 से 12 अक्टूबर 2010 (अक्टूबर 2009) और 5 फरवरी 2013 से 4 फरवरी 2016 तक (फरवरी 2013) ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगातार छूट प्राप्त की है। परन्तु ई एस आई ने यू टी सी से वसूल किए गये ₹1.15 करोड़ राज्य सरकार की किसी भी अधिसूचना के अभाव मे वापस करने से मना कर दिया। इस प्रकार यू टी सी द्वारा ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने की देरी के कारण ₹ 1.15 करोड़ की परिहार्य हानि वहन करनी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2014) कि ई एस आई सी के साथ धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पत्राचार किया जा रहा है और मामला राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कि ई एस आई द्वारा पूर्व में वसूल की गई राशि को वापस करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त 13 अक्टूबर 2010 से 04 फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए छूट सम्बन्धी अधिसूचना आज तक (अप्रैल 2014) जारी नहीं की गई है जो ई एस आई अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को आमंत्रित करती है।

प्रकरण सरकार को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2014)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7 बकाये की वसूली न होना

सेवाएं प्रदान करने से पहले समझौता नहीं करने के कारण उत्तराखण्ड परिवहन निगम उत्तर पूर्व रेलवे को प्रदत्त सेवाओं के बदले में प्राप्य धनराशि ₹ 27.93 लाख वसूल नहीं कर सका।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ प नि) अपने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ प्र रा स प नि) और उत्तर पूर्व रेलवे (उ पू रे) के मध्य जून 1968 में किए गए एक समझौते के अनुपालन में काठगोदाम और रानीखेत/नैनीताल के मध्य, तथा इसके विपरीत भी, उ पू रे के यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान करता था। समझौते की शर्तों के अनुसार, उ पू रे अपने यात्रियों को प्रदान की गई सेवाओं के समस्त दावों का भुगतान, दावों को प्राप्त करने की तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर कर देता था। उत्तर प्रदेश के विभाजन पर, उ प नि का गठन अक्टूबर 2003 में किया गया था।

संभागीय प्रबंधक (संचालन) उ प नि, नैनीताल क्षेत्र के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) से प्रदर्शित होता है कि उ पू रे द्वारा यात्रियों और उनके सामान के बिलों का भुगतान अक्टूबर 2004 तक किया गया है। नवम्बर 2004 से उ पू रे ने इस आधार पर भुगतान करने से इन्कार कर दिया कि (मार्च 2008) उ प नि अक्टूबर 2003 से अस्तित्व में आया और उ प नि द्वारा कोई समझौता उ पू रे के साथ नहीं किया गया। उ प नि ने किसी भी समझौते के बिना और पहले से प्रस्तुत बिलों के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि प्राप्त किए बिना फरवरी 2008 तक उ पू रे को सेवा प्रदान करना जारी रखा। उ प नि ने मार्च 2008 में अपनी सेवाएं बंद कर दीं और नवम्बर 2004 से फरवरी 2008 तक इसकी सेवाओं के कुल दावे ₹ 27.93 लाख थे। मामला लंबित है और उ प नि के किसी भी दावे की प्रतिपूर्ति उ पू रे द्वारा नहीं की गई है।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2014) कि लंबित बिलों के भुगतान के लिए उ पू रे के साथ निरंतर पत्राचार किया जा रहा है और उ पू रे बिलों का भुगतान करने के लिए सहमत था। तथ्यों से प्रदर्शित है कि राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2014), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

देहरादून **(सौरभ नारायन)**
दिनांकः 06 अप्रैल 2015 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः 07 अप्रैल 2015 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.1.10.1; पृष्ठ 5)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (कृ का टि) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अक्टूबर 2014 को लंबितकृ कृ का टि	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि
सिविल/सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ)	2000-01	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	01	23.06.2003	22.09.2003
		कृषि	01		
		सिंचाई	01		
		पर्यावरण	01		
	2001-02	उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड	01	19.07.2004	18.10.2004
		वित्त	01		
	2002-03	परिवहन	01	12.01.2005	11.04.2005
		सिंचाई	01		
		वित्तीय एवं समाज कल्याण	01		
	2003-04	सिंचाई	01	05.10.2005	04.01.2006
		पंचायती राज	01		
		परिवहन	02		
	2004-05	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	01	19.04.2006	18.07.2006
		परिवहन	01		
		लो नि वि	01		
	2005-06	चिकित्सा	01	27.06.2007	26.09.2007
		खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	01		
		खेल एवं युवा कल्याण	01		
		ग्राम्य विकास	01		
	2006-07	पेय जल	01	07.03.2008	06.06.2008
		परिवहन	01		
		सूचना	02		
		नागरिक उड्डयन	01		
	2007-08	ग्राम्य विकास	01	13.07.2009	12.10.2009
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	02		
		शहरी विकास	01		
		तकनीकी शिक्षा	02		
		सूचना एवं लोक संपर्क	01		
	2008-09	निबंधन एवं पंजीकरण	01	22.09.2010	21.12.2010
		वाणिज्य कर	01		
		ग्राम्य विकास	02		
		उत्तराखंड पेयजल निगम	02		
		परिवहन	01		
		राजस्व	01		
		ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	01		

		तकनीकी शिक्षा	01		
		लो नि नि	01		
	2009-10	वाणिज्य कर	01	29.03.2011	28.06.2011
		पर्यटन	01		
		ग्राम्य विकास	02		
		चुनाव	01		
		उत्तराखंड पेयजल निगम	02		
	2010-11	वाणिज्य कर	02	11.12.2012	10.03.2013
		समाज कल्याण	01		
		राज्य आबकारी	01		
		लो नि वि	06		
		उत्तराखंड पेयजल निगम	01		
		पुलिस	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	01		
		पशुपालन	01		
		आयुष	01		
		गृह	01		
		शिक्षा	01		
		राजस्व	01		
	2011-12	ग्राम्य विकास	01	18.09.2013	17.12.2013
		चुनाव	01		
		श्रम विभाग	01		
		महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास	01		
		समाज कल्याण विभाग	02		
		खेलकूद	01		
		उच्च शिक्षा	01		
		लो नि वि	03		
		उद्यान	01		
		वाणिज्य कर	01		
राज्य वित्त	2000-01	वित्त और विविध	सभी अध्याय	23.06.2003	22.09.2003
	2001-02	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.07.2004	18.10.2004
	2002-03	वित्त और विविध	सभी अध्याय	12.01.2005	11.04.2005
	2003-04	वित्त और विविध	सभी अध्याय	05.10.2005	04.01.2006
	2004-05	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.04.2006	18.07.2006
	2005-06	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.06.2007	26.09.2007
	2006-07	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.03.2008	06.06.2008
	2007-08	वित्त और विविध	सभी अध्याय	13.07.2009	12.10.2009
	2008-09	वित्त और विविध	सभी अध्याय	22.09.2010	21.12.2010
	2009-10	वित्त और विविध	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	वित्त और विविध	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
जिला नैनीताल	2011-12	विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013

परिशिष्ट 1.2.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.2.6.1; पृष्ठ 10)

प्राथमिक सर्वेक्षण का विवरण, बेसलाइन सर्वेक्षण एवं परियोजना कार्यान्वयन योजना

जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	बेस लाइन सर्वे के अनुसार घरों की कुल संख्या	ऑनलाइन सूचना के अनुसार घरों की कुल संख्या	अंतर आधिक्य/कामीं
पौड़ी	पौड़ी	गहड	154	164	10
		असनोली	125	127	02
		केवर्स	234	245	11
		भीमली तल्ली	70	93	23
		बढकोट	152	161	09
		डुग्री	113	116	03
	दुगड्डा	दिउला	83	95	12
		धुराभरपुर	73	75	02
		माथाणा	147	149	02
		स्यालनी	103	117	14
		सिमलना बिचला	77	88	11
		ग्रास्टगंज	506	536	30
	खिरसू	कोठगी	160	125	35
		कण्डोली	129	131	02
		गजेली सौद	110	116	06
		मरखोडा	87	79	08
		स्वीत	233	156	77
		ग्वाड	396	230	166
		कोल्ठा	131	157	26
		ढिकालगांव	73	77	04
ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	गोपीपुरा	430	444	14
		लक्ष्मीपुर लाछी	367	394	27
		सांडखेड़ा	308	280	28
		बरखेड़ा पांडे	976	1,018	42
		ढाकिया कलाँ	1,707	1,770	63
		कचनाल गोशाई	506	544	38
	बाजपुर	हजीरा	785	747	38
		केलाबैन्ड वारी	340	372	32
		बन्नाखेड़ा	860	913	53
		माहौली जंगल	470	492	22
		कनौरा	962	994	32
		बेरिया दौलत	1,050	1,086	36
		धंसारा	248	287	39
		रामपुरा सकर	504	585	81
अल्मोड़ा	Bhaisiyachana भइसियाचना	अलाई	146	135	11
		भेटाबारिया	130	123	07
		दशो	115	123	08
		जोगयोडा	57	62	05
		खास तिलाड़ी	118	110	08
		नौगाँव	333	352	19
		पूना कोट	127	121	06
		शील	95	86	09

परिशिष्ट 1.2.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.2.7.4; पृष्ठ 13)

बिना मिलान के आंकड़ों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	निधियों की कुल उपलब्धता				कुल व्यय		
	जिला	हस्त लिखित अभिलेख	एम ई एस	अंतर (प्रतिशत)	हस्त लिखित अभिलेख	एम ई एस	अंतर (प्रतिशत)
2009-10	देहरादून	237.59	227.30	10.29 (4%)	134.28	104.74	29.54 (22%)
	पौड़ी	413.89	289.15	124.74 (30%)	123.58	204.62	81.04 (66%)
	अल्मोड़ा	175.36	167.19	8.17 (5%)	168.02	164.03	3.99 (2%)
	उधम सिंह नगर	151.52	137.12	14.40 (10%)	57.41	43.01	14.40 (25%)
2010-11	देहरादून	320.19	435.08	114.89 (36%)	278.32	240.89	37.43 (13%)
	पौड़ी	324.64	172.58	152.06 (47%)	99.64	114.33	14.69 (15%)
	अल्मोड़ा	308.95	501.81	192.86 (62%)	192.40	172.01	20.39 (11%)
	उधम सिंह नगर	110.14	94.11	16.03 (15%)	105.43	89.35	16.08 (15%)
2011-12	देहरादून	484.00	495.68	11.68 (2%)	203.55	203.60	0.05 (0.02%)
	पौड़ी	407.41	262.99	144.42 (35%)	238.13	194.00	44.13 (19%)
	अल्मोड़ा	525.01	504.14	20.87 (4%)	483.78	325.35	158.43 (33%)
	उधम सिंह नगर	193.50	90.63	102.87 (53%)	156.85	91.94	64.91 (41%)
2012-13	देहरादून	699.59	638.07	61.52 (9%)	211.40	209.88	1.52 (0.71%)
	पौड़ी	572.22	472.97	99.25 (17%)	180.18	184.56	4.38 (2%)
	अल्मोड़ा	720.69	691.00	29.69 (4%)	411.82	408.56	3.26 (1%)
	उधम सिंह नगर	507.19	464.84	42.35 (8%)	198.75	119.70	79.05 (40%)
2013-14	देहरादून	503.18	524.79	21.61 (4%)	242.20	250.99	8.79 (4%)
	पौड़ी	392.04	323.45	68.59 (17%)	187.85	264.01	76.16 (41%)
	अल्मोड़ा	370.29	392.04	21.75 (6%)	348.19	327.83	20.36 (6%)
	उधम सिंह नगर	321.97	380.11	58.14 (18%)	116.71	200.72	84.01 (72%)

स्रोतः जि प प्र इ के अभिलेखों से प्राप्त

परिशिष्ट 1.14.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.14.5.1; पृष्ठ 45)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत क्षमता से अधिक छात्रावासों का विवरण

जनपद	छात्रावास का नाम	वर्ष 2013-14 के दौरान पंजीकृत बालिकाओं की संख्या			उपलब्ध स्नानागार की संख्या			उपलब्ध शौचालयों की संख्या			उपलब्ध कमरों की संख्या	उपलब्ध बेड की संख्या
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 12	कुल बालिकाएं	मानकों के अनुसार	उपलब्ध	कमी	मानकों के अनुसार	उपलब्ध	कमी		
टिहरी	आमपाटा	42	36	78	12	2	10	19	2	17	5	10
	रौतू की बेली	30	33	63	10	1	9	15	2	13	4	4
	रौषाल	32	26	58	9	1	8	14	3	11	2	0
	कौशल	11	14	25	4	1	3	6	2	4	2	10
	सुजडगाँव	46	17	63	10	1	9	15	2	13	3	25
	योग	**161**	**126**	**287**	**45**	**6**	**39**	**69**	**11**	**58**	**16**	**49**
हरिद्वार	रानी माजरा	50	14	64	10	7	3	15	7	8	2	29
	गोबर्धनपुर	50	12	62	10	6	4	15	9	6	6	50
	बादीवाला	49	33	82	13	4	9	20	5	15	2	35
	बाजूहेड़ी	41	20	61	10	2	8	15	5	10	2	36
	अकबरपुर उद	49	13	62	10	3	7	15	4	11	3	38
	मोहित पुर	41	29	70	11	2	9	17	3	14	2	50
	हरजौली जट्ट	50	25	75	12	15	-3	18	15	3	3	50
	योग	**330**	**146**	**476**	**76**	**39**	**37**	**115**	**48**	**67**	**20**	**288**
अल्मोडा	जैती	50	32	82	13	8	5	20	8	12	9	39
	चंगेठी	32	14	46	7	5	2	11	8	3	4	32
	योग	**82**	**46**	**128**	**20**	**13**	**7**	**31**	**16**	**15**	**13**	**71**
उधम सिंह नगर	सितारगंज	50	53	103	16	10	6	25	10	15	6	100
	बाजपुर	50	1	51	8	2	6	12	3	9	3	30
	योग	**100**	**54**	**154**	**24**	**12**	**12**	**37**	**13**	**24**	**9**	**130**
महायोग		**673**	**372**	**1,045**	**165**	**70**	**95**	**252**	**88**	**164**	**58**	**538**

परिशिष्ट 1.14.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.14.5.2; पृष्ठ 45)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की इमारतों के निर्माण में हुई देरी का विवरण *(₹ लाख में)*

क्रम सं0	छात्रावास का नाम	स्वीकृति का वर्ष	निर्गत धनराशि	किया गया व्यय	हस्तगत अथवा नहीं	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	धौलादेवी, अल्मोडा	2004-05	86.06	86.06	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
2	लमगडा, अल्मोडा	2004-05	124.85	45.00		भूतल एवं प्रथम तल चिनाई कार्य प्रगति पर
3	कालसी, देहरादून	2004-05	102.45	96.65	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
4	नारसन, हरिद्वार	2004-05	124.21	124.21	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
5	जौनपुर, टिहरी	2004-05	79.46	72.10		भूतल प्लास्टर कार्य प्रगति पर एवं प्रथम तल फलोरिंग कार्य प्रगति पर
6	भिलंगना, टिहरी	2006-07	86.07	72.45		भूतल प्लास्टर कार्य प्रगति पर एवं प्रथम तल चिनाई कार्य प्रगति पर
7	नरेन्द्रनगर, टिहरी	2006-07	79.27	67.90		भूतल प्लास्टर कार्य प्रगति पर एवं प्रथम तल फलोरिंग कार्य प्रगति पर
8	प्रतापनगर, टिहरी	2006-07	82.85	67.26		भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
9	थौलधार, टिहरी	2006-07	101.82	89.00		भूतल एवं प्रथम तल प्लास्टर कार्य प्रगति पर
10	सितारगंज, उधम सिंह नगर	2004-05	15.00	15.00		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत प्रथम तल का प्रस्ताव राज्य को प्रेषित
11	बाजपुर, उधम सिंह नगर	2006-07	67.61	25.80		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत प्रथम तल के लिए बजट मार्च 2014 में स्वीकृत
12	नवगाँव, उत्तरकाशी	2004-05	96.60	82.10		भूतल पूर्ण एवं प्रथम तल चिनाई कार्य प्रगति पर
13	चिन्यालीसौण, उत्तरकाशी	2006-07	86.37	85.10	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
14	पुरोला, उत्तरकाषी	2006-07	87.81	72.95		भूतल प्लास्टर कार्य प्रगति पर एवं प्रथम तल स्लैब कार्य प्रगति पर
15	मोरी, उत्तरकाशी	2006-07	89.27	84.10		भूतल एवं प्रथम तल फलोरिंग कार्य प्रगति पर
16	गंगोलीहाट, उत्तरकाशी	2004-05	80.94	78.24	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
17	कपकोट, बागेश्वर	2004-05	90.41	78.22		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल का स्लैब कार्य प्रगति पर
18	थैलीसैंण, पौड़ी	2004-05	80.57	28.00		भूतल एवं प्रथम तल कार्य प्रगति पर
19	घाट, चमोली	2004-05	82.05	60.31		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल स्लैब कार्य प्रगति पर
20	टनकपुर, चम्पावत	2004-05	70.29	56.80	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
21	ओखल खण्डा, नैनीताल	2004-05	54.56	33.22		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत प्रथम तल का कार्य प्रगति पर
22	चकराता, देहरादून	2010-11	80.15	71.88	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
23	रुडकी, हरिद्वार	2006-07	91.98	25.80		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल के लिए बजट 03/2014 में स्वीकृत
24	लक्सर, हरिद्वार	2006-07	93.28	25.80		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल के लिए बजट 03/2014 में स्वीकृत
25	बहादराबाद, हरिद्वार	2006-07	92.57	26.80		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल के लिए बजट 03/2014 में स्वीकृत
26	फारेस्ट गाँव, हरिद्वार	2008-09	25.80	25.80		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत तथा प्रथम तल का प्रस्ताव राज्य को प्रेषित
27	खानपुर, हरिद्वार	2010-11	69.16	66.40	हस्तगत	भूतल एवं प्रथम तल पूर्ण
28	भगवानपुर, हरिद्वार	2006-07	112.19	39.15		भूतल पूर्ण एवं हस्तगत प्रथम तल के लिए बजट 03/2014 में स्वीकृत
	योग		**2,333.65**	**1,702.10**		

परिशिष्ट 3.1.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.1.1 एवं 3.1.6; पृष्ठ 91 एवं 95)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे, के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 5 (अ) से (6) एवं (8) से (10) के आँकड़े ₹ *करोड़ में*)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव[1]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी[2]	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[3]	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													(5ब+5द)	11/10
कृषि एवं समवर्गी														
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	3.87	1.02	0.38	2.47	113.54	(-)0.08	4.08	9.88	35.85	3.49	9.74%
क्षेत्रवार योग				**3.87**	**1.02**	**0.38**	**2.47**	**113.54**	**(-)0.08**	**4.08**	**9.88**	**35.85**	**3.49**	**9.74%**
वित्त														
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1993-94	2012-13	0.10	0.03	-	0.07	0.54	(-)0.39	0.50	(-) 0.63	1.09	0.10	9.17%

[1] लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव शामिल है और लाभ में वृद्धि तथा हानि में कमी को (+) से तथा लाभ में कमी तथा हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

[2] वित्तीय कम्पनियों/निगमों के प्रकरण में जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त निधि, बंधपत्र, जमा तथा उधारी (पुनः वित्त पोषक सम्मिलित) के अन्तिम तथा शुरूआती शेषों के औसत के रूप में की जाती है, को छोड़कर नियोजित पूँजी शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति सम्मलित हैं) जमा कार्यरत पूँजी को दर्शाती हैं।

[3] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना लाभ - हानि खाते के लाभ और ब्याज को जोड़कर की गई है।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	1986-87	2002-03	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	0.10	-	0.50	(-) 0.04	0.46	(-) 0.02	-
4.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2013-14	0.12	0.25	0.04	(-) 0.17	-	(-) 0.02	5.94	(-) 0.11	42.32	0.08	0.19%
क्षेत्रवार योग				**0.20**	**0.28**	**0.04**	**(-) 0.12**	**0.64**	**(-)0.41**	**6.94**	**(-) 0.78**	**43.87**	**0.16**	**0.36%**
अवसंरचना														
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2010-11	2013-14	30.70	0.48	0.21	30.01	2.87	(-) 7.04	28.50	235.17	273.44	30.49	11.15%
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-) 0.11	-	0.04	(-) 0.15	6.74	गैर समीक्षा	4.00	(-) 4.17	1.83	(-) 0.15	-
क्षेत्रवार योग				**30.59**	**0.48**	**0.25**	**29.86**	**9.61**	**(-) 7.04**	**32.50**	**231.00**	**275.27**	**30.34**	**11.02%**
विनिर्माण														
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1999-2000	2002-03	(-) 0.84	-	-	(-) 0.84	2.80	-	1.63	(-) 5.80	2.90	(-) 0.84	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1996-97	1997-98	(-) 1.19	-	-	(-) 1.19	0.29	-	0.35	(-) 6.95	0.35	(-) 1.19	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि(-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	1997-98	2011-12	(-) 0.29	-	0.02	(-) 0.31	1.61	-	8.95	(-) 1.17	4.99	(-) 0.31	-
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2014-15	(-) 2.75	14.43	0.26	(-) 17.44	100.60	-	17.99	(-) 102.00	17.07	(-) 3.01	-
11.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 18.18	16.71	0.24	(-) 35.13	63.20	गैर समीक्षा	6.00	(-) 160.95	(-) 139.64	(-) 18.42	-
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	0.01	-	-	0.01	0.07	-	0.05	-			
क्षेत्रवार योग				(-) 23.24	31.14	0.52	(-) 54.90	168.57	-	34.97	(-) 276.87	(-) 114.33	(-)23.77	-
ऊर्जा														
13.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2014-15	154.24	87.68	82.31	(-) 15.75	3432.70	(+)10.84	585.80	(-) 2018.77	(-)479.81	71.93	-
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	196.65	111.47	72.60	12.58	374.39	(-)10.37	873.58	255.64	3157.25	124.05	3.93
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2012-13	2013-14	79.06	43.54	28.09	7.43	161.26	(-)7.18	250.69	(-) 96.44	1087.45	50.97	4.69
क्षेत्रवार योग				429.95	242.69	183.00	4.26	3968.35	(-)6.71	1710.07	(-) 1859.57	3764.89	246.95	6.56

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवाएं														
16.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	1.66	1.09	0.31	0.26	104.19	(-)0.04	13.42	0.33	30.32	1.35	4.45
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2014-15	5.15	1.54	1.38	2.23	138.54	(-)2.90	5.76	6.34	34.25	3.77	11
	क्षेत्रवार योग			**6.81**	**2.63**	**1.69**	**2.49**	**242.73**	**(-)2.94**	**19.18**	**6.67**	**64.57**	**5.12**	**7.93**
विविध														
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2010-11	2013-14	6.17	-	0.09	6.08	88.26	-	0.05	23.92	24.82	6.35	25.58
क्षेत्रवार योग				**6.17**	**-**	**0.09**	**6.08**	**88.26**	**-**	**0.05**	**23.92**	**24.82**	**6.35**	**25.58**
योग क (क्षेत्रवार कार्यरत सभी सरकारी कम्पनियाँ)				**454.35**	**278.24**	**185.97**	**(-) 9.86**	**4591.70**	**(-) 17.18**	**1807.79**	**(-)1865.75**	**4094.94**	**268.38**	**6.55**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
अवसंरचना														
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम	2011-12	2013-14	(-)51.59	3.41	0.83	(-) 55.83	40.04	(-) 25.07	2083.78	(-) 107.18	(-)568.18	(-)52.42	-
क्षेत्रवार योग				(-)51.59	3.41	0.83	(-) 55.83	40.04	(-) 25.07	2083.78	(-) 107.18	(-)568.18	(-) 52.42	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवा														
2	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2008-09	2010-11	0.10	-	14.77	(-) 14.67	188.81	(-) 0.56	79.74	(-) 237.22	(-) 35.14	(-) 14.67	-
क्षेत्रवार योग				0.10	-	14.77	(-) 14.67	188.81	(-) 0.56	79.74	(-) 237.22	(-) 35.14	(-) 14.67	-
विविध														
3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2008-09	2010-11[4]	38.91	-	1.00	37.91	282.69	(-)24.51	-	175.56	299.57	37.91	12.65
				38.91	-	1.00	37.91	282.69	(-) 24.51	-	175.56	299.57	37.91	12.65
योग 'ख' (क्षेत्रवार कार्यरत सभी सांविधिक निगम)				(-)12.58	3.41	16.60	(-) 32.59	511.54	(-)50.14	2163.52	(-) 168.84	(-)303.75	(-) 29.18	-
कुल योग (क + ख)				441.77	281.65	202.57	(-)42.45	5103.24	(-) 67.32	3971.31	(-) 2034.59	(-)3791.19	239.20	-

[4] वर्ष 2008-09 के लेखे राज्य सरकार के स्थानीय कोष लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित थे।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि(-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्ती														
1.	यू पी ए आई लिमिटेड[5]	1988-89	1999-2000	(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-
क्षेत्रवार योग				(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-
विनिर्माण														
2.	कुम्ट्रौन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90	1990-91	(-) 0.02	-	-	(-)0.02	-	-	0.18	(-) 0.02	0.12	(-) 0.02	-
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[5] दिनांक 31.03.1991 से कम्पनी परिसमापन में है।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				(-) 0.02			(-) 0.02			0.18	(-) 0.02	0.12	(-) 0.02	
योग ग. (क्षेत्रवार कार्यरत सभी सरकारी कम्पनियाँ)				(-) 0.03			(-) 0.03			0.35	(-) 0.07	0.22	(-) 0.03	
कुल योग (क+ख+ग)				441.74	281.65	202.57	(-) 42.48	5103.24	(-) 67.32	3971.66	(-) 2034.66	3791.41	239.17	6.31

परिशिष्ट 3.1.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.1.3; और 3.1.10; पृष्ठ 92 एवं 98)

31 मार्च 2014 को अद्यतन, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 5 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ *करोड़ में*)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[6]				2013-14 के अंत में बकाया ऋण[7]				2013-14 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड[8]	कृषि	फरवरी 1969	1.70	0.84	3.77	6.31	4.00	-	-	4.00	0.63:1	454
क्षेत्रवार योग				**1.70**	**0.84**	**3.77**	**6.31**	**4.00**	**-**	**-**	**4.00**	**0.63:1**	**454**
वित्त													
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1974	0.20	-	0.30	0.50	1.17	0.04	2.04	3.25	6.50:1	04
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1975	0.22	-	0.28	0.50	-	-	-	-	-	शून्य

6 प्रदत्त पूँजी में आवेदित शेयर पूँजी सम्मिलित है।

7 वर्ष 2012-13 का बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को प्रदर्शित करता है।

8 उपरोक्त में 619 - ब की कम्पनी सम्मिलित है जो कि क्रम संख्या - 01 है।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2013-14 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
4.	उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	अक्टूबर 2001	16.45	8.10	-	24.55		-	4.47	4.47	0.18:1	82
क्षेत्रवार योग				16.87	8.10	0.58	25.55	1.17	0.04	6.51	7.72	0.30:1	86
अवसंरचना													
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	वित्त	जुलाई 2002	26.00	-	2.50	28.50	-	-	-			11
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	मार्च 2008	4.00	-	-	4.00	5.00	-	-	5.00	1.25:1	83
क्षेत्रवार योग				30.00	-	2.50	32.50	5.00	-	-	5.00	0.15:1	94
विनिर्माण													
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	नवम्बर 1973	-	-	1.63	1.63	2.75			2.75	1.69:1 (1.69:1)	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	मार्च 1978	-	-	0.35	0.35	-	-	-	-	- (20.80:1)	
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी हि इ लि)	पर्वतीय विकास	जून 1985	8.95	-	-	8.95	-	-	-	-	-	26
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	फरवरी 1972	17.54	-	0.45	17.99	96.76	-	-	96.76	5.38:1	812
11.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	दिसम्बर 2001	6.00	-	-	6.00	108.02	-	3.15	111.17	18.53:1	559

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2013-14 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सिंचाई	दिसम्बर 2010	1.07	-	-	1.07	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				33.56	-	2.43	35.99	207.53	-	3.15	210.68	5.85:1	1397
ऊर्जा													
13.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	1008.90	-	-	1008.90	136.05	523.28	127.10	786.43	0.78:1	3,683
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	1075.79	-	-	1075.79	306.93	-	785.90	1092.83	1.02:1	2,300
15.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	ऊर्जा	मई 2004	300.34	-	-	300.34	60.30	-	510.71	571.00	1.90:1	789
क्षेत्रवार योग				2,385.03			2,385.03	503.28	523.28	1,423.71	2,450.26		6,772
सेवाएं													
16.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1971	13.42	-	-	13.42	44.56	-	-	44.56	3.24:1 (2.25:1)	1,004
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1976	6.80	-	-	6.80	45.19	-	-	45.19	6.49:1 (6.20:1)	1,627
क्षेत्रवार योग				20.22	-	-	20.22	89.75	-	-	89.75		2,631
विविध													
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	सैनिक कल्याण	मार्च 2004	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2013-14 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
क्षेत्रवार योग				1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
योग क (क्षेत्रवार-कार्यरत सभी सरकारी कम्पनियाँ)				2,488.38	8.94	9.28	2,506.60	810.73	523.32	1,433.37	2,767.41		11,434
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
अवसंरचना													
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	पेयजल	नवम्बर 2002	2,050.06	-	-	2,050.06	-	-	1.64	1.64	0.01:1 (0.01:1)	2,728
क्षेत्रवार योग				2,050.06	-	-	2,050.06	-	-	1.64	1.64	-	2,728
सेवा													
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	यातायात	अक्टूबर 2003	70.50	9.24	-	79.74	160.52	-	-	160.52	1.89:1 (1.57:1)	4,030
क्षेत्रवार योग				70.50	9.24	-	79.74	160.52	-	-	160.52	1.89:1 (1.57:1)	4,030
विविध													
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	वन	मई 2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070
योग ख. (क्षेत्रवार कार्यरत सभी सांविधिक निगम)				2,120.56	9.24	-	2,129.80	160.52	-	1.64	162.16	-	9,828
कुल योग (क + ख)				4,608.94	18.18	9.28	4,636.40	971.25	523.32	1,435.01	2,929.57	-	21,262
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	यू पी ए आई लिमिटेड	कृषि	अप्रैल 1977	0.15	-	0.02	0.17	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				0.15	-	0.02	0.17	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2013-14 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
विनिर्माण													
2.	कुम्ट्रौन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विभाग	अप्रैल 1987	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1987	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.21	0.21	-	-	-	-	-	-
योग 'ग' (क्षेत्रवार अकार्यरत सभी सरकारी कम्पनियाँ)				0.15	-	0.23	0.38	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)				4,609.09	18.18	9.51	4,636.78	971.25	523.32	1,435.01	2,929.57		21,262

परिशिष्ट 3.1.3

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.1.4; पृष्ठ 93)

मार्च 2014 के अन्त में वर्ष के दौरान ईक्विटी बजट से प्राप्त ऋण, प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्धता को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 3 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ *करोड़ में*)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी /ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टी और वर्ष के अन्त में उसकी वचनबद्धता[9]		वर्ष में बकायों की माफी			कुल
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण/पुनर्भुगतान अपलेखन	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ दंडात्मक ब्याज माफी	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
(क) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	4.96	15.99	20.95	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	1.11	1.53	-	10.20	-	10.20	1.54	10.53	-	-	-	-
3.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	-	-	38.17	-	-	38.17	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	39.99	99.88	-	-	-	-	-	174.12	-	-	-	-
5.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	202.21	0.36	-	-	0.39	0.39	-	618.89	-	-	-	-
6.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	16.60	16.31	-	-	-	-	-	103.12	-	-	-	-
7.	डोईवाला शुगर कम्पनी	-	31.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड		40.30										
योग (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		259.91	190.07	38.17	15.16	16.38	69.71	1.54	906.66	-	-	-	-

[9] आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल बकाया गारन्टी को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 3.1.4

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.1.7; पृष्ठ 96)

राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत नहीं हुए थे, में किये गये निवेश को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकरण के लिए लम्बित लेखाओं की अवधि	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिसका लेखा बकाया था			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	अन्य का उल्लेख (उपदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ								
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	4.08					
2.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2004-05	5.94	2005-06	0.76	-	-	
				2006-07	4.22	-	-	
				2007-08	1.22	-	-	
				2008-09	-	-	0.09	
				2009-10	0.05	-	0.29	
				2010-11	-	-	7.45	
				2011-12	1.22	1.35	3.36	1.48
				2012-13	1.11	-	4.53	5.60
				2013-14	1.11	-	3.49	5.60
3.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	4.00	2012-13	-	2.00	-	
				2013-14		1.00		
4	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2012-13	6.00	2013-14	-	31.69	-	-
5	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2012-13	17.99	2013-14	-	40.30		
6.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	585.80	2013-14	39.99	68.32		-

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकरण के लिए लम्बित लेखाओं की अवधि	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिसका लेखा बकाया था			
					अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	अन्य का उल्लेख (उपदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2012-13	250.69	2013-14	16.60	16.31	-	-
योग क. (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			**874.50**		**66.28**	**160.97**	**19.21**	**12.68**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम								
उत्तराखण्ड परिवहन निगम		2008-09	79.74	2009-10	-	-	-	-
				2010-11	-	-	-	-
				2011-12	-	100.11	-	-
				2012-13	-	25.00		
				2013-14		10.00		
योग ख		-	79.74	-	-	135.11	-	-
कुल योग (क + ख)		-	954.24	-	66.28	296.08	19.21	12.68

परिशिष्ट 3.1.5

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.1.14; पृष्ठ 101)

विभागानुसार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों का विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	सा क्षे उ की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से बकाया है
1.	कृषि	1	5	18	2005-06
2.	वित्त	3	6	52	2004-05
3.	अवसंरचना	3	5	50	2005-06
4.	पर्यटन	2	8	65	2004-05
5.	ऊर्जा	3	313	1,402	2004-05
6.	परिवहन	1	11	40	2006-07
7.	विनिर्माण	6	13	59	2004-05
8.	विविध	2	1	8	2010-11
	कुल	**21**	**362**	**1,694**	

परिशिष्ट 3.2.1

(सन्दर्भ - प्रस्तर 3.2.3.1; पृष्ठ 104)

डीलर को दिए गए अतिरिक्त कमीशन की गणना

वर्ष	राज्य का नाम	विक्रय किए गए गेहूँ की मात्रा	डीलर को दिया गया अतिरिक्त कमीशन (₹ में)
2011-12	उत्तराखण्ड	35,775.60	1,86,507.11
	उत्तर प्रदेश	46,518.50	2,55,062.34
	बिहार	2,99,212.30	16,38,111.36
	पश्चिम बंगाल	0	0
कुल (1)		**3,81,506.40**	**20,79,680.81**
2012-13	उत्तराखण्ड	30,806.50	2,65,450.66
	उत्तर प्रदेश	79,050.40	6,19,640.75
	बिहार	2,36,286.60	18,58,354.59
	पश्चिम बंगाल	19,410.00	1,54,891.80
कुल (2)		**3,65,553.50**	**28,98,337.80**
2013-14	उत्तराखण्ड	22,587.40	2,03,757.51
	उत्तर प्रदेश	49,215.00	4,39,386.95
	बिहार	1,72,586.00	15,35,450.36
	पश्चिम बंगाल	19,118.40	1,70,344.94
कुल (3)		**2,63,506.80**	**23,48,939.76**
कुल योग (1)+(2)+(3)		**10,10,566.70**	**73,26,958.37**

परिशिष्ट 3.2.2

(सन्दर्भ - प्रस्तर 3.2.3.2; पृष्ठ 104)

डीलर को उच्च दर पर दिए गए कमीशन की गणना

(राशि ₹ में)

वितरक का नाम	वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्ति	अनुबंध के तहत विक्रय पर अग्रिम	विक्रय पुस्तिका के अनुसार वास्तविक विक्रय	विक्रय के अग्रिम पर विक्रय का आधिक्य	सब्सिडी	परिवहन छुट	आरक्षित विक्रय पर कुल विक्रय का अनुपात	अनारक्षित विक्रय पर कुल विक्रय का अनुपात	9 *प्रतिशत* की दर से आरक्षित विक्रय पर दिया गया कमीशन	7 *प्रतिशत* की दर से अनारक्षित विक्रय पर दिया गया कमीशन	कुल दिये जाने वाली कमीशन का योग	दिया गया कमीशन	दिया गया अतिरिक्त कमीशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13													
मेसर्स ऐग्रो ट्रेड्स, गोरखपुर	15,00,000	1,50,00,000	3,59,69,940	2,09,69,940	99,65,320	3,55,804	0.42	0.58	9,59,862	10,48,858	20,08,720	23,08,393	2,99,674
मेसर्स दुर्गा ऐग्रो सिडस् फार्म, लखनऊ	1,00,000	10,00,000	42,96,130	32,96,130	13,55,360	38,803	0.23	0.77	61,141	1,55,584	2,16,725	2,61,911	45,186
मेसर्स किशन टेडिंग कम्पनी, सीतापुर	10,00,000	1,00,00,000	2,07,88,599	1,07,88,599	65,98,880	9,21,212	0.48	0.52	5,75,132	4,81,471	10,56,603	11,94,166	1,37,563
मेसर्स कृषि सेवा केन्द्र, फरूखाबाद	4,00,000	40,00,000	67,52,400	27,52,400	20,82,800	1,16,235	0.59	0.41	2,43,231	1,29,556	3,72,787	4,09,820	37,033
मेसर्स माँ जानकी इण्टर प्राइजेज, मुजफरपुर	25,00,000	2,50,00,000	3,31,39,143	81,39,143	83,55,620	3,86,340	0.75	0.25	16,59,918	4,16,756	20,76,673	21,95,746	1,19,073
मेसर्स सुजल ऐग्रो ऐजेन्सी, नालन्दा	1,00,000	10,00,000	17,74,150	7,74,150	4,55,000	29,250	0.56	0.44	65,594	39,276	1,04,869	1,16,091	11,222
मेसर्स महावीर इण्टर प्राइजेज, मुजफरपुर	5,00,000	50,00,000	1,23,62,696	73,62,696	30,21,900	2,03,490	0.40	0.60	3,33,886	3,79,922	7,13,808	8,22,358	1,08,549

मेसर्स आर पी गास सर्विस, छपरा	0	0	1,05,39,740	1,05,39,740	26,99,480	84,079	0.00	1.00	0	5,42,933	5,42,933	6,98,056	1,55,124
मेसर्स लाल जी शाह कृषि केन्द्र, भागलपुर	5,00,000	50,00,000	99,78,437.70	49,78,437.70	24,27,320	60,776	0.50	0.50	3,38,036	2,61,407	5,99,443	6,74,919	75,477
मेसर्स कृषि लक्ष्मी केन्द्र, पुरनीया	28,00,000	2,80,00,000	5,16,67,575	2,36,67,575	1,28,64,600	7,16,036	0.54	0.46	18,59,981	12,19,434	30,79,415	34,29,266	3,49,851
मेसर्स अनन्त ऐग्रो वाल्स सेल्स, मुजफरपुर	1,00,000	10,00,000	51,85,500	41,85,500	13,30,000	85,500	0.19	0.81	65,795	2,12,726	2,78,521	3,39,300	60,779
मेसर्स नेशनल हर्बस, बरेली	1,00,000	10,00,000	1,92,17,254	1,82,17,254	69,05,800	0	0.05	0.95	58,924	8,15,972	8,74,896	11,08,031	2,33,135
2013-14													
मेसर्स महा लक्ष्मी सिडस् कारपोरेशन	9,00,000	90,00,000	5,59,92,538	4,69,92,538	1,30,32,660	6,31,423	0.16	0.84	6,13,237	24,86,030	30,99,267	38,09,561	7,10,294
मेसर्स ऐग्रो ट्रेड्स, गोरखपुर	14,00,000	1,40,00,000	3,24,31,192	1,84,31,192	68,91,840	2,71,843	0.43	0.57	9,82,765	10,04,352	19,87,118	22,74,076	2,86,958
मेसर्स किशन टेडिंग कम्पनी, सीतापुर	10,97,000	1,09,70,000	2,72,51,948	1,62,81,948	82,39,920	14,15,570	0.40	0.60	6,39,702	7,34,206	13,73,908	15,13,940	1,40,032
मेसर्स कृषि लक्ष्मी केन्द्र, पुरनीया	42,00,000	4,20,00,000	5,44,88,848	1,24,88,848	1,25,49,320	6,82,526	0.77	0.23	28,63,033	6,61,187	35,24,220	37,13,130	1,88,910
कुल योग	**1,71,97,000**	**17,19,70,000**	**38,18,36,091**	**20,98,66,091**	**9,87,75,820**	**59,98,887**			**1,13,20,237**	**1,05,89,668**	**2,19,09,905**	**2,48,68,764**	**29,58,859**

परिशिष्ट 3.4.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.4, पृष्ठ 111)

अनुबन्ध की धारा 4.1.1, 4.2.1 एवं 4.2.2

धारा 4.1.1: उत्पादन कम्पनी ऊर्जा उत्पादन के निस्तारण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक या अधिक का उपयोग कर सकती हैः

i) यू पी सी एल को ऊर्जा विक्रय एवं ऐसा विक्रय का यू पी सी एल व कम्पनी के मध्य परस्पर मोलभाव किया जाएगा; एवं/अथवा

ii) किसी उच्च टैन्शन (एच टी) उपभोक्ता को उत्तरांचल राज्य के अन्दर ऊर्जा विक्रय एवं/अथवा

iii) स्थानीय ग्रामीण ग्रिडस् को उत्तरांचल राज्य के अन्दर ऊर्जा विक्रय जो यू पी सी एल के मुख्य ग्रिड से जुडा नहीं है; एवं/अथवा

iv) ग्रामीण ऊर्जा वितरण इकाईयों को ऊर्जा का विक्रय, (जो कि वे है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा का विक्रय करती है; एवं/अथवा

v) उत्तरांचल राज्य के बाहर किसी उपभोक्ता को ऊर्जा विक्रय।

धारा 4.2.1: उत्पादन कम्पनी पर सरकार को आपूर्ति की जाने वाली निः शुल्क ऊर्जा के रूप में, रॉयल्टी का प्रभार लगेगा, जो निम्नानुसार होगाः

i) निम्नलिखित स्थितियों में, वाणिज्यिक उत्पादन तिथि (सी ओ डी) के पश्चात् प्रथम 15 वर्षों के लिए निः शुल्क ऊर्जा के रूप में रॉयल्टी का कोई भी अधिभार नहीं लगेगाः

   a) यू पी सी एल को उपरोक्त 4.1.1 (i) के अनुसार ऊर्जा विक्रय;

   b) स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स् को उपरोक्त 4.1.1 (iii) के अनुसार उत्तरांचल राज्य के अन्दर ऊर्जा विक्रय जो उत्तरांचल के मुख्य ग्रिड से जुडा नहीं है;

   c) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को ऊर्जा विक्रय जिन्हें 4.1.1 (iv) के अनुसार सम्बन्धित विद्यमान विवरण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं की गई अथवा असन्तोषजनक रूप से की गयी; तथा

   d) उत्तरांचल राज्य के बाहर उपरोक्त 4.1.1 (v) के अनुसार ऊर्जा विक्रय

ii) शुद्ध पारेषित ऊर्जा[9] अथवा आपूर्ति योग्य ऊर्जा[10] के 12 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी, नि- शुल्क ऊर्जा के रूप में सी ओ डी के पश्चात् प्रथम 15 वर्षो के लिए उन स्थितियों में प्रभारित होगा जहां विक्रय किसी अन्य उपभोक्ता को की जाएगी जो धारा 4.2.1 (i) के अन्तर्गत नहीं आते।

धारा 4.2.2: शुद्ध पारेषित व आपूर्ति योग्य ऊर्जा के 18 *प्रतिशत* की रॉयल्टी सी ओ डी के पश्चात संचालन के 15 वे वर्ष से आगे हर स्थिति के ऊर्जा विक्रय में प्रभारित की जाएगी।

---

[9] पारेषित प्रभार घटाने के पश्चात् जो कि अन्तः जुडा बिन्दु पर आपूर्ति की गयी शुद्ध ऊर्जा का 10 *प्रतिशत* हैं।

[10] यू पी सी एल की प्रणाली को उपयोग करके या बिना उपयोग किये किसी अन्य पक्ष को प्रत्यक्ष आपूर्ति की स्थिति में।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748